खण्ड-460, अंक-10
शुक्रवार, 19 कार्तिक, शक संवत् 1928
(10 नवम्बर, 2006 ई0)

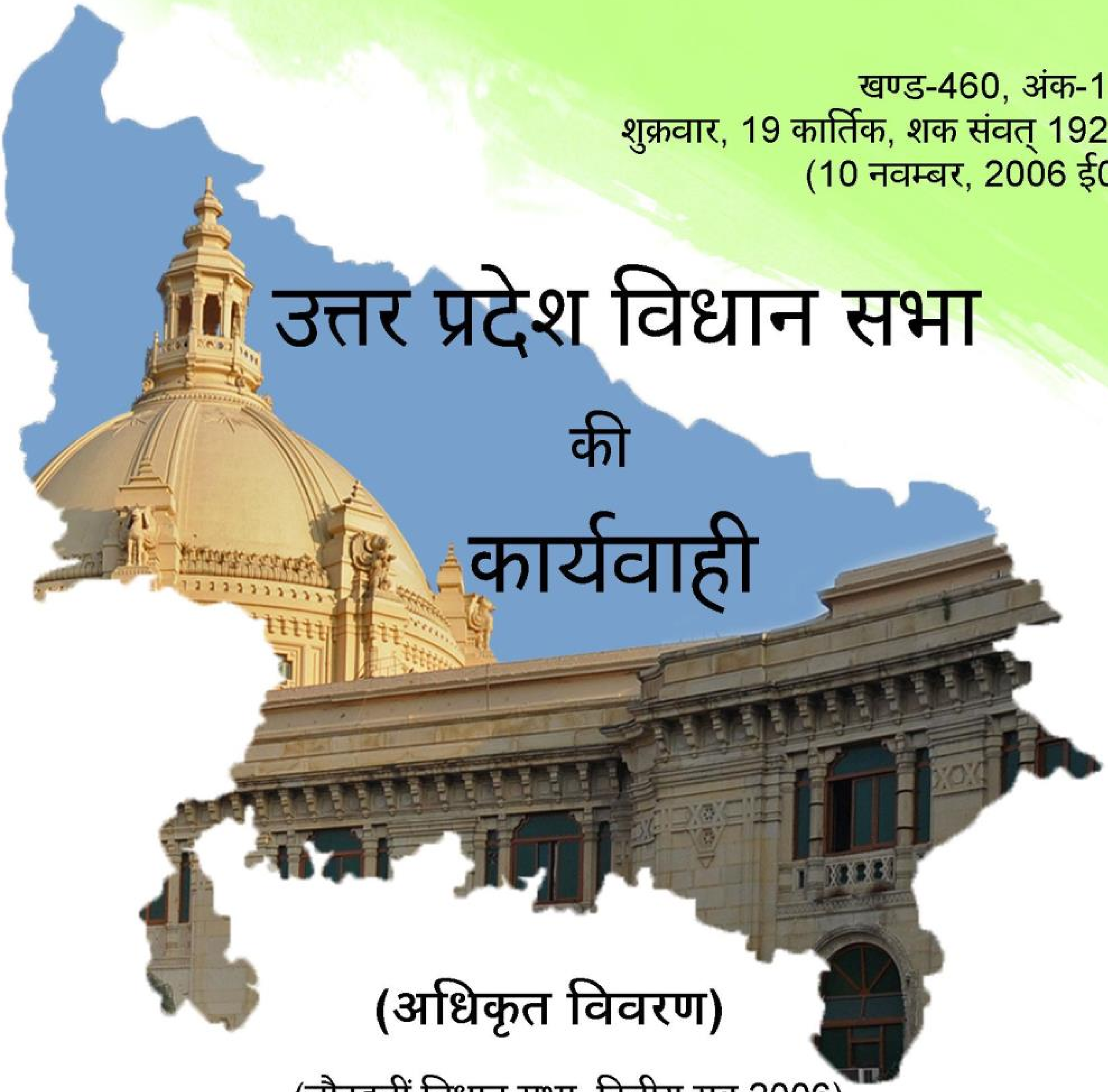

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 460 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
प्रदेश में खाद की कमी तथा किसानों द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी नियम-311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	1-2
नगर पंचायत चुनाव में धांधली सम्बन्धी सूचना को उठाने का प्रयास ...	2
प्रश्नोत्तर	2-42
डा0 इसोप गुलाम पहाड़, मिनिस्टर-इन-द-प्रेसिडेन्सी, दक्षिण अफ्रिका का स्वागत एवं जीवन परिचय	42-44
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण (प्रस्तुत किया गया।)	44
विधान सभा के पूर्व सदस्य, सर्वश्री बाबूराम गुप्त, बलबीर सिंह, राम करन पटेल, मेघनाथ सिंह शिशौदिया, श्री रामेश्वर प्रसाद चौबे तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी के निधन पर शोकोद्गार	44-46
सदन की पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों द्वारा काली पट्टी बांधने के प्रकरण पर श्री अध्यक्ष का अनुरोध	46-47
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	47-48
जनपद फतेहपुर के ग्राम बहरौली में चकबन्दी प्रक्रिया के तहत अपूर्ण कब्जा, परिवर्तन को पूर्णतः कब्जा परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48-49
श्री कैलाशी राम, जिला पंचायत सदस्य, जिला आगरा की जानमाल की सुरक्षा कराने एवं वांछित केस में सम्बन्धित की गिरफ्तारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत देवकली पम्प नहर कामूपुर गांव पुल से उत्तर नाला तक ड्रेन निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में विधायक निधि द्वारा प्रस्तावित विद्युत कार्यों को शीघ्र कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
जनपद मिर्जापुर में रीवा रोड पर स्थित अम्बेडकर हास्पिटल के विद्युतीकरण में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50-51

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
वाराणसी कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 21-10-2006 को हुई वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित कतिपय गांव के किसानों एवं पीड़ितों को शासकीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
भदोही जिला अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौरी के भवन निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
मेरठ नगर के डफरिन चिकित्सालय में प्रस्तावित 33/11 के0वी0ए0 बिजलीघर को शीघ्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई खड्डा के कतिपय क्रय केन्द्रों को मनमाने ढंग से अन्य चीनी मिल को एलाट किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
जनपद चित्रकूट में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से स्वीकृत ग्रामों का तत्काल विद्युतीकरण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत भू-विस्थापित किसानों को अनुमन्य सभी भू-खण्डों का आवंटन कर कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
सहारनपुर के ग्राम वीराखेड़ी में तालाब पर किए गये अवैध कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54
पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-2004 में चयनित पांच गांवों में अभी तक विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54
शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् में 5 बड़े नालों की तली झाड़ सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	55
निदेश संख्या 165/166 के अन्तर्गत दिनांक 25 मई, 2006 को मेरठ में गंग नहर की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	55-56

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का दसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	120
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	120
प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा की शिक्षा देने वाली स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदानित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	120-121
जनपद खीरी में असामाजिक तत्वों द्वारा ग्राम दुबहा निवासी चन्द्रपाल सिंह व उनके साथी की ट्रक से कुचल कर हत्या किये जाने से सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 एस0 कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	121
जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज स्थित गण्डक नदी में नाव पलट जाने से हुई व्यक्तियों की मृत्यु एवं उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	121-123
मेरठ नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	123-124
जनपद शाहजहांपुर में 5 व 7 कि0मी0 हाटमिक्स प्लान्ट से बनने वाली सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 2005-06 व 2006-07 का कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	124
लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-एच में अवैध कोचिंग को बन्द करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	125
इलाहाबाद शहर के अलोपीबाग में मध्यवर्गीय हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्मित आवासों को विक्रय के आधार पर निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ के पुलिस लाइन में आपराधिक छवि के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	126-127
जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ...	127-128

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के अन्तर्गत पुलिस चौकी बोगरिया एवं रासेपुर को थाना बनाये जाने विषयक श्री संग्राम सिंह आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	62
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	62-64
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित)	64
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित)	65
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	65-85
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	85
अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	85
अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	85
अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	86
अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग (स्वीकृत)	86
अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग (स्वीकृत)	86
अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग (स्वीकृत)	86-87
अनुदान संख्या-60, वन विभाग (स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	87
अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)..	87
अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	88
अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	88-89
अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत) ...	89
उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 (जारी)	89-92
वित्तीय स्वीकृति पर लगे प्रतिबन्ध पर चिन्ता	92-94
उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 (पारित)	94
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	94-110
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों को नाम-निर्देशित किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	110
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	111-114
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित) ...	114-117
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	117-118
श्री राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष, विधान सभा द्वारा श्री सन्तोष कुमार शर्मा, उप जिलाधिकारी, फरीदपुर आदि के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने की सूचना	118
श्री सुरेन्द्र प्रताप, समीक्षा अधिकारी, विधान सभा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सचिव, विधान सभा के कार्यों से सन्तुष्ट न होने के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी को अपनी रिट याचिका में अनुपूरक शपथ-पत्र के साथ संलग्नक-4 के रूप में संलग्न किये जाने विषयक सदन की अवमानना की सूचना को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने की सूचना	118-119
डा0 दिनेश चन्द्र अवस्थी, विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, विधान सभा द्वारा श्री अनु प्रताप सिंह, अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के विरुद्ध अभिसूचित विधान सभा की अवमानना के प्रश्न की सूचना को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने की सूचना	119

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का दसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	120
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	120
प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा की शिक्षा देने वाली स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदानित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	120-121
जनपद खीरी में असामाजिक तत्वों द्वारा ग्राम दुबहा निवासी चन्द्रपाल सिंह व उनके साथी की ट्रक से कुचल कर हत्या किये जाने से सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 एस0 कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	121
जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज स्थित गण्डक नदी में नाव पलट जाने से हुई व्यक्तियों की मृत्यु एवं उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	121-123
मेरठ नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	123-124
जनपद शाहजहांपुर में 5 व 7 कि0मी0 हाटमिक्स प्लान्ट से बनने वाली सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 2005-06 व 2006-07 का कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	124
लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-एच में अवैध कोचिंग को बन्द करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	125
इलाहाबाद शहर के अलोपीबाग में मध्यवर्गीय हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्मित आवासों को विक्रय के आधार पर निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ के पुलिस लाइन में आपराधिक छवि के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	126-127
जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ...	127-128

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर, 2006 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-324

अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर

ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री — मऊ
कमलेश कुमार पाटक, श्री — कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
काशीराम, श्री — रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री — बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
कैलाश, श्री — गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
कौशल किशोर, श्री — खीरी
कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0 — उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री — हरदोई
गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
घूरा राम, श्री — बलिया
चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री — गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री — जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर

जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
जगराम सिंह, श्री — मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री — अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
दया राम , श्री — कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
देव नारायण उर्फ
जी0 एम0 सिंह, श्री — गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
धू राम लोधी, चौधरी — हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री — बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परमजीत, श्री — मुजफ्फरनगर
पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री — पीलीभीत
पूर्णमासी देह्यती, श्री — कुशीनगर
प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
प्रभु नारायण, श्री — चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
फागू, श्री — मऊ
बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
बाबूराम एम0 काम0, श्री — जालौन
बाबू लाल, श्री — गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री — बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ
मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
याकूब हाजी, श्री — मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ
योगेश भइया, श्री — गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
रणवीर राणा, श्री — मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :-औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम) तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में खाद की कमी तथा किसानों द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी नियम-311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पर खाद और बीज नहीं मिल पा रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आम आदमी भूख से मर रहा है, 311 में हमारी नोटिस है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसको जीरो आवर में ले लिया है। आपकी नियम-311 में दी गयी नोटिस को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, यह रबी की बुवाई का समय चल रहा है, किसानों को कहीं पर भी खाद और बीज नहीं मिल रहा है।

(श्री रंगनाथ मिश्र, श्री राम शंकर पाल, श्री धू राम चौधरी, श्री धर्म सिंह सैनी, श्रीमती विद्या चौधरी, श्रीमती माया प्रसाद तथा श्री अब्दुल मन्नान आदि बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्यगण नारे लगाते हुए वेल में आ गए)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, कहीं पर खाद नहीं मिल रही है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गयी है। खाद और बीज की गम्भीर समस्या किसान के सामने है, वह ब्लैक मार्केट में खरीद रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, आपकी सूचना आई थी, आपने उसे 311 में दिया था, खाद और बीज के सम्बन्ध में, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी एक सूचना दी थी, इन सबको नियम-56 में परिवर्तित करके जीरो अवर में सुनने के लिए मैंने स्वीकार कर लिया है। बेहतर है कि अब आप अपनी सीटों पर चलें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, बड़ी गम्भीर समस्या है, अवर्षण के कारण खरीफ की फसल अच्छी नहीं रही, अब रबी की फसल की बुवाई के लिए खाद और बीज किसान को नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने स्वीकार कर लिया है जब जीरो आवर में यह आयेगा तब आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा।

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में आए हुए सदस्य नारे लगा रहे थे)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

अब बात हो गयी है। क्या जीरो आवर में कुछ नहीं कहना चाहते हैं ? मा0 मौर्य जी और अन्य सभी सदस्यगण से मेरा आग्रह है कि आपको पूरा अवसर कहने के लिए मिलेगा, अब प्रश्न प्रहर चलने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ठीक है, आपका निर्देश है तो हम अपने सदस्यों को वापस बुला लेते हैं।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार करके बहुजन समाज पार्टी के सदस्य वेल से वापस चले गये)

नगर पंचायत चुनावों में धांधली सम्बन्धी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न लेते हैं, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री कौशल किशोर तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 14 परसेंट पोलिंगों पर पुनर्मतदान के आदेश हुए।

श्री अध्यक्ष-

यह सब जीरो आवर में है, बहुत सी नोटिसें आयी हैं, अब आप बैठ जायें। मैंने कहा है कि जीरो आवर में इसे ले लेंगे। इस प्रश्न पर मा0 तिवारी जी तथा और कई सदस्यों ने भी नोटिस दी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उस समय आप सुन लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब क्या एग्रीमेन्ट करायेंगे। तमाम सदस्यों की सूचनाएं आयी हैं अगर उसमें आपकी भी सूचना होगी तो सुन लेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन एवं 50% वेतन योग पर अनुमन्य मकान एवं नगर प्रतिकर भत्ता के भुगतान की मांग

**1-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री कौशल किशोर तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों को भी मूल वेतन एवं 50% मंहगाई वेतन के योग के आधार पर अनुमन्य मकान किराया

भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश शासन की कठिन वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए इस हेतु आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को राज्य सरकार वहन करने की स्थिति में नहीं है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक यह सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश के अन्दर जो भी केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य भत्ते वगैरह दिया करती थी वह यहां पर भी लागू होता था। जब से केन्द्र में यू0पी0ए0 की सरकार आयी उसका पालन नहीं कर रही है। जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन एवं पचास प्रतिशत महंगाई वेतन के योग के आधार पर अनुमन्य मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान किया जा रहा है उसे यहां उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए था लेकिन बहुत देर हो गयी है और अभी तक यह नहीं लागू हो पाया है तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्र ने कब निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश में कब हुआ ? यह केन्द्र क्यों दे रहो है और उत्तर प्रदेश में डिले क्यों हो रहा है ?

श्री शाहिद मंजूर-

मान्यवर, जो पचास प्रतिशत महंगाई भत्ता है उसे सरकार दे रही है। अभी पिछले महीने केन्द्र सरकार से जी0ओ0 आया था उसके अनुसार हम देंगे। जो परिपाटी यहां की है कि पहले केन्द्र सरकार देता है फिर हम करते हैं। सितम्बर, अक्टूबर में आया है। अभी पत्रावली शासन में विचाराधीन है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा है कि केन्द्र ने कब निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश में क्यों डिले हो रहा है ? जब पचास प्रतिशत महंगाई वेतन के योग के आधार पर अनुमन्य मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान केन्द्र कर रही है तो उसके अनुसार यहां भी राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों को मिलना चाहिए था।

श्री शाहिद मंजूर-

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि पत्रावली शासन में विचाराधीन है। शीघ्र ही इसमें निर्णय ले लिया जायेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

सरकार कब तक इसमें निर्णय ले लेगी ?

श्री शाहिद मंजूर-

इस वर्ष के अन्त तक इसमें निर्णय ले लिया जायेगा और दे दिया जायेगा।

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राजकीय कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की किश्त के भुगतान की मांग

**2-श्री राम शंकर पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राजकीय कर्मचारियों को माह जुलाई, 2006 से देय महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त महंगाई भत्ते का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शाहिद मंजूर-

जी नहीं।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष-

यह जो उत्तर आपने अभी दिया है और जो हमें मिला है इसमें अन्तर है। यह जो आप उत्तर दे रहे हैं यह प्रश्न संख्या-1 का उत्तर है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

प्रश्न संख्या-2 का उत्तर प्रश्न संख्या-1 में ले लिया गया है।

श्री शाहिद मंजूर-

मा0 सदस्य ने पहले वाले प्रश्न का उत्तर दूसरे में जोड़ दिया है। पहले वाले का सही उत्तर दिया गया था।

श्री राम शंकर पाल-

यह कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, यह यथाशीघ्र करा दिया जायेगा। पत्रावली शासन में विचाराधीन है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि यथाशीघ्र करा दिया जायेगा। बड़ा ही स्पष्ट प्रश्न आया है कि क्या केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राजकीय कर्मचारियों को माह जुलाई, 2006 से देय महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान कर दिया गया है। इसके पहले केन्द्र और प्रदेश के भत्ते एक समान थे। जब केन्द्र के भत्ते बढ़ते थे तो राज्य कर्मचारियों के भी भत्ते उसी के अनुसार बढ़ते थे तो इस सम्बन्ध में सरकार के समक्ष क्या कठिनाई है ? यह किसके समक्ष विचाराधीन है या यह किस स्तर पर विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यह किस स्तर पर विचाराधीन है ? अगर जानकारी हो तो बता दें।

श्री शाहिद मंजूर-

मान्यवर, यह मामला शासन में विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, प्रश्न का उत्तर आ गया। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

दादरी में गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु किसानों को दी गयी भूमि एवं समझौते की शर्तों की जानकारी

*1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनिल अम्बानी उद्योग समूह को दादरी में गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसानों की कृषि योग्य भूमि दी गई है ? यदि हां, तो उक्त उद्योग समूह से की गई समझौते की शर्तें क्या हैं ? क्या उनका पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जी हां।

उक्त उद्योग समूह से दिनांक 16 जून, 2004 को स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित हुआ है, जिसकी मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं :-

1-सरकार कम्पनी को 2500 एकड़ जमीन उपलब्ध करायेगी। जिसमें सरकारी भूमि व निजी भूमि दोनों सम्मिलित हैं।

2-परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध हो पाने वाली सरकारी भूमि 99 वर्ष के लिए 100 प्रति एकड़ वार्षिक लीज रेंट पर दी जायेगी।

3-समझौते के अनुसार निजी भूमि पर होने वाले व्यय का 60 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत रिलायंस इनर्जी जनरेशन लि0 द्वारा वहन किया जायेगा।

4-कम्पनी अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के दिनांक से 7 वर्ष के अन्दर व्यापारिक उत्पादन शुरू करने का हर सम्भव प्रयास करेगी।

5-यदि तर्क संगत समय-सीमा के अन्तर्गत कम्पनी कार्य प्रारम्भ नहीं करती तो भूमि तथा पुनर्वासन पर दी गई छूट ब्याज सहित वसूल ली जायेगी।

6-ऊर्जा नीति के अन्तर्गत अनुमन्य छूटों एवं रियायतों को दिया जायेगा।

7-कम्पनी उत्पादित विद्युत का 40 प्रतिशत उ0 प्र0 राज्य को देगी।

8-कम्पनी सीलिंग फिक्स कास्ट 1.25 प्रति किलो वाट रखेगी किन्तु भौतिक व वित्तीय परिवर्तनों के फलस्वरूप उक्त दर पुनरीक्षित की जा सकती है। पुनरीक्षण से पूर्व राज्य सरकार व कम्पनी आपस में विचार-विमर्श करेगी।

रिलायंस इनर्जी जनरेशन लि0 को 2100 एकड़ भूमि दी जा चुकी है। शेष भूमि दी जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। अन्य शर्तों का पालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में एग्रीमेन्ट पर जो हस्ताक्षर हुए, उसका उल्लेख किया है। मेरी एक जिज्ञासा यह है कि इस एग्रीमेन्ट को करने से पहले क्या सरकार ने किसी एक्सपर्ट कमेटी से इस बात का सर्वेक्षण कराया था कि जितनी विद्युत उत्पादन की इकाई लगने जा रही है, उस इकाई के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है ? क्या किसी सर्वेक्षण के आधार पर 2500 एकड़ जमीन निर्धारित हुई थी ? अगर उसका सर्वेक्षण हुआ था तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकारी और निजी दोनों प्रकार की जमीन उपलब्ध हैं। सरकारी जमीन के बारे में उन्होंने बता दिया कि 99 वर्ष के लिए 100 प्रति एकड़ वार्षिक लीज रेट पर दी जायेगी लेकिन प्राइवेट भूमि किस आधार पर और किन शर्तों पर ली जा रही है किसानों से उनकी उपजाऊ भूमि इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसको किस रेट पर लिया जा रहा है और उसका सर्वे रेट क्या है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी आदरणीय बाजपेयी जी ने पूछा कि किस आधार पर तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र गाजियाबाद में लग रहा है तो यह हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता थी, उसी के तहत ऊर्जा नीति बनाई गयी थी तो उसी ऊर्जा नीति के तहत सभी एक्सपर्ट और कई बार इस पर विचार-विमर्श भी हुआ और विचार-विमर्श के बाद जो उत्तर प्रदेश को भारी बिजली की कमी थी उसको पूरा करने के लिए यहां पर जो बाजपेयी जी ने कहा है और हमारी सरकार का आश्वासन भी था कि हम इस उत्तर प्रदेश को बिजली उपलब्ध करायेंगे तो यह जो संयंत्र गाजियाबाद में लग रहा है, मान्यवर, ऊर्जा नीति के तहत सभी एक्सपर्ट्स जितने भी एक्सपर्ट्स हिन्दुस्तान में मिल सकते हैं, उनके द्वारा तय किया गया। इसके साथ-साथ जो बाजपेई जी ने कहा भूमि के बारे में वहां के किसानों की एक समिति बनी है। महाराणा प्रताप संघर्ष समिति जो उस समिति ने तय किया था रेट यह 50 रुपये प्रति गज के हिसाब से जिसमें 30 प्रतिशत सोलोशियम, 12 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त प्रतिकर आदि सभी लाभ सम्मिलित हैं, उसके अनुसार वहां के किसानों को 50 रुपये प्रति गज के हिसाब से वहां की कीमत किसानों को दी गयी है तो यह जो संयंत्र का काम था वह शुरू हो गया है। बहुत बाधाओं के बावजूद भी तेजी के साथ काम शुरू हो गया है और यह संयंत्र जब लग जाएगा तो उत्तर प्रदेश को बिजली में बहुत कामयाबी इससे मिलेगी और जितनी बिजली बनेगी उसका 40 प्रतिशत इस उत्तर प्रदेश को भी मिलेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि देश में जितने भी एक्सपर्ट्स उपलब्ध थे उनकी राय लेकर यह कार्य किया जा रहा है और यह भी कहा गया कि बिजली की जो कमी है बिजली की उपलब्धता कराने का सरकार का प्रयास है और इसी दिशा में यह गैस आधारित संयंत्र लगाया जा रहा है। मान्यवर, इसमें कोई मतभेद नहीं है। प्रयास ठीक है। यह हम जानना चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स कमेटी ने

कितनी भूमि इसके लिए तय की थी और कितनी अर्जित करायी जा रही है ? दूसरे आपने बताया कि किसानों की समिति जो बनी उसकी सहमति से 150 रुपये प्रति गज के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां का सर्किल रेट क्या है ? तीसरे इस अनुबन्ध की हस्ताक्षर की तिथि क्या थी ? इसके अलावा यह भी जानना चाहता हूं कि अनुबन्ध की तिथि के बाद से जो इस कार्य में आवश्यक प्रगति होनी चाहिए थी यदि वह है तो ठीक है और यदि प्रगति धीमी है तो जो इसकी समय-सीमा सात वर्ष की है उसमें गति को बढ़ा कर शेष कामों को शीघ्र पूरा कराने की सरकार की कोई योजना है ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बाजपेयी जी ने अच्छा सवाल किया है जिससे हमें कुछ कहने का मौका मिल गया है। जहां तक बिजली के संकट की बात है, बिजली का संकट है उसके बावजूद भी उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छी बिजली दे रहा है। मान्यवर, गाजियाबाद में अम्बानी को जो प्रोजेक्ट दिया गया, हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकता है बिजली और किसान। यह पहली सरकार ऐसी है जिसने 10 साल के बाद यहां पर बिजली के उत्पादन का इन्तजाम किया है। बिजली के बिना कोई भी विकास नहीं हो सकता, दुनिया का विकास नहीं हो सकता, यह सोच बन रही है। उसके चलते ही अम्बानी ग्रुप यहां आया और कोई दूसरा तैयार भी नहीं था। क्योंकि आप लोगों ने ऐसा वातावरण बना रखा है, यहां बैठे हुए साथियों ने कि कानून व्यवस्था खराब है जो गाजियाबाद में जाएगा उसका अपहरण हो जाएगा। बहुत बाधायें इसमें डाली गयी और हमें उन्हें कितना विश्वास दिलाना पड़ा यह हम जानते हैं। कानून व्यवस्था खराब कह कर आज तक इस उत्तर प्रदेश के विकास में बाधाएं डाली गयी हैं इसके बावजूद भी हम लोगों ने किसी तरह से यह परियोजना लाने का फैसला किया है। इसका शिलान्यास किया। जहां तक जमीन की बात आपने उठाई आपकी जहां-जहां सरकार है आप देख लें, वहां जमीन कितनी दी जा रही है। विरोध करने वाले साथियों से मैं पूछ रहा हूं। हरियाणा में 25 हजार एकड़ दी गयी है जबकि यह कितना बड़ा प्रदेश है। लेकिन हमारी नीयत हैं जहां तक किसानों का सवाल है आप यह पता लगा लीजिए कि बगल में जो जमीन दी गयी है वह जमीन कैसी है। वह जमीन की 3-4 महीने पहले रजिस्ट्री की गयी है। कितनी कीमत दी गयी, तीन गुने से ज्यादा पैसा किसानों को दिया गया है। किसानों की सहमति से जमीन ली गयी है। दस्तखत किये हैं उन्होंने तब उनकी जमीन ली गयी हैं। यह भी कहा गया कि उनकी सहमति होगी तब जमीन ली जाएगी। उनकी सहमति के बिना जमीन नहीं ली गयी। 2-3 गांव वाले कहते रहे और उसके बाद वह भी सहमत हो गये। वह जमीन भी उपजाऊ नहीं थी लेकिन तीन गुना से ज्यादा जमीन की कीमत दी गयी उसके बाद कितना दुष्प्रचार है अध्यक्ष महोदय कि किसानों की जमीन सस्ती ली गयी लेकिन आपने कितनी लुटवाई, आप बहस करा दीजिए उस दिन हम बता देंगे। हरियाणा में 25 हजार एकड़, गुजरात का तो पता नहीं कितनी और पश्चिम बंगाल में 10 हजार एकड़ दे दी और सीधे दरख्वास्त दी और सीधे कैबिनेट में गये मुख्य मंत्री। वहां पर आपकी पार्टी है पता कीजिए तो पता चल जाएगा। एक हम डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। लेकिन कभी भी विद्युत उत्पादन में हमने विरोध नहीं किया और न करेंगे, बिजली के उत्पादन में सहयोग का रास्ता निकालेंगे। आज पूरा का पूरा समर्थन देने वाले

कांग्रेस बैठी है। कहा जा रहा है कि बरबाद किया है उत्तर प्रदेश को आपने बेच दिया जमीन को पूरा बेच दिया पूरी लुटा दी जमीन तो आज संकट है। किसानों की ली गयी जमीन की कीमत ज्यादा दी गयी, समझौते क्या-क्या हुए थे तो कर लीजिए बहस, तो ला देंगे। बही खाता और बता देंगे कि क्या-क्या समझौते हुए थे। हमने ढाई साल के अन्दर उत्तर प्रदेश को बिजली देने की योजना बनाई थी, साढ़े सात हजार मेगावाट में तो थोड़ा समय लगता यह कुछ ऐसा रास्ता निकाला गया था कि पहले ढाई साल के अन्दर देंगे। लेकिन पहले दोनों भाइयों को लड़ाया गया और आरोप लगा हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह पर कि लड़ाई कराई। आप जानते हैं, प्रमोद तिवारी जी अच्छी तरह से जानते हैं और लड़ाई कराने के बाद जब समझौता हो गया और जब गैस आधारित इस प्लांट में गैस देने का जब सवाल आया तो केन्द्र सरकार ने कहा कि गैस की कीमत हम तय करेंगे तो क्यों नहीं तय कर रहे हैं क्यों नहीं गैस दे रहे हैं ? हम ज्यादा कहना नहीं चाहते हैं यह किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है जो नौजवान बेरोजगार थे जो सारे कार्यक्रम चले कन्या विद्या धन से ले करके उससे इनको आग लगी है। सरकार एक इतिहास कायम करके जा रही है, एक बुनियाद ऐसी रखी है कि गरीबों की उपेक्षा नहीं कर सकते, आप पिछड़ों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आपका क्या है सारे कार्यक्रम पिछड़ों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ केवल यही इनका हथियार है तो हर जगह अध्यक्ष महोदय इस उत्तर प्रदेश में कितनी पी0आई0एल0 है पीआई0एल0 करके देखों पश्चिम बंगाल में हम जानते हैं कि आपकी पार्टी को कैसे-कैसे कहां रखे हैं, हरियाणा भवन में रखे हैं जाने कहां-कहां रखे। मकान बेचे, जमीन बेची, यह सब कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है इसलिए कर रहे हैं बरदाश्त कभी नहीं करेंगे। लेकिन अब हम जानते हैं कि इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और बता रहे हैं माननीय हुकुम सिंह जी आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी, जिस तरह से हो रहा है गरीबों के खिलाफ। आज बिजली है नहीं कहीं हर जगह वायदा हो रहा है, ये गैस देंगे लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जिससे यह श्रेय मुलायम सिंह को या समाजवादी पार्टी की सरकार का न हो, गठबन्धन की सरकार को जाय यह तो जनता भी समझती है। यह देंगे तो आप कभी पूछते कि बिजली गैस क्यों नहीं दे रहे हैं। यही तो सवाल है इसमें गैस नहीं दे रहे हैं हम कह रहे हैं कि गैस दो, गैस क्यों नहीं दे रहे हो। आप देखेंगे पूरे हिन्दुस्तान में केन्द्र सरकार कारखाने लगा रही है। सरकारी, बिजली का उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं, सजा दे रहे हैं जनता को कि आपने यह सरकार क्यों बनाई और सबसे बड़ी पार्टी चुनकर क्यों भेजी। आप मिले हुये हैं, आपके माननीय अध्यक्ष कहां हैं ? अगर आप चाहेंगे तो एक मिनट में सरकार गिर जायेगी। आप कहते हैं कि यह रोज-रोज घोटाले कर रहे हैं, क्या इसकी जांच करायेंगे ? कहते हैं मुलायम सिंह को जेल भेजेंगे। लेकिन यह जेल भेजने वाले एक कोने में बैठे हैं तो मैं तो कहता हूं कि आप दोनों मिले हुए हैं और यह साबित हो गया।

श्री हुकुम सिंह-

आप केन्द्र सरकार से समर्थन वापस लेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड है, मेरे पास और यह बैठक रखी है, जैसे पार्टी का कार्यालय है। पार्टी का जैसे कार्यालय होता है वैसे राजधानी को बना रखा है, अब कराओ भंग, हम तो कहते हैं, कल करा दो भंग। आप रोजाना भंग करा रहे हैं, आप और आप दोनों अब तो जनता में यह साबित हो गया है कि सारे यह दल बैठकर भंग करो, भंग करो, भंग करो, कर दो भंग, पता चल जाये कि भंग करने का क्या नतीजा होता है, करो भंग हम तो तैयार हैं। हम तो चुनाव में जाना चाहते हैं, जनता भी जाना चाहती है, आप दबंगई के माध्यम से जीतना चाहते हो, राष्ट्रपति शासन में जीतना चाहते हो, बेईमानी से जीतना चाहते हो, उसके बाद बेईमानी के आरोप लगाते हो, मैं जानता हूं कि बेईमानी कैसे होती है, यह शिवपाल 1991 के चुनाव में हमारे लिये प्रचार कर सके थे क्या ? 5 हजार लोगों की जमानतें हुईं, हाईकोर्ट से। अध्यक्ष महोदय, हम तो थे प्रचार में। अब उन्होंने भी यही किया है कि 1985 के चुनाव में रामजी शाक्य जो एम0पी0 रहे हैं, वह अपने गांव में वोट तक नहीं डाल सके थे, उस समय आपकी सरकार थी, कैसे लूट की गयी और मुझे डी0आई0जी0 और कमिश्नर ने कैसे बैठा दिया, चुनाव में, कहां लिये चले गये और प्रचार कर दिया कि मुलायम सिंह मर गये, हत्या हो गयी, मुझे दिबियापुर छोड़ा, न जाने कहां छोड़ा, वह दिन मैंने देखे हैं, बेईमानी वह होती थी। यह तो निष्पक्ष और सादगीपूर्ण चुनाव हुये हैं और यू0पी0 के इतिहास में ऐसे निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं हुये। इतना झूठ आप तो जिद्दियां कर बेईमानी करवाते हो कि लोग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सकते थे, वह भी हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास न कार्यकर्ताओं की कमी है, हमें कौन सी पुलिस फोर्स की जरूरत थी, कभी पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं रही, कभी भी चाहे कितने भी शक्तिशाली रहे हो आप। मैंने भोगा है, लेकिन आप पर, किसी पर कोई बदले की भावना से काम नहीं किया। इसलिये हम कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी और बी0जे0पी0 दोनों मिले हुये हो, यह दोनों गाजियाबाद में बिजली का कारखाना नहीं लगने दे रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा और उत्तर प्रदेश पिछड़ जायेगा। इनकी नीयत नहीं है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश विकास करे, उत्तम प्रदेश बने, आदर्श प्रदेश बने, लेकिन फिर भी आप इसे रोक नहीं सकते हैं। 12 तारीख को आइये, आपको निमंत्रण दे रहे हैं, बिजली का प्रोजेक्ट लगायेंगे हम और तरीके से लगायेंगे लेकिन बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

टण्डन जी खड़े हैं, कम से कम इतना तो देखिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, एक दिन बहस करा लें, मैं बहस के लिये तैयार हूं। एक घण्टे नहीं दो घण्टे की बहस करा लें।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

किस विषय पर ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सभी विषय पर, जो जवाब दिये जायेंगे सब पर जनरल, यह भी होगा, बिजली भी होगा।

श्री लालजी टण्डन-

कोई भी बहस स्वीकार है लेकिन यह तो पता लगे कि आखिर बहस किस विषय पर होनी है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

बिजली प्रोजेक्ट पर और बी0 जे0 पी0 और कांग्रेस दोनों मिलें हैं, इन दोनों पर भी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, पूरा प्रदेश जानता है कि बी0 जे0 पी0 और समाजवादी पार्टी मिली हुई है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी को आज बी0 जे0 पी0 और कांग्रेस दिखायी पड़ रही है। या तो मैं समझता हूं कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भी वक्तव्य दिये हैं, देखिये जो राजभवन पर कहा, राज्यपाल के माध्यम से चुनाव जीतने की बात कही, मान्यवर, मुख्य मंत्री द्वारा कहा गया यह कथन असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष-

टण्डन जी खड़े हैं और आप बोल रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है, आप नहीं बोल सकते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, क्योंकि जगदम्बिका पाल ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ राजभवन के लिये कहा है, वह शब्द असंसदीय है, आपके लिये वह आसमानी ताकत हो सकते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के लिये जमीनी व्यक्ति हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। राजभवन सिर्फ राजभवन है, मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहा है न तो राज्यपाल के लिये कुछ कहा है और न अवमानना का शब्द कहा है न उनका कोई नाम लिया है मगर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन और राज्यपाल के बीच एक कड़वे रिश्ते कायम किये, उसी तरह समाजवादी पार्टी और राज्यपाल के बीच कड़वे रिश्ते कायम करना चाहते हैं और प्रदेश का अहित चाहते हैं। आपको याद होगा यही माननीय सदस्य थे, जिन्होंने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय का विरोध किया था, यह व्यक्ति थे, यही कांग्रेस पार्टी थी, जिन्होंने राजभवन को पार्टी बना दिया था मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब, आप बैठ जाइये। टण्डन जी बोल लें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, बात चल रही थी बिजली की और मुख्य मंत्री जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं पहले बिजली पर ही आता हूं। क्या रिलायंस पावर इनर्जी कारपोरेशन ने कहीं पर भी टर्बाइन बनाने के

आदेश दिये हैं ? खासतौर से यह भेल में बनते हैं तो भेल में क्या कोई आदेश दिये गये हैं कि टर्बाइन चाहिये। एक टर्बाइन बनाने में तीन साल लगते हैं, आज तक कोई आदेश गया ही नहीं है तो कैसे बिजली मिलेगी यह बात पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं ? दूसरा गैस से चलने वाला पावर स्टेशन बनने वाला है, गैस की पाइप लाइन की शुरुआत ही नहीं हुई है, गैस मिलने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तीसरी बात जमीन की है, गुजरात, बंगाल और सबका तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने गिना दिया, वहीं के पड़ोस का देखिये, मैं आंकड़े बता रहा हूं, जी0 बी0 ए0 ने जो टीलाशाह बादपुर में 280 रुपये मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया है, नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में 425 रुपये मुआवजा दिया है, ग्रेटर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में 350 रुपये दिया है, बुलन्दशहर कालिन्दी योजना में 178 रुपया दिया गया है, हापुड़ आनन्द बिहार योजना में 275 रुपये दिया गया है, मेरठ गंगा नहर योजना में 240 रुपये दिया गया है और किसानों की खुशी से जहां मुआवजा दिया गया है वहां 150 रुपये के हिसाब से दिया गया है बजेहड़ा में। इस बात को कितनी बार कहा जाएगा, मैं समझता हूं कि अभी तक यह तय नहीं है कि कितने पांवर मेगावाट का यह पांवर स्टेशन लगने वाला है। शुरू में कहा गया था कि 10 हजार मेगावाट का बनेगा तो 10 हजार के हिसाब से जमीन दे दी गयी, अब पता लग रहा है कि 240 का पहले लगायेंगे और 240 में भी 40 परसेंट हमको बिजली मिलेगी। क्या हम कर रहे हैं, कितना हम दे रहें हैं और कितना हमको मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। यह प्रश्न अपनी जगह कायम है। अब दूसरे प्रश्न में आपने यह कहा कि कांग्रेस को इस दशा में पहुंचाने के लिये हम जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस को सत्ता में न आने देने के लिये हमने जनसंघ का विसर्जन किया था और आप हमारे साथ थे। गैर कांग्रेसवाद में डा0 लोहिया, श्री जय प्रकाश नारायण जी अगुवाई कर रहे थे, और इन्दिरा गांधी को परास्त कर दिया था। हम तो आज भी इनका (स0 पा0) विरोध कर रहे हैं लेकिन आप इनका समर्थन कर रहे हैं, और वे आपका (कांग्रेस पार्टी) समर्थन कर रहे हैं तथा हमारे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं कि हमारा इनके साथ समर्थन है। मान्यवर, तीसरा प्रश्न ले आये चुनाव में हुई धांधली के बारे में। कई नोटिसेज आपके पास हैं, पहले वही ले लीजिये। मा0 मुख्य मंत्री जी ने जब अपनी तरफ से इस विषय को छेड़ दिया है तो चर्चा का विषय बन गया है।

श्री अध्यक्ष-

जब 'जीरो आवर' आयेगा तब लिया जायेगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जब नेता सदन ने विषय को प्रस्तुत कर दिया है तो वह विषय चर्चा का पात्र बन ही जाता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न के सम्बन्ध में बातें चल रही थी, मा0 नेता सदन ने हस्तक्षेप करके कुछ बातें कही हैं। नोटिसेज 'जीरो आवर' के लिये है, उस समय उसे देखा जायेगा। अब मैं तारांकित प्रश्न संख्या-2 ले रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि हम आपके साथ नहीं थे, इमरजेंसी की मार थी, सभी दलों ने अपने-अपने झण्डे फेंक दिये थे, सारे निशान मिटा दिये थे। हम सब एक साथ लड़े थे लेकिन लोकतंत्र की बहाली के लिये लड़े थे, हम आपके साथ नहीं थे लोकतंत्र के साथ थे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि नेता सदन ने इण्टरवीन करते हुये बहुत सी बातें कहीं, उनका अधिकार है वह कह सकते हैं परन्तु इस प्रश्न से संबंधित नहीं था। माननीय नेता विरोधी दल ने मेरा जवाब दे दिया, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है आपके साथ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कभी न गठबन्धन था न सत्ता में थे, नेता विरोधी दल ने कहा, हम भी कह रहे हैं, जहां तक मुझे याद है 1977 में आपने इनके साथ (भा0ज0पा0) मिलकर चुनाव लड़ा था।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इतिहास को मत बदलिये। उस समय श्री जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया गया था।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह उनके साथ थे या ये उनके साथ थे पर दोनों साथ-साथ थे, यह एक हकीकत है। वर्ष 1989 में मैं स्वयं इस विधान सभा का सदस्य था, हमने आप दोनों को साथ देखा है और इसी विधान सभा में देखा है, चुनाव लड़ते हुये देखा हैं हम तो सरकार का समर्थन कर चुके हैं 1990 में किया था वह आज भी कह रहा हूं लेकिन आपके साथ (भा0ज0पा0) अपना नाम जोड़ना हमें मंजूर नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाली कांग्रेस के साथ रहने में हमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

हर दल को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है, मुझे भी करनी थी। हमने 1977 में साथ-साथ देखा, 1989 में साथ देखा और ये दोनों गवाह हैं साथी भी रहे हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। बात बिजली की चल रही थी तो बिजली की बात पर आयें तो प्रश्न यहां पर उठाया था डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने किन्तु यहां पर जो यह कहा जा रहा है कि राजभवन को पार्टी कार्यालय बना रखा है इस सम्बन्ध में मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राजभवन का पार्टी कार्यालय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको अधिकार है अपनी बात कहने का तो मेरा भी अधिकार है अपनी स्थिति स्पष्ट करने की एक परम्परा रही है कि राज्यपाल का नाम नहीं लिया जाता ...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव-

कल रात कांग्रेस पार्टी और बी0 जे0 पी0 राजभवन में क्या कर रही थी ? मुरादाबाद के बारे में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी परसों शाम से लेकर कल रात तक एक साथ थे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जहां तक मुरादाबाद की बात है अगर 11.42 बजे को हम कहें कि 11 बजकर बयालीस मिनट हुये हैं और भारतीय जनता पार्टी भी यही कहे तो क्या हम साथ हो गये।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री प्रमोद कुमार-

नेता सदन खड़े हुये हम बैठ गये लेकिन एक पार्टी पर प्रहार होता रहे और उस पार्टी को अपनी बात भी न रखने दी जाये तो फिर यहां बैठकर क्या होगा फिर तो मुझे बहिर्गमन करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री प्रमोद कुमार-

मुरादाबाद में जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में इस समय बात नहीं हो रही है सवाल यह है कि किसने किसके साथ सीटों का गठबन्धन करके चुनाव लड़ा और कौन गठबन्धन में शामिल हुआ, किसने मिलकर चुनाव लड़ा किसने किसको समर्थन किया। मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष कभी रिश्ता नहीं रहा जबकि समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ कल भी रिश्ता था और आज भी रिश्ता है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 1989 की जो बात कही गई उसके बारे में राम नरेश यादव जी जानते होंगे कि जो आज बड़ी वकालत कर रहे हैं उन्होंने लोक सभा में समझौता कराया था लेकिन हमने विधान सभा में समझौता नहीं किया। नेता विरोधी दल से विधान सभा में कोई समझौता नहीं हुआ था उस समय हम यहां अकेले चुनाव लड़े थे।

श्री प्रमोद कुमार-

मैंने यह नहीं कहा कि विधान सभा में समझौता हुआ मैंने यह कहा कि वर्ष 1989 में आप दोनों साथ थे चाहे विधान सभा में हों या लोक सभा में आपने स्वयं मान लिया कि लोक सभा में साथ थे। मुझे पता है कि यहां बैठकर कल्याण सिंह जी इस सरकार का समर्थन करते थे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मान लिया कि जो आपका विरोध कर रहे हैं उन्होंने लोक सभा में समझौता कराया था। जो यह कहा जा रहा है कि उस उद्योग समूह में हमने झगड़ा कराया तो हमने नहीं एक नेता हैं वह जिस घर में घुस जाते हैं भाइयों में झगड़ा हो जाता है। पता नहीं क्यों कांग्रेस

पार्टी का बार-बार नाम लिया जाता है मैं दृढ़ता पूर्वक कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ न तो हमारा सम्बन्ध रहा है और न भविष्य में रखेंगे लेकिन आप दोनों पहले भी मिले हुये थे और आज भी मिले हुये हैं इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

श्री लालजी टण्डन-

कांग्रेस नाम की संस्था से न हमारा कभी सम्बन्ध था न ही हम कभी सम्बन्ध रखेंगे इससे बड़ा हमारा अपमान नहीं हो सकता है जिसने देश को बरबाद कर दिया जिसने देश का बंटवारा कर दिया उसके साथ हम सम्बन्ध की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही साम्प्रदायिक नेताओं के साथ हम सम्बन्ध नहीं रख सकते इसलिये यह तोहमत हमारे ऊपर नहीं लगाई जानी चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रमोद तिवारी ने अपने को बहुत बड़ा सेकुलर साबित करते हुये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सम्बन्धों के बारे में तमाम उदाहरण गिनाये। भारतीय जनता पार्टी के साथ 1977 में जो दौर गुजरा है। वह देश के इतिहास का काला दौर था 1975 से लेकर 1977 तक का बदतरीन दौर था और वह लोकतंत्र की मौत का दौर था। जिन चीजों को अपना सेक्युलरिज्म मानते हैं, और जिन लोगों के साथ लेने की होड़ लगी हुई है जिसमें मुरादाबाद निशाना बन गया। भारतीय जनता पार्टी, आप बुरा न मानियेगा। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिये मुरादाबाद में उसके मेयर को जिताने के लिये कांग्रेस पार्टी जिसकी जमानत जब्त हो गई वो सिर्फ इतने वोटर गिनवाना चाहती थी जिससे कि समाजवादी पार्टी का मेयर हार जाय और भारतीय जनता पार्टी का मेयर जीत जाय। मान्यवर, इनको इतिहास सुनना होगा। दो मिनट सुनना होगा प्रमोद तिवारी जी को। उन्हें यह दिन क्यों देखने पड़े 1975 से लेकर 1977 तक। काले दिन क्यों देखने पड़े देश को। 1947 में आजादी के फौरन बाद देवबंद पर समाजवादी पार्टी नहीं थी उस वक्त। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी कहीं देवबंद पर। मौलाना हुसैन अहमद बदरी, मुसतना दिलोवां फांसी के तख्ते पर जहां के चढ़े उस पर 1947 में आजादी के बाद पहला छापा अगर किसी ने देशद्रोही का इल्जाम करके लगाया तो देवबंद पर कांग्रेस ने छापा मारा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की अगर किसी ने 1947 के बाद आजादी के बाद खत्म की इस नाम पर कि यह उर्दू यूनिवर्सिटी है तो इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1947 के बाद यह कह कर बन्द कर दिया गया कि इसने पाकिस्तान बनवाया। 42 हजार साम्प्रदायिक दंगे अगर किसी ने कराये तो यह कांग्रेस थी। कानूनी शरियत बदलवाया तो वह कांग्रेस थी। मरणोपरान्त जिनकी लाश पूरी तरह जल नहीं सकी थी वह देश के प्रधानमंत्री थे और उनके रहते हुये 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी थी। मान्यवर, यह उसका अंजाम था। इसलिये आप भारत की सरकारों से गायब हुये हैं। किसी को दोष देने से मान्यवर, कुछ नहीं होगा। और मुरादाबाद में आपकी कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को मेयर का पद नहीं मिल सका। इसका आपको दुःख है और हमें भी आपसे हमदर्दी है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

(श्री प्रमोद कुमार के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपने पूरा कह दिया। क्या आगे भी यही चलता रहेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, स्थानीय निकायों का जहां तक ताल्लुक है। अब एक आध निगम में आप आ गये हैं। हम तो मान्यवर पिछले जमाने में भी एक ही निगम हमारे पास था और आज भी एक ही निगम है लेकिन स्थानीय निकायों में समाजवादी पार्टी का परचम जिस तरह से लहराया है सारी परेशानी उसकी है और मान्यवर, यह सब काम के बदले में लहराया है। पहली बार काम हुआ है मान्यवर, गुणवत्ता के साथ काम हुआ है। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता में कभी कोई लाया है तो वह आप लाये होंगे हम नहीं लाये हैं। आपके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का सुख देखा है मान्यवर, और दूसरी बात मान्यवर, जिनकी भारत माता के प्रति, भारत के संविधान के प्रति विश्वास और आस्था नहीं है उनसे हमें किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं हैं अपने सेक्युलर होने की। मैं सेक्यूलर हूं और सेक्यूलर रहूंगा। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सेक्यूलर और कोई पार्टी नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-52 में दीजिये। उसमें चर्चा की बात आ जायेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आप स्वीकार तो करिये।

श्री अध्यक्ष-

वह हम कर लेंगे।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, दादरी का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये। उस पर बात आ गई।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत लाइन हानि पर नियंत्रण हेतु किये गये उपाय

*1-डा0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विद्युत लाइन की हानि अधिक होना वर्तमान विद्युत संकट का मुख्य कारण है ? यदि हां, तो लाइन हानि पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कारगर

उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दस सबसे अधिक लाइन-हानि वाले जनपद कौन-कौन से हैं तथा उनमें लाइन-हानि कम करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी हां।

विद्युत लाइन हानि भी आंशिक रूप से विद्युत संकट का एक कारण है।

जी हां।

प्रदेश में लाइन हानि पर नियंत्रण हेतु किये गये उपाय निम्नवत् हैं :-

1-उपभोक्ताओं के परिसर पर स्थापित मैकेनिकल मीटरों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जा रहे हैं।

2-बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के यहां स्थापित इलेक्ट्रानिक मीटरों की एम0 आर0 आई0 आधारित बिलिंग की जा रही है।

3-उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन के प्रवर्तन दल एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं। यथा वित्तीय वर्ष 2005-06 में तीन विशेष अभियान क्रमशः दिनांक 10-12-05 से 25-12-05 दिनांक 02-02-2006 से 03-02-2006 एवं 11-02-2006 से 17-02-2006 तक की अवधियों में 13 महानगरों व जिलों में तथा दिनांक 16-02-2006 से 04-03-2006 तक 44 जिला मुख्यालयों पर अभियान चला कर विद्युत चोरी को पकड़ने का कार्य किया गया।

4-लाइन हानियों को कम करने के लिये विद्युत लाइनों का सुदृढ़ीकरण, पावर/वितरण ट्रांसफारमर्स की क्षमता वृद्धि, नई लाइनों एवं उप संस्थानों का निर्माण, ग्रामों का विद्युतीकरण एच0 वी0 डी0 एस0 प्रणाली द्वारा किया जाना, घनी आबादी/चोरी बाहुल्य वाले क्षेत्रों में एरियल बन्च कण्डक्टर का प्रयोग, प्राथमिक व द्वितीय प्रणाली के उप संस्थानों पर लगे हुये केपीसीटर बैंकों को यथा संभव चालू स्थिति में लाया जाना आदि उपाय शामिल है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के दस सबसे अधिक ऊर्जा हानि (मि0 यू0) वाले जनपद निम्नलिखित हैं :-

1-आगरा

2-गाजियाबाद

3-लखनऊ

4-मुजफ्फरनगर

5-इलाहाबाद

6-मेरठ

7-सहारनपुर

8-वाराणसी

9-मुरादाबाद

10-मथुरा

डॉ0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में पिछले एक दशक में विद्युत का उत्पादन लगभग नगण्य के बरबार रहा है। हालांकि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने सार्थक कदम उठाए हैं लेकिन अभी और गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसानों को बिजली देने के मामले में कुछ लोग टांग अड़ा रहे हैं तो यह निन्दनीय बात हैं कोई किसानों के विरुद्ध बिजली देने में टांग अड़ाता है तो उसकी जितनी निन्दा की जाए वह कम है। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में संकट है इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। विद्युत लाइन का संकट लाइन लासेज के कारण बढ़ा है, इसमें ज्यादातर चोरी है। सरकार ने इसमें प्रयास किए है। चार बिन्दुओं पर मंत्री जी ने अपने उत्तर में प्रकाश डाला है और लाइन लासेज की चोरी रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं यह कहा है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के सापेक्ष लाइन लासेज का प्रतिशत प्रदेश में क्या है ? दूसरी बात जिस तरह से लोक निर्माण मंत्री ने कहा है मैं लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल जी से कहना चाहता हूं कि लोक निर्माण मंत्री जी के रूप में सड़कों की गुणवत्ता बनाने के लिए ठेकेदारों को भ्रष्ट इंजीनियरों को जो जेल भेजने का काम किया है। क्या उसी तरह से विद्युत चोरी में ऐसे भ्रष्ट अभियन्ताओं के कर्मचारियों के लिप्त पाए जाने पर उनको जेल भेजने का काम करेंगे ? क्या मंत्री जी ऐसा आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछें।

डॉ0 अजय कुमार-

राष्ट्रीय स्तर के सापेक्ष प्रदेश में लाइन लासेज का प्रतिशत क्या है ? दूसरी बात जो चोरी में लिप्त भ्रष्ट इंजीनियर और कर्मचारी हैं उनको जेल भेजने का आश्वासन सदन में मंत्री जी देंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसमें इतनी बड़ी भूमिका बनाने की क्या जरूरत थी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष-

यह जानना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर के सापेक्ष विद्युत लासेज कितना है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

करीब चार प्रतिशत लासेज इस समय है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

चार प्रतिशत भी है और 40 प्रतिशत भी है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, अभी तक बिजली चोरी रोकने हेतु कई जगह पर रेड डाली गयी है, माह अप्रैल, 2005 से माह फरवरी, 2006 तक 3,41,296 उपभोक्ता चेक किए गये, जिनमें से 26,6,98 बिजली

चोरी के प्रकरण पकडे गए और 11,974 उपभोक्ताओं के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है और 992 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। कुल 8,973 लाख रुपये की वसूली की गई है। इस तरीके से कार्यवाई चल रही है, पूरे प्रदेश में। छापे मारे जा रहे हैं और जो भी चोरी करने वाले चोर हैं, वह बक्शे नहीं जायेंगे और अगर पकड़े गए तो एफ0आई0आर0 भी होगी और एफ0आई0आर0 होगी तो जेल भी जायेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया कि लाइन लॉस है और इसे कम करने के उपाय किए जा रहे हैं, छापे भी डाले जा रहे हैं और जो भी पकड़ा जायेगा, उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 होगी। मान्यवर, आप भी जानते हैं कि लाइन लॉसेज और विद्युत चोरी, विभाग के कर्मचारियों और अभियन्ताओं की मिली भगत के बिना नहीं हो सकती है। मंत्री जी ने एक बात कही कि जो उपभोक्ता चोरी करते पकड़ा जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाई होगी लेकिन जो बिजली विभाग के लोग हैं, जिनकी मिलीभगत से यह चोरी हो रही है, इससे सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस दिशा में सरकार कोई कार्य-योजना बनायेगी, क्योंकि लाइन लॉसेज और विद्युत चोरी मिलीभगत के बिना नहीं हो सकती है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि समाचार-पत्रों से मालूम होगा, इतनी कड़ी कार्यवाई कभी नहीं की गई। यह सही है कि मिलीभगत के बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, मिलीभगत का पर्दाफाश हो रहा है और जहां भी इस तरह की आपको जानकारी होगी तो उनके खिलाफ कार्यवाई होगी और हम कार्यवाई कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसी अड़चनें हैं, जिसे मैं आपको बता दूंगा। अभी बीच में बहुत सी कार्यवाइयां हुई भी हैं। हम कहना चाहते हैं और यह सही है कि जितनी बिजली की चोरी हो रही है, उसे रोकने के लिए हम लोग भी सचेत हो जायें तो काफी राहत हो सकती है और प्रदेश का संकट दूर हो सकता है।

(इस समय 11 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, इलाहाबाद के अन्दर 132 के0वी0ए0 का एक सब-स्टेशन स्वीकार हुआ था और उसके लिए सेना से जमीन मिलने की बात हो रही थी लेकिन अब सेना ने मना कर दिया है। अगर कोई स्टेट लैंड मिल जाए तो समस्या का समाधान हो जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हम दिखवा लेंगे और विचार भी करेंगे।

श्री राम इकबाल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, एक प्रश्न मैं भी करना चाहूंगा, मंत्री जी और सरकार की नीयत बिजली देने की है, बात साफ है लेकिन जो तार जर्जर हो गए हैं, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गये तार टूट कर गिरते रहते हैं, उनको बदलने की कोई योजना नहीं है। लकड़ी के खम्भे भी

खड़े हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने लाइन लॉसेज को कम करने और जनता को राहत देने के लिए ऐसे लकड़ी के खम्भों को बदलने और पुराने जर्जर तारों को बदलने की कोई कार्य योजना बनाई हैं ? दूसरा मेरा प्रश्न है, जो लोकल कर्मचारी हैं, जो लाइन मैन आदि हैं, वह सब-स्टेशन पर रहते हैं, वह लोकल हैं लेकिन सामान्य पोजीशन में जाते भी नहीं हैं, अगर कहीं तार गिर गया है या ट्रान्सफार्मर जल गया है। अगर उनका ट्रान्सफर कर दिया जाए। तो क्या सरकार सब स्टेशन पर तैनात लोकल कर्मचारियों को दूसरे जिले में ट्रान्सफर करने की नीति निर्धारित करेगी जिससे जनता को राहत मिल सके ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक जो तार खराब बताये गये हैं, टूट रहे हैं यह सही है। सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनायी है और उसमें तेजी से काम हो रहा है। सब एक साथ तो हो नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। आपको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत से मा0 सदस्यों को पता होगा कि तेजी के साथ तार बदले जा रहे हैं। सब तार बदल दिये जायेंगे। ऐसे भी तार हैं जो आजादी के समय के तार हैं और लटके हैं, उनमें खतरा है उसको देखते हुए योजना बनायी गयी है। दूसरा जो आपका सवाल है ट्रांसफर का तो कौन आयेगा कौन जायेगा, मुश्किल काम है कोई आयेगा भी नहीं। यह सब सोच चुके हैं। अगर हम इनको हटाकर दूसरे जिलों में करेंगे तो वह नहीं जायेगा और न यह जायेगा, बहुत संकट पैदा हो जायेगा। इन्हीं से काम किसी तरह लेना पड़ेगा। सख्ती करनी होगी।

श्री हुकुम सिंह-

एक कठिनाई है और उस कठिनाई का उल्लेख करते हुए मेरा प्रश्न है कि अब स्थानीय स्तर पर बिजली घर के स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के बजाय ठेके पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं रख-रखाव करने के लिए। दो-दो बिजली घरों का तीन-तीन बिजली घर का ठेका दिया जा रहा है। न तो वह प्रशिक्षित हैं और न ही वह मौके पर मिलते हैं। किसानों को इससे बड़ी परेशानी हो रही है। सरकारी कर्मचारी थे तो शिकायत हो जाती थी लेकिन इनकी शिकायत का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इन सारे प्रकरणों पर पूरी जानकारी प्राप्त करके विचार करना चाहेंगे कि कैसे इस व्यवस्था को सुधार करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इसमें हम जानकारी करेंगे और इसमें सुधार किया जाय इसका प्रयास करेंगे।

डॉ0 अजय कुमार-

मान्यवर, बिजली घरों के स्तर पर देखा जावे तो लाइन मैन पेट्रोल मैन और खास तौर से जे0ई0 इनकी भारी संख्या में कमी है। पश्चिमांचल में लगभग सात हजार कर्मचारी विद्युत वितरण निगम में कम हैं। मैं नेता सदन मौजूद हैं, उनसे आश्वासन चाहता हूं, जो रिक्त पद हैं वह जब तक भरे नहीं जायेंगे तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। मैं चाहूंगा कि नेता सदन आश्वस्त करें कि रिक्त पद भर दिये जायेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह एक सुझाव है। इस सुझाव पर अमल किया जायेगा और अमल करने का प्रयास करेंगे, प्रयास हो भी रहे हैं।

प्रदेश के स्नातक एवं स्नातकोत्तर बेरोजगार युवकों की जुलाई, 2006 तक किये गये भत्ते के भुगतान की जानकारी एवं हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*2-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश के स्नातक एवं स्नातकोत्तर बेरोजगार युवकों को 1 अप्रैल, 2006 से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो 15 जुलाई, 2006 तक कितने बेरोजगार युवकों को उक्त भत्ते का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

जी हां।

दिनांक 15 जुलाई, 2006 तक 61628 स्नातक एवं स्नातकोत्तर बेरोजगार युवकों को उक्त भत्ते का भुगतान किया गया है।

ऐसी कोई योजना नहीं है।

(श्रम मंत्री जी द्वारा दोबार दूसरे प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री अधिष्ठाता-

श्रम मंत्री जी यह सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर पढ़े।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि प्रदेश में कितने स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगार हैं और कितने पंजीकृत हैं ? इन पंजीकृत बेरोजगारों में से कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अधिष्ठाता महोदय, यह सदन को बता दिया जायेगा। यह सही है कि यह जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आ जाना चाहिए था।

लेकिन यह जरूर कहेंगे कि अभी कुछ ही जिले बचे हैं और जहां बचे भी हैं थोड़े-थोड़े कहीं 20 कहीं 25 कहीं 100, उनको भी आदेश किये गये हैं और तारीख एक सप्ताह बताया गया था और फिर तारीख करेंगे, उसमें सबको बंटवारा हो जायेगा, लेकिन हमारी योजना है कि कुछ जिले रह जायेंगे और 17 तारीख तक साढ़े आठ लाख के आसपास हैं उनको सबको भी बेरोजगारी भत्ता दे दिया जायेगा।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई स्थानों पर घोषणा की है कि बेरोजगारी भत्ता एक हजार रुपये प्रतिमाह देंगे, मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि किस तारीख से एक हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का काम यह सरकार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अधिष्ठाता महोदय, हमने कहा है कि अगली सरकार जैसे ही शपथ लेगी तो उसी दिन घोषणा कर देगी।

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता देने की कोई उम्र निर्धारित है क्या ? उम्र सम्भवतः 35 साल निर्धारित है तो क्या 35 साल की उम्र पूरी करने के बाद उस बेरोजगार की बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना है ? कि 35 वर्ष बाद उन्हें बेरोजगार नहीं माना जायेगा ?

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, 35 साल की उम्र है और सरकार का निरन्तर इस बात का प्रयत्न है कि हम नौकरी दें और हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार ने छः लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दी है और निरन्तर प्रयास कर रहे हैं कि हम बेरोजगारी को खत्म करें, हमारा यह दृढ़ संकल्प है हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का, कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। 35 साल के लोगों को पहली तौर पर यह धन दिया जा रहा है कि उनका मनोबल बढ़ायें और इस बात के लिए बिल्कुल निश्चित है हमारी सरकार निश्चित तौर पर बेरोजगारी को खत्म कर देगी, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि तीन वर्ष सिर्फ हमारी सरकार को हुए हैं और तीन वर्षों में सब समय का हिसाब यह जो हम लोगों से मांगते हैं, श्रीमन् आप वहां बैठे हैं, अगर यहां बैठे होते तो हम कुछ कहते भी तीन वर्ष में हमारे प्रयास को सराह नहीं रहे हैं बल्कि उसको क्रिटीसाइज कर रहे हैं यह भी निन्दनीय है कि नहीं। तीन वर्ष में छः लाख लोगों को नौकरी स्किल लेबर्स को अलग पांच हजार करोड़ रुपया पुल और सड़कों का निर्माण, पावर स्टेशनों का निर्माण और सारी योजनाओं में जितना रोजगार हमने दिया है, केन्द्र के असहयोग के बावजूद भी, शायद इतना इतिहास में कभी नहीं दिया गया होगा। तो इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ चिन्ता हैं तो फिर अपने समय की करनी चाहिए, अपने समय की कोई चिन्ता नहीं की और तीन वर्ष में हमसे पूछने लगे कि आपने कितने लोगों को कर दिया, क्या कर दिया ? श्रीमन् इनको सराहना करनी चाहिए कि सरकार ने तीन वर्ष में इतने लोगों को रोजगार दिया उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश को।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, वह इनसे छः साल का जवाब मांग लें और ये इनसे तीन साल का मांग लें और नरेश अग्रवाल जी का तो नौ साल का हो गया न, छः साल इनके साथ, तीन साल इनके साथ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, अभी माननीय नरेश अग्रवाल जी ने कहा है कि तीन साल, मान्यवर, मुझे याद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के शपथ लेने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पहले कार्यक्रम में गये थे, वहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, बेरोजगारी भत्ता की, लेकिन दो साल नहीं मिला, चुनावी वर्ष में दिया। मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, अच्छी बात है लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आपके माध्यम से सरकार से कि हमारे यहां जो स्नातकोत्तर में पढ़ रहे हैं स्नातक है वह भी रोजगार नहीं कर रहे हैं बेरोजगार हैं तो क्या वह जो स्नातकोत्तर में पढ़ रहे हैं स्नातक स्तर के वह बेरोजगार हैं, क्या सरकार उनको भी बेरोजगारी भत्ता दे रही है ? या देने पर विचार करेगी ?

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, अगर 35 साल की उम्र उनकी पूरी नहीं हुई है और 35 साल की उम्र के अन्दर है तथा अध्यनरत नहीं हैं तो उनको हम भत्ता दे रहे हैं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको नहीं मिला है, आप चाहें तो चेक करवा लें।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, 28 फरवरी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और जो क्वालीफिकेशन है उसके पात्र हैं उनको हम भत्ता दे रहे हैं।

प्रदेश में विद्युत चोरी की घटनाओं को रोकने की कार्ययोजना

*3-श्री राम नरेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विद्युत चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

विद्युत चोरी रोकने हेतु उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में तैनात प्रवर्तन दलों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर छापे मारे जाते हैं, एवं विशेष चेकिंग अभियान चलाकर उपभोक्ताओं की चेकिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त सभी बड़े उपभोक्ताओं के यहां डबल मीटरिंग किये जाने एवं एरियल इन्सुलेटेड बन्च कण्डक्टर का प्रयोग करके कटिया डालकर विद्युत चोरी रोकने की प्रथा समाप्त करने की योजना है। नई विकसित होने वाली कालोनी में एल0टी0 रहित प्रणाली तथा बड़े व्यवसायिक काम्पलेक्सों में पिलर बाक्स लगाकर एक ही जगह सभी मीटर लगा कर मीटरिंग करने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न था उसके उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि परिवर्तन दलों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर छापे मारे गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य योजना इस सरकार में कब से लागू की गयी है और इसे लागू करने के पहले क्या सरकार ने कोई

सर्वे किया था ? या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कितने करोड़ रुपये की चोरी पावर कारपोरेशन को हो रही है ? इसके लागू होने के बाद उसमें क्या कोई कमी आयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जब नई ऊर्जा नीति बनी थी, 132 के0वी0ए0 और 33 के0वी0ए0 के जितने भी सब स्टेशन है वहां पर फीडर पर मीटरिंग की गयी और हर फीडर का लाइन लॉस पावर कारपोरेशन के पास आया है। और उस लाइन लॉस के आकलन के आधार पर ऊर्जा विभाग ने एक योजना बनाई जिसके तहत छापे मारने, चेकिंग करने और एम0 आई0 के द्वारा कितनी खपत हुई है उसको तय करने की बात हुई। इस योजना के तहत निरन्तर छापे पड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में पड़े हैं। इसमें हम लोग सुनिश्चित तरीके से कार्यवाही करेंगे। इसमें 4 प्रतिशत लाइन लॉस की कमी हुई है पहले लाइन लॉस के हिसाब से। हमारे सरकार की योजना इन चीजों को निरंतर रूप में की है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा भी कि इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए। इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा सरकार करती है क्योंकि यह बड़ा मिशन है। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि जब कार्य योजना शुरू की गयी उस समय का आंकड़ा क्या था और कितने करोड़ की चोरी हो रही थी ? और जब से इसे लागू कर दिया गया है तब से कितनी कमी आयी है ?

(इस समय 12 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, एग्रीकल्चर का रेट अलग है। घरेलू बत्ती का अलग है और इन्डस्ट्री का अलग-अलग है तो इस हिसाब से सब रेट अलग-अलग है। जो नेशनल एवरेज है लाइन लॉस का उससे आप अवगत हैं। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं।

नोएडा में विगत वर्षों में भूमि घोटाले की जांच

*4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा में पिछले 10 वर्षों से कितने भूमि घोटाले के प्रकरण प्रकाश में आये ? इसमें से कितने प्रकरणों में अभी भी जांच चल रही है ? लम्बित जांचें कब तक पूर्ण हो जायेंगी ? क्या सरकार इन जांचों को समयबद्ध तरीके से निपटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में अशिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने की मांग

*5-डॉ0 सुशील चौधरी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अशिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने अशिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु चिन्हित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 वकार अहमद शाह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अशिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

जनपद लखनऊ में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या एवं बंद इकाइयों को पुनः प्रारम्भ कराये जाने की कार्ययोजना

*6-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ में कितनी लघु उद्योग इकाइयां पंजीकृत हैं और उनमें से कितनी कार्यरत हैं और कितनी बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द इकाइयों को पुनः चालू किये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)-

जनपद लखनऊ में कुल 12550 इकाईयां पंजीकृत हैं, इनमें से 8460 कार्यरत और 4090 बन्द हैं।

लघु उद्योग के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाईयां निजी क्षेत्र से सम्बन्धित होती हैं जिनमें पूंजी विनियोजन की व्यवस्था इकाई के मालिकों द्वारा स्वयं की जाती है। अतः बन्द इकाइयों को पुनः चालू अथवा बन्द किये जाने का विशेषाधिकार इकाई के मालिक पर निर्भर करता है। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2005-2006 में लखनऊ में बड़े बकायेदारों के विद्युत विच्छेदन एवं बिलों की वसूली की नीति निर्धारित किये जाने की मांग

*7-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2005-2006 में लखनऊ के कितने बड़े बकायेदारों की बिजली काटी गई ? क्या सरकार बड़े बकायेदारों के विद्युत बिलों की वसूली हेतु कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्ष 2005-2006 में लखनऊ में कुल 123 बड़े बकायेदारों की बिजली काटी गयी।

विद्युत के बकायेदार उपभोक्ताओं से वसूली हेतु विद्युत विच्छेदन, धारा-3 के अन्तर्गत डिमांड नोटिस तथा भू-राजस्व की धारा 5 के अंतर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी को भेजा जाता है। बकायेदार उपभोक्ताओं को विद्युत बकाया जमा करने हेतु यू0पी0 गवर्मेन्ट इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंस (ड्यूज रिकवरी) एक्ट 1956, की धारा-3 की नोटिस में 30 दिन के अन्दर बकाये का भुगतान करने का समय दिया जाता है, यदि उपभोक्ता इस अवधि में विद्युत बिल के बकाये का भुगतान नहीं करता है, तो धारा-5 के अंतर्गत कार्यवाही करके जिलाधिकारी के माध्यम से वसूली करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना

*8-डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने के निर्णय से क्या उनकी घरेलू उपयोग की विद्युत आपूर्ति भी उसी के अन्तर्गत की जाती है ? क्या बुनकरों को घरेलू उपभोग के लिए अलग कनेक्शन देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उससे संबंधित आदेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश के बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने के लिए पावरलूम के कुल भार का 10 प्रतिशत सहयोगी प्रकाश व्यवस्था एवं पंखे के लिए अनुमन्य किया गया है।

जी हां, जहां बुनकरों की कार्यशाला एवं घर अलग-2 परिसर में है, वहां बुनकरों के घरेलू उपभोग के लिए अलग कनेक्शन लेना होगा।

पावर कारपोरेशन लि0 के नियमों के अनुसार बुनकरों को घरेलू उपभोग के लिए अलग कनेक्शन लेने हेतु वांछित विद्युत भार स्वीकृत कराना होगा तथा भार की अवमुक्ति हेतु निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी एवं जमानत राशि, सिस्टम लोडिंग चार्जेज व सर्विस कनेक्शन चार्जेज का भुगतान करना होगा। घरेलू उपभोग हेतु बिलिंग दर सूची एल0एम0वी0-1 के अन्तर्गत की जायेगी। चूंकि पहले से नियम विद्यमान है, अतः फिर से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों पर कर का विवरण एवं करों को समाप्त करने की मांग

*9-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा रसोई गैस) पर सरकार द्वारा अलग-अलग कितना कर लिया जाता है ? क्या सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उपरोक्त करों को समाप्त करने या कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा रसोई गैस) पर निम्नवत् कर लिया जाता है:--

(क) पेट्रोल पर 25 प्रतिशत व्यापार कर,

(ख) डीजल पर 21 प्रतिशत व्यापार कर तथा 5 प्रतिशत प्रवेश कर जिसका देय व्यापार कर में समायोजन होता है।

(ग) मिट्टी के तेल पर 10 प्रतिशत व्यापार कर,

रुपये 50 लाख से अधिक वार्षिक टर्न ओवर के व्यापारी की उपर्युक्त वस्तुओं की कर योग्य टर्न ओवर पर 1 प्रतिशत राज्य विकास कर लिया जाता है।

(च) रसोई गैस पर 4 प्रतिशत व्यापार कर,

जी नहीं।

फिलहाल उपरोक्त करों को समाप्त करने या कम करने का विचार नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बागपत के इब्राहीमपुर मजरा में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना विषयक-पत्र पर कार्यवाही की मांग

1-डा0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बागपत के इब्राहीमपुर मजरा में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के स्थापना कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-7-2006 पर प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव भेजने हेतु आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रस्ताव प्राप्त कर ग्राम इब्राहीमपुर मजरा में यथाशीघ्र उपकेन्द्र स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

ग्राम इब्राहीमपुर मजरा में नये 33के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु क्षेत्रीय तकनीकी समिति का अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ क्षेत्र द्वारा समिति के सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित कराया जा रहा है।

क्षेत्रीय तकनीकी समिति के अनुमोदन के उपरान्त कार्यो की वरीयता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु विचार किया जायेगा।

जनपद इलाहाबाद एवं प्रतापगढ़ के उपकेन्द्र के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच

2-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मिथिलेश नारायण, एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 22-5-2004 एवं 29-11-2005 जो माननीय मुख्य मंत्री/अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 पावर कापोरेशन लि0 को सम्बोधित है और जो 220 के0 वी0 उपकेन्द्र कैण्ट, इलाहाबाद एवं 132 के0वी0 उपकेन्द्र पट्टी, प्रतापगढ़ के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि [illegible], तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों में 220के0वी0 उपकेन्द्र कैण्ट, इलाहाबाद तथा 132 के0वी0 उपकेन्द्र पट्टी, प्रतापगढ़ के निर्माण के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों पर मुख्य अभियन्ता (जनपद पारेषण) से

जांच करायी गयी, प्राप्त जांच आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सम्पादित करके एक उपमहाप्रबन्धक (जनपद) को "निन्दा प्रविष्टि", एक अधिशासी अभियन्ता (जानपद) को "निन्दा प्रविष्टि" तथा असंचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोके जाने एवं एक सहायक अभियन्ता (जनपद) को "निन्दा प्रविष्टि" एवं असंचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियां रोके जाने का दण्ड प्रदान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विकास खण्ड के ग्राम इकौना का विद्युतीकरण

3-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-इकौना, वि0 खं0-कदौरा, जनपद-जालौन का विद्युतीकरण स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या विद्युतीकरण का कार्य पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त ग्राम का विद्युतीकरण दिनांक 24-8-2006 को किया जा चुका है।

प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की योजना

4-श्री राम नरेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में दिन प्रतिदिन थर्मल पावर स्टेशनों का प्लान्ट लोड फैक्टर कम होता जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? सरकार द्वारा प्लान्ट लोड फैक्टर तथा ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के विद्युत प्रेषण खण्ड के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते का भुगतान किये जाने विषयक पत्र

5-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत विद्युत प्रेषण खण्ड, सुल्तानपुर के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि का भुगतान किये जाने विषयक श्री नन्दलाल जायसवाल, उप महामंत्री, उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 10-6-06 जो कि अध्यक्ष/प्रबन्ध

निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां

उक्त पत्र, श्री जाहिद, धावक की निलम्बन अवधि (22-5-96 से 7-2-97) का अवशेष भुगतान करने तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि को आगे न बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। श्री जाहिद को अवशेष भुगतान किया जा चुका है तथा वेतनवृद्धि को पूर्ववत् नियमित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति वाले जनपदों की जानकारी

6-श्री राम नरेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने जिले ऐसे हैं जहां पर 20 घंटे से ऊपर बिजली की आपूर्ति की जा रही है तथा उसका आधार क्या है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद आगरा, जनपद मथुरा एवं जनपद फिरोजाबाद के क्षेत्रों में प्रतिदिन 20 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति आदेशित है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था बनाने रखने हेतु धार्मिक पर्व अथवा विशेष आयोजन पर एवं क्षेत्र के पिछड़ेपन के आधार पर अन्य जनपदों में भी आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन 20 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति करायी जाती है।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड लोधा के ग्राम रामनगर व बड़ागांव में पंचायत भवन का निर्माण

7-श्री चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के विकास खण्ड-धनीपुर के ग्राम रहसूपुर पवनैटी, ग्राम-धनीपुर, विकास खण्ड-लोधा के ग्राम रामनगर (मडराक) व बड़ा गांव अकबरपुर में पंचायत भवन नहीं है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में पंचायत भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड-धनीपुर के ग्राम रहसूपुर पवनैटी में पंचायत भवन नहीं हैं ग्राम पंचायत धनीपुर में पंचायत भवन पूर्व से ही निर्मित था,जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में होने के कारण उसे तुड़वाकर उसी स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण विधायक निधि से कराया जा रहा है।

विकास खण्ड-लोधा का ग्राम-रामनगर ग्राम पंचायत भडराक का मजरा है, जहां पंचायत भवन पूर्व से ही निर्मित है ग्राम पंचायत बड़ागांव अकबरपुर में भी पंचायत भवन पूर्व से निर्मित है।

विकास खण्ड-धनीपुर के ग्राम रहसूपुर व पवनैटी में पंचायत भवन का निर्माण जिला योजना में धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

स्थिति उपर्युक्तानुसार स्पष्ट है।

जनपद अलीगढ़ में विद्युत आपूर्ति एवं कटौती का विवरण

8-श्री चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2005 में अलीगढ़ महानगर में कितने घंटे बिजली कटौती करने का आदेश था तथा कितने घंटे बिजली कटौती की गई ? क्या यह सही है कि सेक्टर के अनुसार बिजली कटौती नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत अवधि में 06 घण्टे प्रतिदिन की निर्धारित कटौती आदेशित थी। अलीगढ़ नगर में उक्त अवधि में वास्तविक विद्युत आपूर्ति निम्नवत् रही :--

(घण्टा/मिनट)

माह	नगर
मई	15.49
जून	15.35
जुलाई	14.48
अगस्त	13.26
सितम्बर	16.00

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्धता न होने के कारण ऊर्जा प्रणाली की सुरक्षा हेतु निर्धारित से अधिक विद्युत की कटौती करना अपरिहार्य हो जाता है। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर ब्रेक डाउन/फाल्ट के कारण भी विद्युत आपूर्ति बाधित होती हैं।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अनेकों ग्रामों में विद्युत आपूर्ति बहाल करने सम्बन्धी जानकारी

9-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत लगभग 13 ग्रामों में तार टूट जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में से माडर, कन्जौरा, कोहरी तिरौली, आट में उक्त ग्रामों में अभी तक विद्युत आपूर्ति बहाल करने की कार्यवाही नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम माडर में विद्युत आपूर्ति बहाल हो चुकी है। शेष तीन ग्राम कन्जौरा, कोहरी तिरौली एवं ऑट में मेन लाइन का तार चोरी होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है।

उपरोक्तानुसार।

यथाशीघ्र।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर की ग्राम पंचायत गोगावां में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण

10-श्री अब्दुल मन्नान-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के 5वें शुक्र के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-43 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के विकास खण्ड बेहदर की ग्राम पंचायत गौगावां को वित्तीय वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में जवाहर ग्राम समग्र योजना, राज्य वित्त आयोग, ग्यारहवां वित्त आयोग तथा जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि से कौन-कौन से कार्य कहां-कहां कराये गये ? क्या कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन तथा गुणवत्ता की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम पंचायत गोगावां जोत को वित्तीय वर्ष 2003-04 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत रु0 1,73,592.00, राज्य वित्त आयोग से रु0 74,442.00, ग्यारहवां वित्त आयोग से रु0 24,886.00 तथा वर्ष 2004-05 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से रु0 1,17,810.00, राज्य वित्त आयोग से रु0 36,054.00, ग्यारहवां वित्त आयोग से रु0 13,220.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष खड़ंजा निर्माण, सम्पर्क मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग मरम्मत, मिट्टी कार्य, ड्रेन खुदाई, कूप मरम्मत, नाली निर्माण, इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प मरम्मत, रोडा कुटाई, तालाब भराई आदि विकास कार्य ग्राम पंचायत, गोगावां जोत में कराये गये।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के कतिपय विधान सभा क्षेत्र में कृषकों के निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने के लम्बित मामले

11-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 में जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल, बरौली, इलास, खैर, अतरौली, गंगीरी में कृषकों के निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने के कितने मामले लम्बित हैं ? लम्बित मामलों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अलीगढ़ जनपद के संदर्भित क्षेत्रों में कृषकों के निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने के लम्बित मामले वर्षवार निम्नवत् हैं :--

वर्ष	लम्बित मामले
2003-04	69
2004-05	19
2005-06	08
कुल	96

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 404 नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नलकूपों का ऊर्जीकरण जनपद में कुल लम्बित वी0 एण्ड एल0 फार्म से वरीयता क्रम के अनुसार किया जाता है।

प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य

12-डॉ0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? जनपद-बागपत में किन-किन स्थानों पर नये 33 के0 वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है तथा उन पर कब तक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 203 नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र, ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत 90 नये तथा सामान्य योजना के अन्तर्गत 85 नये 33 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है।

जनपद बागपत में निम्न तीन स्थानों पर नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है :--

1-बड़ौत टाउन-2

2-खेकड़ा

3-ढिकौली

उक्त तीनों स्थानों पर नये 33 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत जल विद्युत गृहों में विद्युत चोरी की सी0बी0आई जांच विषयक-पत्र

13-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेगें कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत जल विद्युत गृहों में करोड़ों रुपये की विद्युत चोरी की सी0बी0आई0 जांच

विषयक निदेशक (तकनीकी) उ0 प्र0 ज0वि0नि0 का पत्र संख्या-391/डी0टी0/06, दिनांक 13-4-2006 जोकि महाप्रबन्धक (ओ0 एण्ड एम0) को सम्बोधित है एवं विशेष सचिव श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 का पत्र संख्या-2186/पी0एस0एच0ई0 दिनांक 7-7-06 एवं पत्र संख्या-2184/पी0एस0एच0ई0 दिनांक 7-7-06 जोकि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है तथा इसी संबंध में मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सासंद का पत्र दिनांक 16-7-06 जोकि प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सम्बन्धित प्रकरण में उप महाप्रबन्धक (निधि एवं लेखा) की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है, जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की महत्वपूर्ण पत्रावलियों के गायब होने विषयक-पत्र पर जांच

14-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पत्रावलियों के गायब होने एवं ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 5-11-2001 एवं उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 149 पी0 दिनांक 14-1-2000 का अनुपालन न करने विषयक विशेष सचिव श्री राज्यपाल उ0प्र0 का क्रमशः पत्र संख्या 740/पी0एस0एच0ई0, दिनांक 1-3-2006 एवं पत्र संख्या 1025/पी0एस0एच0ई0 दिनांक 7-4-2006 जोकि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में विद्युत आपूर्ति का मापदण्ड एवं महानगरों में समान विद्युत कटौती सिद्धान्त लागू करने की मांग

15-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में विद्युत आपूर्ति हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? क्या सरकार सभी महानगरों में समान बिजली कटौती का सिद्धान्त लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश के महानगरों में प्रतिदिन 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

सभी महानगरों में एक समान विद्युत कटौती कराये जाने के प्रयास किये जाते हैं परन्तु महानगर की कुल मांग, प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष मौसम में बदलाव के कारण दिन प्रतिदिन की विद्युत की उपलब्धता में कमी, प्राइमरी एवं सेकेण्डरी उपकेन्द्रों पर लगे परिवर्तकों की अतिभारिता तथा तकनीकी कारणों से यथा ग्रिड में अंडर फ्रिक्वेन्सी के कारण भी, एक समान विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं हो पाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में विद्युत कटौती

16-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जनपदों में बिजली की कटौती की जा रही है, अलीगढ़ महानगर एवं जनपद में अप्रैल, 2005 से मई, जून, जुलाई, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2005 तक औसतन कितने घंटे प्रतिदिन बिजली दी गई ? क्या यह सही है कि आठ घंटे से अधिक की बिजली की कटौती की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार अलीगढ़ महानगर को बिजली कटौती से मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी, प्राथमिक एवं द्वितीय प्रणाली के उपकेन्द्रों पर स्थापित परिवर्तकों की अतिभारिता एवं तकनीकी कारणों से सभी जनपदों में विद्युत कटौती करायी जा रही है।

अलीगढ़ नगर एवं जनपद में माह अप्रैल, 2005 से माह दिसम्बर, 2005 तक औसतन विद्युत आपूर्ति निम्नानुसार दी गई है :--

(घण्टा-मिनट)

माह	नगर	जनपद (ग्राम0क्षे0)
अप्रैल	15.58	10.05
मई	15.49	09.15
जून	15.35	08.40
जुलाई	14.48	08.20
अगस्त	13.26	07.03
सितम्बर	16.00	06.20
अक्टूबर	15.30	07.25
नवम्बर	16.04	09.20
दिसम्बर	14.19	09.10

जी हां।

जी नहीं।

अलीगढ़ नगर के महत्व को देखते हुए तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय-समय पर विद्युत की कटौती से मुक्त रखा जाता रहा है। अलीगढ़ नगर को स्थायी रूप से विद्युत की कटौती से मुक्त करना सम्भव नहीं है। प्रदेश में विद्युत की मांग के अनुरूप विद्युत की उपलब्धता न होने के कारण सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों की भांति जनपद शाहजहांपुर में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की मांग

17-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में मांग के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? क्या यह सही है कि अप्रैल, 2006 में शाहजहांपुर नगर में पौने चार घण्टे से 7 घण्टे तक की विद्युत आपूर्ति की गयी है ? क्या सरकार मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

विद्युत की आपूर्ति विद्युत की उपलब्धता के आधार पर ही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत बिना अनुमति पारेषण लाइन ऊर्जीकृत करने विषयक-पत्र

18-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत बिना नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति के पारेषण लाइन ऊर्जीकृत करने एवं रुपये 50 अरब के बिजली घोटाले की सी0 बी0 आई0 जांच हेतु अधिसूचना जारी करने विषयक माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य का पत्र दिनांक 16-2-2004 जोकि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों से निकलने वाले स्वतन्त्र औद्योगिक फीडरों पर लाइन हानियां

19-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों से निकलने वाले स्वतन्त्र औद्योगिक फीडरों पर लाइन-हानियों का प्रतिशत क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या

स्वतन्त्र औद्योगिक फीडरों की 40 प्रतिशत लाइन हानियां जो विगत वर्षों में दिखायी गयी हैं वे न्यायोचित हैं ? यदि नहीं, तो मुख्यालय वाणिज्य द्वारा किन-किन फीडरों को इंगित किया गया और उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 132 के0वी0 विद्युत केन्द्रों से निकलने वाले ऐसे कितने औद्योगिक फीडर हैं, जिनकी लाइन हानियां 10 प्रतिशत से कम है ? क्या सरकार उक्त लाइन हानियों को कम करने कि लिए कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

दक्षिणांचल

(1) 0 से 5 प्रतिशत लाइन हानियों वाले फीडर-	21
(2) 5 से 10 प्रतिशत लाइन हानियों वाले फीडर-	शून्य
(3) 10 प्रतिशत से अधिक लाइन हानियों वाले फीडर-	2
	(12.5 प्रतिशत & 14.5 प्रतिशत)

पूर्वांचल

(1) 0 से 5 प्रतिशत लाइन हानियों वाले फीडर-	60
(2) 5 से 10 प्रतिशत लाइन हानियों वाले फीडर-	15
(3) 10 प्रतिशत से अधिक लाइन हानियों वाले फीडर-	1
	(11.66 प्रतिशत)

पश्चिमांचल

(1) 0 से 10 प्रतिशत लाइन हानियों वाले फीडर-	74
(2) 10 प्रतिशत से अधिक लाइन हानियों वाले फीडर-	6

मध्यांचल

(1) 0 से 5 प्रतिशत लाइन हानियों वाले फीडर-	20
(2) 5 से 10 प्रतिशत लाइन हानियों वाले फीडर-	3
(3) 10 प्रतिशत से अधिक लाइन हानियों वाले फीडर-	शून्य

प्रदेश में ऐसा कोई स्वतंत्र औद्योगिक फीडर नहीं है जिस पर 40 प्रतिशत या अधिक लाइन हानियां हैं।

दक्षिणांचल	-	21 फीडर (कुल 23 फीडरों में से)
पूर्वांचल	-	75 फीडर (कुल 76 फीडरों में से)
पश्चिमांचल	-	74 फीडर (कुल 80 फीडरों में से)
मध्यांचल	-	23 फीडर (कुल 23 फीडरों में से)

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

20-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सायंकाल 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक पंखा, बत्ती हेतु विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ उ0 प्र0 के प्रदेश मंत्री श्री अजय सिंह का पत्रांक 275/भा0म0सं0/दिनांक 25-2-2003, पत्रांक 1154/दिनांक 18-11-02, पत्रांक 1087/ दिनांक 29-10-02 मा0 मंत्री जी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं महाप्रबन्धक औद्योगिक सम्बन्ध, शक्ति भवन, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, पत्रांक-275, दिनांक 25-02-03 तथा पत्रांक-1087, दिनांक 29-10-02 प्राप्त हुए हैं।

सायंकाल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक विद्युत की मांग अधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है। विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाये जाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं तथा मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्धता होने पर प्रयास किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र से प्रतिमाह विद्युत क्रय का विवरण

21-श्री राम नरेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सरकार द्वारा केन्द्र से वर्ष 2006-07 में कितनी विद्युत प्रतिमाह क्रय की जा रही है तथा उस पर प्रतिमाह कितना भुगतान किया जा रहा है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। प्रतिमाह विद्युत क्रय का विवरण निम्नवत् है :--

माह	ऊर्जा क्रय (मि0यू0)	धनराशि (रु0 करोड़)
अप्रैल, 06	2105.37	500.06
मई, 06	2528.22	522.22
जून, 06	2383.32	515.40
जुलाई, 06	2223.35	443.38

उपरोक्त मासिक बीजकों की अंकित धनराशि का पूर्ण भुगतान किया गया है।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में उत्तर पुस्तिका की ट्रांसपोर्टिंग दर

22-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में वर्ष 2002 में उत्तर पुस्तिका की ट्रान्सपोर्टिंग दर प्रति ट्रक रु0 3500/- से 4500/- तय की गयी

थी जबकि दो वर्ष बाद वर्ष 2004 में कम दर पर ट्रान्सपोर्टिंग का कार्य कराया गया ? क्या सरकार प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ख्वाजा हलीम-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

जांच कराने का औचित्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2004 में वर्ष 2002 की तुलना में अधिक दर पर ट्रांसपोर्टिंग का कार्य कराया गया है।

जनपद मुरादाबाद में इण्डस बाल श्रम परियोजना अन्तर्गत शासन की नीति

23-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मुरादाबाद मण्डल में इंडस परियोजना के तहत सन् 1990 में बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से जिला बाल कल्याण परिषद् द्वारा शिक्षा देने का कार्य प्रारम्भ किया गया था ? वर्ष 1990 से 2005 तक कितने बाल श्रमिकों ने कक्षा-5, कक्षा-8 व कक्षा-10 पास किया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 15 वर्षों की उक्त अवधि में कुल कितना धन इस योजना पर व्यय किया गया ? इस योजना के क्रियान्वयन में सुधार लाने की क्या सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी नहीं,

इण्डस बाल श्रम परियोजना जनपद मुरादाबाद में सितम्बर, 2004 से प्रारम्भ हुई है और यह परियोजना जिला बाल कल्याण परिषद् के माध्यम से अपना कार्य संचालित नहीं करती है।

सितम्बर, 2004 के पश्चात् अब तक कुल 896 छात्र/छात्राओं को कक्षा-5 पास कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया। कक्षा-8 एवं कक्षा-10 पास कराये जाने की उक्त परियोजनान्तर्गत कोई व्यवस्था नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 में भारत सरकार द्वारा रु0 1,83,67,535.68 का अनुदान प्राप्त हुआ तथा रु0 1,46,77,973.00 की धनराशि व्यय हुई। इस परियोजना हेतु आई0एल0ओ0 से सितम्बर, 2004 से कुल रु0 1,38,98,836.00 की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष रु0 1,10,96,925.00 की धनराशि व्यय हुई।

इण्डस बाल श्रम परियोजना, भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से संचालित है। जनपद स्तर पर इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं, जो भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत इस परियोजना का संचालन करते हैं। इस योजना में गुणात्मक सुधार लाने के दृष्टिकोण से प्रमुख सचिव, श्रम, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की बैठकें समय-समय पर होती रहती हैं तथा उक्त समिति में लिये गये निर्णयों के अनुरूप परियोजना का संचालन किया जाता है।

लखनऊ तेलीबाग के बल्देव विहार मोहल्ले में अधिकांश उपभोक्ताओं को बिना रीडिंग के बिल वितरण का कथित प्रकरण

24-श्री कौशल किशोर-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ, तेलीबाग के बल्देव विहार मोहल्ले में अधिकांश उपभोक्ताओं को बिना रीडिंग के बिल दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कब तक उपभोक्ताओं को रीडिंग सहित बिल जारी किये जायेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, तेलीबाग के बल्देव बिहार मोहल्ले में अधिकांश उपभोक्ताओं, जिनके यहां मीटर स्थापित हैं, को रीडिंग के आधार पर बिल दिये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के मदनापुर छेदापट्टी की विद्युत लाइन ठीक कराने की मांग

25-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय का पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम0/ 107165/2005, दिनांक 13-8-04 जो मदनापुर छेदापट्टी जनपद शाहजहांपुर की विद्युत लाइन ठीक कराने तथा विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से कराने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 327 दिनांक 31-3-06 द्वारा प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया है कि उक्त लाइन को ठीक कराकर चालू कर दिया गया है एवं वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या मौके पर उक्त लाइन चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

विद्युत आपूर्ति सामान्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के स्वदेशी मार्केट में विद्युत से आग लगने के कारण व्यापारियों को मुआवजा व नया ट्रान्सफार्मर लगाये जाने की मांग

26-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29 जून, 2006 को स्वदेशी मार्केट लखनऊ में विद्युत के जर्जर तारों के कारण भयंकर आग लग गयी थी और उसमें व्यापारियों की 17 दुकानें जल कर राख हो गयी थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार उस अग्निकाण्ड के पीड़ित व्यापारियों को मुआवजा देगी ? क्या सरकार स्वदेशी मार्केट के पास 400 के0वी0ए0 का नया ट्रान्सफारमर लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

दिनांक 29-06-06 को स्वदेशी मार्केट, लखनऊ में विद्युत के जर्जर तारों के कारण आग नहीं लगी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वदेशी मार्केट में निर्धारित विभव पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अतः वर्तमान में 400 के0वी0ए0 का नया परिवर्तक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के छात्रावास में चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को अन्यत्र स्थापित करने की मांग

27-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 से नजीबाबाद का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिजनौर के महिला छात्रावास में चल रहा है ? क्या इससे नजीबाबाद के छात्रों और बिजनौर की छात्राओं को अत्यधिक कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नजीबाबाद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी हां।

जी नहीं। छात्र/छात्राओं की ओर से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नजीबाबाद का प्रशिक्षण कार्यक्रम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिजनौर के रिक्त महिला छात्रावास में चलाया जा रहा है। संस्थान का मुख्य भवन तथा महिला छात्रावास दोनों भवनों के परिसर अलग-अलग हैं।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नजीबाबाद हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उपयुक्त किराये का भवन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है एवं निजी भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने के कारण इसे बिजनौर के रिक्त महिला छात्रावास में चलाया जा रहा है।

जनपद बिजनौर में यू0पी0 इंजीनियरिंग द्वारा किये जा रहे विद्युतीकरण के कार्य को समय से पूर्ण कराये जाने की मांग

28-कुंवर भारतेन्द्र सिंह

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सर्वश्री यू0 पी0 इंजीनियरिंग द्वारा बिजनौर में विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है ? क्या उक्त कार्य अत्यधिक धीमी गति से किया जा रहा है ? क्या इस अनुबन्ध की सीमा जनवरी, 2007 निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

अनुबन्ध की अवधि अभी पूर्ण नहीं हुई है।

जी हां।

फर्म को निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। फर्म ने निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने की सूचना दी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में किसानों से नलकूप के बिलों पर लिये जा रहे कैपेसिटर सरचार्ज को माफ करने की मांग

29-कुंवर भारतेन्द्र सिंह

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जिला बिजनौर में किसानों को नलकूप के बिलों पर 10% अधिक कैपेसिटर सरचार्ज दिसम्बर, 2004 से आज तक एक किश्त में जमा करने पर बाध्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कैपेसिटर सरचार्ज को माफ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नलकूपों के बिलों पर 10 प्रतिशत कैपेसिटर सरचार्ज वर्तमान में लागू टैरिफ के अनुसार चार्ज किया गया है।

जी नहीं।

उपरोक्त सरचार्ज टैरिफ के प्राविधानानुसार लिया जाता है।

विद्युत बिलों की वसूली में वृद्धि किये जाने के लिये निजी कम्पनियों को सौंपा गया वसूली का कार्य

30-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत बिलों की वसूली में वृद्धि किये जाने के लिए कितनी निजी कम्पनियों को वसूली कार्य सौंपा गया है ? पिछले वर्ष 2005-2006 की तुलना में 2006-07 में विद्युत बिलों की वसूली में कितनी वृद्धि हुई है ? वसूली को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विद्युत बिलों की वसूली में वृद्धि किये जाने के लिये 36 निजी कम्पनियों को वसूली का कार्य सौंपा गया है।

माह 8/2005 तक राजस्व वसूली के सापेक्ष माह 8/2006 तक राजस्व वसूली में विभिन्न नगरों में 8.4 प्रतिशत से लेकर 20.01 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है :--

लखनऊ नगर	-	13.47 प्रतिशत
फैजाबाद नगर	-	11.31 प्रतिशत

बरेली नगर	-	20.01 प्रतिशत
दक्षिणांचल	-	18.31 प्रतिशत
पूर्वांचल	-	8.4 प्रतिशत
मेरठ, गाजियाबाद	-	11.20 प्रतिशत
नोएडा	-	15.15 प्रतिशत

जी हां।

बड़े बकायेदारों के विद्युत विच्छेदन, परिवर्ततकों पर मीटर लगाना, पोषकवार काम्बिंग, पी0डी0 निस्तारण, बड़े उपभोक्तओं पर डबल मीटरिंग, धारा-3 एवं 5 के विरुद्ध कार्यवाही, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूप तथा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत राजस्व बकाये की मूल धनराशि एक मुश्त जमा करने पर मूल राशि पर अद्यतन आगणित सरचार्ज माफी की योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

31-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[दूसरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0-90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर के गांव भेरुकहा को ग्राम पंचायत घोषित करने सम्बन्धी-पत्र

32-श्री रामहेत भारती-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया की ग्राम पंचायत दोरहा के स्थान पर सार्वाधिक आबादी वाले गांव भेरुकहा को ग्राम पंचायत घोषित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 2-8-06 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

उक्त पत्र पर निदेशक, पंचायतीराज, उ0 प्र0 से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार ग्राम पंचायत ढोरहा में केवल ग्राम ढोरहा ही राजस्व ग्राम है, भेरूकहा, ढोरहा ग्राम का मजरा है। ऐसी दशा में ग्राम ढोरहा के स्थान पर भेरूकहा को नियमानुसार ग्राम पंचायत घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप निबन्धक, मलिहाबाद के कार्यालय भवन के पुनः निर्माण की मांग

33-श्री कौशल किशोर-

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 228/31-3-2006 जो उप निबन्धक, मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा उप महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को कार्यालय भवन का पुनः निर्माण कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

जी हां।

11 उपमहानिरीक्षक निबन्धन/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन तथा 35 उपनिबन्धक कार्यालय जिसमें उपनिबन्धक कार्यालय मलिहाबाद भी सम्मिलित हैं, के भवनों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से रु0 1.00 करोड़ की धनराशि की बजट व्यवस्था करायी गयी है।

उपनिबन्धक मलिहाबाद के कार्यालय की जीण-शीर्ण अवस्था को देखते हुए तात्कालिक व्यवस्था में उपनिबन्धक कार्यालय मलिहाबाद को नवनिर्माण होने तक तहसील परिसर में स्थानान्तरित करने हेतु उपमहानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 इसोप गुलाम पहाड़ मिनिस्टर-इन-द-प्रेसिडेन्सी दक्षिण अफ्रीका का स्वागत एवं जीवन-परिचय

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को यह सूचना देना चाहूंगा और आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि दक्षिण अफ्रीका से एक प्रतिनिधि मण्डल 11 नवम्बर को लखनऊ आ रहा है। जिसके एक सदस्य माननीय डा0 इसोप गुलाम पहाड़, मिनिस्टर-इन-द-प्रेसिडेन्सी, दक्षिण अफ्रीका आज यहां पधारे हैं और वे इस समय राज्यपाल दीर्घा में आसीन हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं।

(सदन में मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया गया)

मैं माननीय डा0 इसोप गुलाम पहाड़ का जीवन परिचय सदन को बताना चाहता हूं।

माननीय डा0 इसोप गुलाम पहाड़, दक्षिण अफ्रीका में दिनांक 17 जून, 1999 को मिनिस्टर-इन-द-प्रेसिडेन्सी में नियुक्त हुए थे और दिनांक 29 अप्रैल, 2004 को उक्त पद पर पुनर्नियुक्त हुए हैं। माननीय डा0 पहाड़ को विशिष्ट रूप से आफिस आन द राइट्स आफ द चाइल्ड, आफिस आन द स्टेटस आफ वुमेन तथा आफिस आन द स्टेटस आफ डिसेबिल्ड पीपुल इन द प्रेसिडेन्सी, द नेशनल युथ कमीशन एवं द गवर्नमेन्ट कम्यूनिकेशन एण्ड इनफारमेशन सिस्टम के दायित्व सौंपे गये हैं। इसके अतिरिक्त, मेम्बर आफ द नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी (एन0ई0सी0) आफ द ए0एन0सी0, चेयरपर्सन आफ द एस0ए0/मालि मेन्यूस्किप्ट्स ट्रस्ट, चेयरपर्सन आफ द बोर्ड आफ ट्रस्टीज, साउथ अफ्रिकन एजुकेशन ट्रस्ट तथा मेम्बर आफ द बोर्ड एण्ड एस्को आफ द 2010 एफ आई एफ ए वर्ल्ड कप लोकल आर्गेनाइजिंग कमेटी का कार्य-भार भी आपको सौंपा गया है।

माननीय डा0 पहाड़ ने शिक्षा जगत में बी0ए0, पालिटिकल साइंस (विट्स) एम0ए0, अफ्रिकन पालिटिक्स (ससेक्स) तथा पी0एच0डी0, हिस्ट्री (ससेक्स) की उपाधियां प्राप्त की है। आपकी डाक्टरेट का विषय ''द डेवलपमेन्ट आफ इंडियन पालिटिकल मूवमेन्ट इन साउथ अफ्रीका 1924-1946'' था।

माननीय डा0 पहाड़ साउथ अफ्रीका के एक ऐसे परिवार से हैं जिसका दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र में सक्रिय रूप से योगदान रहा था। उनके पिता मिस्टर गुलाम पहाड़ एक्जीक्यूटिव मेम्बर आफ द साउथ अफ्रिकन इंडियन कांग्रेस थे और माता मीसेज अमीना पहाड़ को

रियलाइजेशन आफ अफ्री, डेमोक्रेटिक नान-रेसियल एण्ड नान-सेकसिस्ट साउथ अफ्रिका के रूप में उनके योगदान के लिए आर्डर आफ लुथूली इन सिल्वर का पुरस्कार (मरणोपरान्त) प्रदान किया गया था।

माननीय श्री पहाड़ एक्जीक्यूटिव कमेटी आफ द ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस के सबसे युवा व्यक्ति के रूप में वर्ष 1958 में निर्वाचित हुए थे। माननीय श्री पहाड़ के निम्नलिखित प्रमुख प्रकाशन है :--

1-पोलिटिकल पार्टीसिपेशन एण्ड सिविक इंगेजमेन्ट : सिटीजन्स एण्ड द स्टेट

2-एस0ए0सी0पी0 तथा ए0एन0सी0 के जर्नल्स में छपे अनेक लेख

3-समाचार पत्रों तथा "रोलिंग स्टोन", ए पब्लिकेशन फार पीपुल विथ डिसऐबलिटीज इन साउथ अफ्रीका में प्रकाशित अनेक लेख

4-माननीय श्री पहाड़ "अफ्रिका, द टाइम हैज़ कम" तथा "अफ्रिका, डिफाइन योरसेल्फ" के को-एडिटर भी हैं।

इसके अतिरिक्त, माननीय श्री पहाड़ द्वारा समय-समय पर अनेक प्रभावशाली एवं सारगर्भित भाषण भी दिये गये है जिनमें वर्ष 2005-2006 के मध्य दिये गये प्रमुख भाषण निम्नलिखित विषयों पर हैं:--

1-एड्रेस टू द साउथ अफ्रिकन यूथ पालिसी कान्फ्रेंस-जून, 2005

2-सोल्युशन्स टू हेल्थकेयर इन साउथ अफ्रीका, जुलाई, 2005

3-डेवलपिंग अ कामन प्रोग्रेसिव एजेण्डा एनकम्पासिंग द नार्थ एण्ड द साउथ-जुलाई 2005

4-टिम्बक्टूज कन्ट्रीब्यूसन टू ह्यूमनिटी-अगस्त, 2005

5-ग्लोबल रिसपान्सेज टू द चैलेन्जेस आफ रेसिज्म, जीनोफोबिया एण्ड रिलेटेड इनटालरेन्सेज-दिसम्बर, 2005

6-कन्ट्री-सेल्फ असेसमेन्टः सोशियो इकोनामिक डेवलपमेन्ट-दिसम्बर, 2005

7-डू फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट्स एण्ड रीजनल ट्रेड एग्रीमेन्ट्स लिमिट द डब्ल्यू0टी0ओ0 गोल्स ? जनवरी, 2006,

8-द रोल आफ गवर्नमेंट इन क्रियेटिंग एन इनवायरनमेन्ट फार इकोनामिक ग्रोथ एण्ड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेण्ट-मई, 2006

9-डिसकसेन्ट वर्ल्ड फोरम, केपटाउन, मई 2006

माननीय डा0 इसोप गुलाम पहाड़ सदैव सामाजिक न्याय और जन-समानता के पक्षधर रहे और उनके व्यक्तित्व में यह भावना उनके विद्यार्थी जीवन, निर्वासित जीवन, शैक्षिक जीवन तथा स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका मे उनके राजनैतिक जीवन में सर्वोपरि रही है।

मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य मेज थपथपाकर उनका स्वागत करें।

(सदन में मेजे थपथपाई गयी)

(मद संख्या-3 पुकारे जाने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी एक मिनट बाकी है, मैं अपना प्रश्न पूछ लूं ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें यह बजट प्रस्तुत हो जाय तो फिर जो चाहे पूछियेगा।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक अनुदानो की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बांट दी जांय।

(प्रतियां बांटी गयीं)

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं बाद में आपको सुन लूंगा।

विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री बाबूराम गुप्त, बलवीर सिंह, राम करन पटेल, मेघनाथ सिंह शिशौदिया, रामेश्वर प्रसाद चौबे तथा विमल प्रसाद तिवारी के निधन पर शोकोदगार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बाबू राम गुप्त का 6 जून, 1968 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री बाबू राम गुप्त का जन्म 15 अक्टूबर, 1892 को हुआ था। वे विधि स्नातक थे। श्री बाबू राम गुप्त वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र कासगंज (पश्चिम), जिला एटा से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री बाबू राम गुप्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप जेल गये थे। वे नगरपालिका कासगंज के सभासद एवं अध्यक्ष रहे थे। श्री बाबू राम गुप्त के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बलवीर सिंह का 16 सितम्बर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री बलवीर सिंह का जन्म 30 नवम्बर, 1932 को हुआ था। वे स्नातक थे। श्री बलवीर सिंह वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र कमालगंज, जिला फर्रूखाबाद से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री बलवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के गरीब वर्ग के उन्नयन हेतु विशेष रूप से तत्पर रहते थे। श्री बलवीर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामकरन पटेल का 21 सितम्बर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 62 वर्ष के थे। श्री राम करन पटेल का जन्म 19 जुलाई, 1944 को ग्राम मंगारी, जिला वाराणसी में हुआ था। उन्होनें एम0ए0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम करन पटेल वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र कोल असला, जिला वाराणसी से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम करन पटेल विभिन्न छात्र आन्दोलनों में भाग लेने के कारण जेल गये थे। वे जिला युवक कांग्रेस कमेटी, वाराणसी के उपाध्यक्ष और महामंत्री तथा जिला मजदूर समिति, वाराणसी के मंत्री रहे थे। वे वाराणसी तथा मिर्जापुर आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर संघ के संरक्षक, पिन्डरा बाजार व्यापार संघ के संरक्षक, मंगारी बाजार व्यापार समिति के अध्यक्ष और सरदार पटेल आदर्श पुस्तकालय एवं वाचनालय, मंगारी के व्यवस्थापक भी रहे थे। श्री पटेल को अध्ययन से बड़ा लगाव था। श्री राम करन पटेल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मेघनाथ सिंह शिशौदिया का 6 अक्टूबर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 93 वर्ष के थे। श्री मेघनाथ सिंह शिशौदिया का जन्म अप्रैल, 1913 में जिला बुलन्दशहर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मेघनाथ सिंह शिशौदिया वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र डासना, जिला मेरठ से निर्दलीय सदस्य के रूप में तथा वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र मोदी नगर, जिला मेरठ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मेघनाथ सिंह शिशौदिया मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़ तथा बदायूं जिलों की लगभग 2 दर्जन शिक्षा संस्थाओं के संस्थापक सेक्रेटरी रहे थे। वे मेरठ जिला परिषद् में शिक्षा चेयरमैन के पद पर रहे थे। वे पिलखुआ, जिला मेरठ के राणा शिक्षा शिविर डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य भी रहे थे। शिक्षा के प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मेघनाथ सिंह शिशौदिया के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामेश्वर नाथ चौबे का 16 अक्टूबर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री रामेश्वर नाथ चौबे का जन्म वर्ष 1921 में बरेली में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रामेश्वर नाथ चौबे सर्वप्रथम वर्ष 1962 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र सनहा, जिला बरेली से निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुये। तत्पश्चात् सनहा निर्वाचन क्षेत्र से ही वर्ष 1974 में कांग्रेस (संगठन) वर्ष 1977 में कांग्रेस वर्ष 1980 एवं वर्ष 1985 में कांग्रेस (आई) तथा मई-जून, 1991 के मध्यावधि निर्वाचन में कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री रामेश्वर नाथ चौबे राजनीतिक जनान्दोलनों में कई बार लाहौर, बरेली तथा लखनऊ कारागार में बन्दी रहे। वे जिला कांग्रेस कमेटी, बरेली के महामंत्री, पी0सी0सी0 (संगठन) के सदस्य तथा सत्रह वर्ष तक आत्माराम इण्टर कालेज, बल्लिया (बरेली) के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा याचिका समिति के भी वे सदस्य थे। उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की थी। श्री रामेश्वर नाथ चौबे के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिक एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विमल प्रसाद तिवारी का 26 अक्टूबर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री विमल प्रसाद तिवारी का जन्म 07 मार्च, 1933 को

बम्बई में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 तथा विशारद की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विमल प्रसाद तिवारी वर्ष 1974, 1980 तथा 1989 में निर्वाचन क्षेत्र फर्रुखाबाद, जिला फर्रुखाबाद से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री विमल प्रसाद तिवारी वर्ष 1977 से 1979 तक विभिन्न आन्दोलनों के दौरान 36 दिन कारावास में बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1984-85 में अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य रहे थे। वे उत्तर प्रदेश वस्त्र छपाई निगम के अध्यक्ष तथा सर्वोदय इण्टर कालेज, पिपरगांव के प्रबन्धक रह चुके थे। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, नगर कांग्रेस कमेटी, फर्रुखाबाद के मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, फर्रुखाबाद के मंत्री, जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी, फर्रुखाबाद के अध्यक्ष तथा जिला युवक कांग्रेस, फर्रुखाबाद के अध्यक्ष रह चुके थे। वे सार्वजनिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं अन्य संस्थाओं से सम्बद्ध थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री विमल प्रसाद तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

सदन की पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों द्वारा काली पट्टी बांधने के प्रकरण पर श्री अध्यक्ष का अनुरोध

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन भी बैठे हैं, इसलिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पत्रकार दीर्घा में बहुत से हमारे पत्रकार बन्धु काली पट्टी पहनकर आये हैं। मेरा सिर्फ एक आग्रह है कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, नेता सदन के साथ बैठकर आप बात कर लें, वह परिस्थितियां न रहें तो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि जिन वजहों से हो, आप और नेता सदन बैठकर तय कर लें, इसमें कोई उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैं स्पष्ट कर दूं कि कल यह पत्रकार संगठन के लोग आये थे, मेरी इनसे बात हुई थी, मैंने पूरी बात समझा दी थी और कहा था कि जहां आपकी भावनाएं आहत हुई हों आप बता दें, आवश्यकतानुसार उस अंश को निकलवा देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसके बाद भी इन लोगों ने काली पट्टी बांधी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ? जब सारी बात हो गयी थी तो इसका कोई औचित्य नहीं था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस परिसर में जो परम्परा रही है उसका पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वह माननीय सदस्य हो या पत्रकार बन्धु। काली पट्टी बांधकर यहां आना उचित नहीं है। बात तो हो सकती थी लेकिन सदन में पट्टी बांधकर आना उचित नहीं है। लॉबी भी सदन का हिस्सा है, कल हम पट्टी बांधकर आने लगे तो यह कहां तक उचित होगा ? मेरा अनुरोध है कि जो परिस्थितियां बनी थीं, उसका निराकरण कहीं भी हो जाता तो कम से कम हमारे सदन की जो परम्परा रही है उस परम्परा का पालन किया जाता, पट्टी बांधकर यहां नहीं आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपके विचारों से सहमत हूं। मैंने इस सम्बन्ध में पूरी बात कर ली है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह बिल्कुल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में न लिया जाए, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो बात कही उसमें बल है, सदन को हमेशा इन चीजों से ऊपर रखा गया है। सदन में कभी भी ऐसा माहौल नहीं बना सिवाय एक दिन के, जब ज्वाइन्ट सेशन होता है, राज्यपाल महोदय आते हैं, वह एक डेमोक्रेटिक विरोध का दिन होता है, उस दिन करते हैं। कभी हम उधर होते हैं, कभी आप इधर हैं, कभी कोई किधर है, लेकिन आम हालात में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई माननीय सदस्य चाहे वह कितना भी नाराज हुआ हो, ऐसा भी दिन गुजरा है जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का कितना विरोध चला, लेकिन कभी न तो इधर के किसी माननीय सदस्य ने काली पट्टी, काला झण्डा लगाया और न उधर के किसी माननीय सदस्य ने, न किसी धर्म, न किसी जाति के, सदन को हमेशा इससे दूर रखा गया। क्योंकि यह गैलरी भी सदन का हिस्सा है, इसलिए ऐसा न किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। अभी भी मेरी गुजारिश यह है कि जो पत्रकार बन्धु हमारे सामने काली पट्टी बांधे बैठे हैं, वह हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, उनसे मेरे मधुर सम्बन्ध भी हैं, पता नहीं आप जैसे व्यक्ति से किसी को कोई शिकायत हो जाए, यह भी हैरत की बात है, उस पर भी मुझे अफसोस है, पता नहीं आपसे कैसे ये नाराज हो गये ? अच्छा होता कि इसी वक्त अपने हाथों से काली पट्टी हटा लेंगे तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे।

[महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कुछ कहने के लिए खड़े हुए]

मैं उन पत्रकार साथियों का जिनका हम पर और हमारा उन पर विश्वास रहा है, मेरे आग्रह पर उन्होंने अपनी बाहों से काली पट्टियां हटा ली हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और सराहना करता हूं। सदन इस बात का साक्षी रहेगा कि मेजें थपथपाकर उनकी तारीफ और सराहना की गयी।

(मेजें थपथपाई गयीं)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री आनन्द प्रकाश लोधी की जनपद फतेहपुर के ग्राम बहरौली में चकबन्दी प्रक्रिया के तहत अपूर्ण कब्जा परिवर्तन को पूर्णतः कब्जा परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री शिवचरन प्रजापति की है, जो अनुपस्थित हैं। तीसरी सूचना श्री गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री रणवीर राणा एवं डा0 यशवन्त सिंह की श्री कैलाशी राम, जिला पंचायत सदस्य, जिला आगरा की जानमाल की सुरक्षा कराने एवं वांछित केस में सम्बन्धित की गिरफ्तारी कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री कालीचरन राजभर की जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत देवकली पम्प नहर कामूपुर गांव पुल से उत्तर नाला तक ड्रेन निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में विधायक निधि द्वारा प्रस्तावित विद्युत कार्यों को शीघ्र कराने

के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री प्रेम सिंह की है, अनुपस्थित है। सातवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की मिर्जापुर के इटवा में रीवां रोड पर स्थित अम्बेडकर हास्पिटल में शीघ्र विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' की वाराणसी कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 21-10-06 को हुई वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित कतिपय गांव के किसानों एवं पीड़ितों को शासकीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की भदोही जिला अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सालय चौरी के भवन निर्माण के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर के डफरिन चिकित्सालय में प्रस्तावित 33/11 के0वी0ए0 बिजली घर को शीघ्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई खड्डा के कतिपय क्रय केन्द्र जो अन्य फैक्ट्रियों को एलाट किए गये हैं, तत्काल वापस किये जाने के सम्बन्ध में हैं तेरहवीं सूचना श्री आर0के0 सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से स्वीकृत ग्रामों का तत्काल विद्युतीकरण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की नोयडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत भू-विस्थापितों किसानों को अनुमन्य सभी भू-खण्डों का आवंटन कर कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना डा0 सुशील चौधरी की सहारनपुर के ग्राम बीराखेड़ी में तालाब पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में है।

प्रतीक्षा सूची से डा0 विनोद तिवारी की सूचना पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-2004 में चयनित पांच गांवों में अभी तक विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, श्री शिव चरन प्रजापति के अनुपस्थित होने के कारण उनकी जगह पर तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचना शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् में 5 बड़े नालों की तलीझाड़ सफाई कराने के सम्बन्ध में है, को श्री प्रेम सिंह के अनुपस्थित होने के कारण उनकी जगह पर स्वीकार की जाती है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री घूरा राम, श्री रिजवान अहमद खां, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री कौशल किशोर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री जगदीश नारायन राय व श्री राम करन आर्य की सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।

जनपद फतेहपुर के ग्राम बहरौली में चकबन्दी प्रक्रिया के तहत अपूर्ण कब्जा परिवर्तन को पूर्णतः कब्जा परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आनन्द प्रकाश लोधी-

[मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह बताना चाहता हूं कि विगत कई वर्ष से ग्राम बहरौली, परगना व तहसील बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर में चकबन्दी प्रक्रिया के तहत 1995 में कुछ चकों का कब्जा परिवर्तन किया गया और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्षा के कारण 150 चकों का लगभग कब्जा परिवर्तन आज तक नहीं किया गया है, फर्जी तरीके से अभिलेखों पर कब्जा परिवर्तन दिखाकर खाना पूरी कर ली गयी है। तहसील दिवस में भी कब्जा परिवर्तन हेतु लगातार प्रार्थना करने के बाद भी कब्जा परिवर्तन आज तक नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, फतेहपुर को कब्जा परिवर्तन कराने के आदेश दिये गये थे इस आदेश के आधार पर तहसीलदार बिन्दकी को ए0सी0ओ0 चकबन्दी ने श्री मनोज सिंह, कानूनगो चकबन्दी को सारे अभिलेख उपलब्ध कराने के आदेश दिये परन्तु आज तक कब्जा परिवर्तन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। कब्जा परिवर्तन कराये जाने हेतु पुनः जिलाधिकारी फतेहपुर से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया लेकिन आज दिनांक तक कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही नहीं सुनिश्चित करायी गयी है। जिससे ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर जनहित में तत्काल कब्जा परिवर्तन कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करें।]

श्री कैलाशी राम, जिला पंचायत सदस्य, जिला आगरा की जानमाल की सुरक्षा कराने एवं वांछित केस में सम्बन्धित की गिरफ्तारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री रणवीर सिंह राणा एवं डा0 यशवन्त सिंह-

[आपकी सेवा में सहानुभूति पूर्वक निवेदन करना है कि दिनांक 12-6-06 को मुनेश होलू पहलवान आदि निवासी किरावली जिला आगरा ने श्री कैलाशी राम जिला पंचायत आगरा के घर और दुकान में घुसकर जानलेवा हमला किया और लूटपाट की इससे श्री कैलाशी राम सदस्य जिला पंचायत के गम्भीर चोटें आयी हैं इसमें मुनेश उर्फ होलू पहलवान का श्री कैलाशी राम की हत्या करना था। मुनेश उर्फ होलू पहलवान आदि के विरुद्ध थाना अछने अपराध संख्या-215/2006 अन्तर्गत धारा 395, 506, 504, 323, 3 (2) एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है। कैलाशी राम एवं उनका परिवार कस्बा किरावली छोड़कर होलू पहलवान के कारण पिछले 4 माह से आगरा में निवास कर रहा है। जिला पुलिस आगरा ने अभी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है और अपराधी यह कहते घूम रहे हैं कि हम कैलाशी तथा उनके परिवार को जिन्दा नहीं छोड़ेगें।

दिनांक 16-6-2006 से पुलिस अधीक्षक आगरा ने दो पुलिस कांस्टेबिल कैलाशी राम के घर की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर लगा दिये थे इसके बावजूद दिनांक 23/24-6-06 को कैलाशी राम के घर चोरी हुई और बदमाश बहुमूल्य कीमती जेवरात तथा अन्य घरेलू सामान की चोरी करके ले गये। चोरी की घटना की रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 457 और 380 आई0पी0सी0 अछनेरा में दिनांक 24-6-2006 को पंजीकृत कराया गया है जिसका अपराध संख्या-222/2006।

श्री कैलाशी राम अनुसूचित वर्ग से सम्बन्धित है और जिला पंचायत, आगरा के सदस्य जिनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। श्री कैलाशी राम का समस्त परिवार का किरावली से पलायन कर लगभग 4 माह से आगरा शहर में निवास कर रहा है। जिला पुलिस आगरा ने अपराधियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है और श्री कैलाशी राम के परिवार कस्बा किरावली में विस्थापित नहीं किया गया है। यह लोकहित का प्रश्न है।

अतः विनम्र अनुरोध है इस लोक हित के विषय पर विधान सभा में चर्चा करायी जाय और श्री कैलाशी राम के परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाने की कृपा की जाये। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करके दण्ड दिलवाया जाय ताकि अनुसूचित वर्ग का उत्पीड़न न हो।]

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत देवकली पम्प नहर कामूपुर गांव पुल से उत्तर नाला तक ड्रेन निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन राजभर-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत देवकली पम्प नहर कामूपुर गांव से होते हुए जाती है। लेकिन कामूपुर गांव के उत्तर तरफ किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। जिससे किसानों की फसल सूख जाती है। एक तरफ पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरी तरफ किसानों से जबरदस्ती लगान भी वसूल की जाती है। जिससे क्षेत्रीय किसानों में भारी दुःख तथा आक्रोश व्याप्त है।

आपसे चाहूंगा कि इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखते हुए चर्चा कराने तथा देवकली पम्प नहर कामूपुर पुल से उत्तर तरफ नाला तक ड्रेन निर्माण की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में विधायक निधि द्वारा प्रस्तावित विद्युत कार्यों को शीघ्र कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में विद्युत तार खम्बे व ट्रान्सफारमर की एक गम्भीर समस्या है जिससे विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में नगण्य है मेरे द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से कार्यों को कराया जाना प्रस्तावित है तथा धनराशि का भी आवंटन हो चुका है परन्तु विभाग द्वारा लापरवाही से स्टोर्स में समान न होना या ठेकेदार के द्वारा कार्य न करना आदि बहाना बनाकर विद्युत कार्य नहीं कराये जा रहे हैं, कई वर्षों से लम्बित कार्यों (विद्युत) को अतिशीघ्र पूर्ण कराने हेतु मैं शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कृपया निदेश देने की कृपा करें।

धन्यवाद।]

जनपद मिर्जापुर में रीवां रोड पर स्थित अम्बेडकर हास्पिटल के विद्युतीकरण में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

[जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-मिर्जापुर के ग्राम इटवा में रीवां रोड पर अम्बेडकर हास्पिटल स्थित है जिसके विद्युतीकरण हेतु पूर्वान्चल विकास निधि से 3 लाख रुपये तथा एम0एल0सी0 निधि से 3 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त वर्ष 2005 में ही अवमुक्त की जा चुकी है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परन्तु अभी तक उक्त हास्पिटल का विद्युतीकरण, विद्युत विभाग की उदासीनता के कारण नहीं हो सका है जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर मैं विद्युतीकरण में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किए जाने के साथ ही साथ वक्तव्य की भी मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नरेश यादव-

[जनपद आजमगढ़ में फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली सड़कें लगभग 2 वर्ष से क्षतिग्रस्त हैं। सरकार द्वारा उन सभी सड़कों का आगणन कराया गया। मैंने भी कई पत्र सरकार एवं अधिकारियों को लिखा लेकिन आज तक आगणन की धनराशि सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत हेतु अवमुक्त नहीं की जा सकी है। मुझसे वहां की जनता बराबर इस सम्बन्ध में शिकायत किया करती है, सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है, मैंने स्वयं भी अनुभव किया। यह बरसात भी बीत गयी अब जाड़े का समय आ गया है, स्थानीय चुनाव भी समाप्त हो गये हैं।

मेरी सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि फूलपुर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा सुदृढ़ीकरण कार्य शीघ्राति शीघ्र करायें।]

वाराणसी कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 21-10-06 को हुई वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित कतिपय गांव के किसानों एवं पीड़ितों को शासकीय सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''-

[दिनांक 21 अक्टूबर, 2006 को जनपद-वाराणसी में हुई वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों की भयंकर क्षति हुई है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड-काशी विद्यापीठ के ग्राम-रोखनियां, गोविन्दपुर, जफराबाद, दबलपुर, फरीदपुर, ईसापुर, मिसिरपुर, सनातन, भदवर, दिलहनां, बन्देपुर, पतेरवां, करतड़ा, बरछांव, माधौपुर, छितौनी, कोट, नवाधरपुर, मुड़ादेव, कुरहुआं, सराय डंनरी, ढिकरी, नरोत्तमपुर, रमना, नुअवि आदि का 22 अक्टूबर, 2006 (रविवार) को जायजा लिया, स्थिति यह है कि धान, आलू, मटर, टमाटर, सेम, सरसों और पपीता आदि की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। छोटे किसानों की यह नकदी फसलें ही इस क्षेत्र के किसानों की जीवन-यापन का सहारा है। धान की कुछ फसल तो अवर्षण और सिंचाई के अभाव में सूख गई, जो बची थी उनकी बालियों के दानें ओलों की मार से मरकर नीचे गिर गये और जो हरे पौधे थे वह टूट कर गिर गये हैं। वहां के किसानों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है, किसानों में त्राहि-त्राहि मची है। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलने से किसानों में भयंकर रोष है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि शीघ्र ही तहसीलदार स्तर से किसी अधिकारी को भेज कर क्षति का आंकलन कराया जाय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा पीड़ितों को आर्थिक सहायता तत्काल पहुंचाई जाय और रबी की बुआई के लिए खाद, बीज निःशुल्क दिया जाय और सिंचाई-बुआई हेतु डीजल पर सब्सिडी देने के साथ ही छात्रों की फीस माफ करने और ऋण आदि की वसूली रोकने के आदेश दिए जायं।]

भदोही जिला अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौरी के भवन निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र-

[भदोही जिलान्तर्गत चौरी दूरस्थ इलाके में एक बड़ा कस्बा है। वहां सैकड़ों ग्राम के बीच में मात्र एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौंरी विगत 40 वर्ष से कार्य कर रहा है किन्तु जिस भवन में कार्य कर रहा है, वह किराये का है और इतना कम स्थान है कि मरीज को खड़े होने की जगह नहीं है। मरीज भर्ती होते तो उन्हें बरामदे में रखना पड़ता है। किराया इतना कम है, मरम्मत भी नहीं हो पाता है। दवा भी ठीक ढंग से स्टोर में नहीं हो पाती। भवन के अभाव में डाक्टर भी बहुत ही कम आते हैं। जिससे गांव की जनता की उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो पाती। तत्काल भवन निर्माण आवश्यक है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि उपरोक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु शासन को आदेश देने की कृपा करें।]

मेरठ नगर के डफरिन चिकित्सालय में प्रस्तावित 33/11 के0वी0ए0 बिजली घर को शीघ्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ नगर में डफरिन चिकित्सालय में 33/11 के0वी0ए0 के बिजली घर की स्थापना प्रस्तावित है। भूमि उपलब्ध कराने का प्रकरण 6 माह से चल रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के महानिदेशक की रिपोर्ट के बावजूद भी शासन का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग अनुमति नहीं दे रहा है। इसकी स्थापना से अस्पताल को लाभ होता है इस बिजली घर से लगभग 1 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

कार्य शुरू होने में विलम्ब हो रहा है। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई खड्डा के कतिपय क्रय केन्द्रों को मनमाने ढंग से अन्य चीनी मिल को एलाट किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूर्णमासी देहाती-

[जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र उ0 प्र0 व राज्य चीनी निगम लि0 इकाई खड्डा कुशीनगर के गन्ना क्रय केन्द्रों को मनमाने ढंग से अन्य चीनी मिल को गन्ना एलाट किये जाने से उत्पन्न संकट के स्थिति के सम्बन्ध में।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह कि अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई खड्डा राज्य सरकार की एक अच्छी चीनी मिल है। जिसने पिछले सत्र में काफी मुनाफा कमायी है। इसके क्रय केन्द्र शेषा-छपरा, कोटवा, मदनपुर, बिहारी छपरा, रामपुर बंगल, सेन्टर अन्य फैक्ट्रियों के एलाट किये जाने के सम्बन्ध में आक्रोशित किसान व मजदूर आन्दोलित है।

अतः यह मांग करता हूं कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई खड्डा के क्रय केन्द्र शेषा छपरा, कोटवा, मदनपुर, रामपुर जुगल, बिहारी छपरा जो अन्य फैक्ट्रियों को एलाट किये गये हैं उसे तत्काल उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई खड्डा को वापस किये जाने का कष्ट करें।]

जनपद चित्रकूट में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से स्वीकृत ग्रामों का तत्काल विद्युतीकरण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

[आपका ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर कराना चाहूंगा। जनपद चित्रकूट में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 एवं 2005-06 के वित्तीय वर्षों में तीन चरणों में लगभग 200 ग्रामों का विद्युतीकरण होना था, किन्तु समय अवधि के अन्तर्गत अभी तक विद्युतीकरण के कार्य पूरे नहीं किये गये हैं। अभी वर्ष 2004-05 के तृतीय चरण का कार्य पूरा नहीं है तथा वर्ष 2005-06 के तृतीय चरण का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र के विकास के साथ-साथ जनता को बिजली न मिलने से जनता में असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए तत्काल स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराने की मांग करता हूं।]

नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत भू-विस्थापित किसानों को अनुमन्य सभी भू-खण्डों को आवंटन कर कब्जा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नवाब सिंह नागर-

[नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र के अन्तर्गत भू-विस्थापित किसानों को उनकी अधिग्रहीत भूमि का 5% उनको आवासीय भूखण्ड के रूप में देने का निर्णय प्राधिकरण द्वारा सन् 1997 में लिया गया था, तब से आज तक अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को अभी तक उनके 5% के बदले मिलने वाले भूखण्डों का कब्जा नहीं मिल पाया है और काफी किसानों को अभी आवंटन पत्र भी नहीं मिले हैं, जिससे किसानों में नोएडा प्रशासन एवं शासन के प्रति भारी असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं नियम-301 के अन्तर्गत उपरोक्त समस्या पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुमन्य सभी भूखण्डों का आवंटन कर कब्जा दिये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहारनपुर के ग्राम वीराखेड़ी में तालाब पर किए गये अवैध कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 सुशील चौधरी-

[मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक जनहित के लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जनपद-सहारनपुर के ग्राम-वीराखेड़ी ब्लाक गंगोह, जनपद-सहारनपुर में चन्द्रपाल सिंह नामक व्यक्ति ने तालाब पर अवैध रूप से कब्जा करके अपना निवास स्थान बना लिया है। क्षेत्र की जनता द्वारा कई बार जिला प्रशासन को इस मामले में शिकायत करने के बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। इस तरह से तमाम तालाबों पर दबंगों ने कब्ज़ा कर लिया है जिससे गांवों में पानी का निकास बन्द होने के कारण बरसात में गन्दा पानी घरों में घुस जाता है और उससे डेंगू व अन्य संक्रामक रोग तो फैलते ही हैं तथा पर्यावरणों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। संक्रामक रोग से विगत कई वर्षों से जनपद-सहारनपुर में कई लोगों को मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा और आज भी तमाम लोग जूझ रहे हैं लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है जिससे तालाबों पर दिनों-दिन कब्जे हो रहे हैं। जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र व जनपद-सहारनपुर में पर्यावरण को भी खतरा उत्पन्न हुआ है तथा जिला प्रशासन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी अनुपालन नहीं कर रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में तालाबों को कब्जा मुक्त कराने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-04 में चयनित पांच गांवों में अभी तक विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 विनोद तिवारी-

[अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ सदन का ध्यान नियम-301 के अन्तर्गत आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र 44 विधान सभा पूरनपुर के अन्तर्गत मेरे द्वारा चयनित ग्राम जगतपुर, सपहा, पिपरिया जयभद्र, वूदीभूड़ तथा बिहारीपुर ज0 इटौरिया को ऊर्जीकृत न किये जाने की ओर आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूंगा कि वर्ष 2003-04 में प्रदेश सरकार ने सदस्य विधान सभा से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के पांच-पांच गांव विद्युतीकरण कराये जाने हेतु चयनित कर सूची मांगी गयी थी मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम जगतपुर, सपहा, पिपरिया, जयभद्र, वूदीभूड़ तथा बिहारीपुर ज0 इटौरिया का विद्युतीकरण कराये जाने की संस्तुति की गयी थी 3 वर्ष होने जा रहे हैं एक भी गांव को ऊर्जीकृत नहीं किया गया इससे लोगों में काफी आक्रोश है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त ज्वलन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् में 5 बड़े नालों की तलीझाड़ सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् में पांच बड़े नालों की सफाई के सम्बन्ध में मैने पिछले सत्र में अनुरोध किया था, इसके परिणाम स्वरूप अन्टे वाला नाला, चौकी हद्दक वाला नाला, शहीद उद्यान के पश्चिम वाला नाला, स्टेशन रोड वाला नाला तथा रोडवेज बस स्टैण्ड के उत्तर वाला नाला, इन नालों में आंशिक रूप से सफाई हुई है। अभी भी इन नालों में सफाई बाकी है। जनहित में सम्पूर्ण सफाई आवश्यक है।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इन पांचों नालों में सम्पूर्ण सफाई (तली झाड़) कराई जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर तत्काल सफाई कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल पांच सूचनायें प्राप्त हुईं।

निदेश संख्या-165/166 के अन्तर्गत दिनांक 25 मई, 2006 को मेरठ में गंगा नहर की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (बारहवां संस्करण) के निदेश संख्या-165/166 के अन्तर्गत उनके द्वारा दी गयी सूचना, दिनांक 25 मई, 2006 के सन्दर्भ में शासन से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त न होने के सम्बन्ध में है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष महोदय, 15 मई, 2006 को मेरठ में गंगा नहर से पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत मैने सदन को सूचना दी थी उस पर शासन द्वारा दिया गया उत्तर इतना असंगत था कि 25 मई, 2006 को मैंने अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-165-166 के तहत आपके कार्यालय को लिखकर दिया जिस पर आपके कार्यालय द्वारा 6 बार अनुस्मारक सिंचाई विभाग को जा चुका है। लेकिन उसका संगत उत्तर शासन ने अभी तक नहीं दिया है। जबकि उत्तर के लिए जो सामग्री चाहिए जिले के सिंचाई विभाग से, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से मैने स्वयं लाकर शासन को उपलब्ध करा दी है और उपलब्ध कराए हुए डेढ़ माह का समय हो चुका है लेकिन शासन यह उत्तर नहीं दे रहा है। मैं इस पर आपके निर्देश चाहता हूं सिंचाई विभाग द्वारा इस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रकार की जो ढिलाई हो रही है विधान सभा के कार्यों के सम्बन्ध में उस सम्बन्ध में एक स्पष्ट निर्देश आ सके जिससे इसका उत्तर भी प्राप्त हो जाए और भविष्य में कोताही बरतने की स्थिति न आए इसका भी निर्देश देने का कष्ट करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

आपके द्वारा कई बार इस तरह के निर्देश दिए जा चुके हैं फिर भी ऐसा हो रहा है। इस बात को सुनिश्चित कराइए।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब यह आपका विषय नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री जी डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो 165-166 के अन्तर्गत सूचना दी थी उस पर सिंचाई विभाग से जवाब नहीं आ रहा है बार-बार इस सम्बन्ध में रिमाण्डर दिया जा रहा है लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा यह अच्छी परिपाटी नहीं है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि उत्तर तो दिलाएं ही इसकी जिम्मेदारी भी फिक्स करें, उत्तरदायित्व भी निश्चित करें। किन कारणों से उत्तर सही समय पर नहीं मिल सका।

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री महेश त्रिवेदी की जनपद कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद के अन्तर्गत श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा पर ऊपर हुए प्राण घातक हमले की शिकायत पर कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में। इस पर तीन बार सदन में चर्चा हो चुकी है। शासन से उत्तर भी दिया जा चुका है। इसे अस्वीकार किया जाता है।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

तीसरी सूचना श्री कौशल किशोर की प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। इसे अस्वीकार किया जाता है।

चौथी सूचना श्री राम कृपाल की लोकायुक्त की विशेष रिपोर्ट संख्या-1/2006 को अभी तक सदन के पटल पर न रखे जाने के सम्बन्ध में है। इसे अस्वीकार किया जाता है।

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, श्री महेश त्रिवेदी विधान सभा के सदस्य हैं इनके मामले को सुना तो गया है लेकिन कोई सकारात्मक कार्यवाही करने के बजाय बदले की भावना से इनके ऊपर अलग से मुकदमा दर्ज कराया गया इसलिए इनके मामले का अपने स्तर से निस्तारण करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आपने बता दिया मैं इनसे बात करके जो भी सम्भव होगा वह करने का प्रयास करूंगा।

बुलन्दशहर थाना कोतवाली में हुई हत्या की सूचना दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को सदन में उठाये जाने पर हुए जांच के निर्देश का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में जानकारी

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 अक्टूबर को बुलन्दशहर थाना कोतवाली में एक व्यक्ति की हत्या की गई थी जिसको मैंने सदन में तारीख 11 अक्टूबर, 06 को उठाया था उस पर आपने एक सप्ताह में जांच करने के निर्देश दिये थे किन्तु अभी तक उसका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी बाजपेयी जी ने जो प्रश्न उठाया था उसकी जांच कराकर आख्या भिजवा दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जैसा निर्देश होगा।

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए।)

संस्थागत वित्त कर निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1507/ग्यारह-9-(56)-2004-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(13)-2006 †

कर एवं निबन्धन राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त कर निबन्धन अनुभाग-2 विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1507/ग्यारह-9-(56)-2004-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(13)-2006, लखनऊ दिनांक 01 अगस्त, 2006 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा-3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्रीमती सविता वर्मा पत्नी स्व0 डा0 विनोद शर्मा के परिवार संख्या-638-2002 (लखनऊ) में माननीय लोक आयुक्त के प्रतिवेदक संख्या-11/2004 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन ††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से श्रीमती सविता वर्मा पत्नी स्व0 डा0 विनोद शर्मा के परिवाद संख्या-638-2002 (लखनऊ) में माननीय लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-11/2004 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-10/2004 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1978 की धारा-12 (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :-† (छापी नहीं गयीं।)

†† (छापा नहीं गया।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2006†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2006 से सम्बन्धित शुद्धिपत्र अधिसूचना संख्या-2399/सात-सं0-1-2006-77 सं/2005, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ''वार्षिक रिपोर्ट'' 2004-2005 †

लोक निर्माण, ऊर्जा मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ के द्वारा जारी की गयी ''वार्षिक रिपोर्ट'' वित्तीय वर्ष 2004-2005 को, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तें) विनियमावली, 2005 की अधिसूचना दिनांक 14 दिसम्बर, 2005†

लोक निर्माण, ऊर्जा मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तें) विनियमावली, 2005 की अधिसूचना दिनांक 14 दिसम्बर, 2005 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि--

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापी नहीं गयीं।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 सितम्बर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर

प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का इक्तीसवां अधिनियम बन गया।

मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :--

मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-12 में कुछ नहीं है। मद संख्या-13 में उपाध्यक्ष जी नहीं हैं। मद संख्या-14 में भी उपाध्यक्ष नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-1)†

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-1), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड-1)†

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड-1), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग तथा सचिवालय प्रशासन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का तृतीय प्रतिवेदन (खण्ड-2)†

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का तृतीय प्रतिवेदन (खण्ड-2), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित वन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का चतुर्थ प्रतिवेदन (खण्ड-3)†

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का चतुर्थ प्रतिवेदन (खण्ड-3), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का पंचम प्रतिवेदन (खण्ड-4)†

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का पंचम प्रतिवेदन (खण्ड-4), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित गृह (पुलिस) विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

नोट :-- † छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का षष्ठ प्रतिवेदन (खण्ड-5)†

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-07) का षष्ठ प्रतिवेदन (खण्ड-5), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित पशुधन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील मेंहनगर के ग्राम सभा ऐरा खुर्द में नहर के पुल से अनुसूचित जाति बस्ती होते हुये स्व0 ईशदत्त यादव के घर तक पिच कार्य कराने विषयक श्री रामजीत यादव आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमती विद्या चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील मेंहनगर के ग्राम सभा ऐरा खुर्द में नहर के पुल से अनुसूचित जाति बस्ती होते हुये स्व0 ईशदत्त यादव के घर तक पिच कार्य कराने विषयक श्री रामजीत यादव तथा श्री राम अवध यादव, निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के अन्तर्गत पुलिस चौकी बोगरिया एवं रासेपुर को थाना बनाये जाने विषयक श्री संग्राम सिंह आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमती विद्या चौधरी-

मान्यवर, मैं जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के अन्तर्गत पुलिस चौकी बोगरिया एवं रासेपुर को थाना बनाये जाने विषयक श्री संग्राम सिंह तथा श्री रामजीत यादव, निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-22 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 09 नवम्बर, 2006 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 10 नवम्बर, 2006 से दिनांक 23 नवम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

(1) दिनांक 22 व 23 नवम्बर, 2006 को सदन के उपवेशन हों।

(2) दिनांक 11 नवम्बर, 2006 से 21 नवम्बर, 2006 तक सदन के उपवेशन न हों।

(3) दिनांक 10 नवम्बर, 2006 से दिनांक 23 नवम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>नवम्बर, 2006</u>

10 शुक्रवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

2-वित्तीय वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं उसका पारण--(आधा घण्टा)।

11 शनिवार
12 रविवार
13 सोमवार
14 मंगलवार
15 बुधवार
16 गुरुवार
17 शुक्रवार
18 शनिवार
19 रविवार
20 सोमवार
21 मंगलवार

बैठक नहीं होगी।

22 बुधवार

1-प्रदेश में बिक रहे शीतल पेय में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के पाये जाने से जनस्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-(एक घण्टा)

2-निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतिकरण, उस पर विचार एवं उसका पारण :-

उत्तर प्रदेश की मौजूदा समाजवादी सरकार सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करती है कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की क्लाज-3 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिये जिसके कारण देश के ईसाइयों और मुसलमानों के दलित तबकों को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर रखा गया है। हमारी सरकार मांग करती है कि जिन वर्गों को भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है वह चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों उन्हें समान रूप से आरक्षण की सुविधायें मिलनी चाहिये। अर्थात्, जिन तबकों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है, चाहे वह किसी भी धर्म के हों उन्हीं के हमपेशा वर्गों को चाहे वह मुसलमान हों या ईसाई हों उन्हें भी अन्य अनुसूचित जातियों के समान सुविधायें दी जानी चाहिये। धर्म के आधार पर ईसाई और मुसलमान दलितों

उत्तर प्रदेश विधान सभा

को अनुच्छेद-341 के अन्तर्गत अनुमन्य कराये गये आरक्षण की सुविधाओं से अलग रखना न सिर्फ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 आदि के विपरीत है, बल्कि इंसाफ पर भी आधारित नहीं है। हमारा यह मानना है कि जिस प्रकार केवल धर्म के आधार पर किसी वर्ग को आरक्षण की सुविधायें नहीं दी जा सकती हैं उसी प्रकार केवल धर्म के आधार पर ईसाई और मुसलमान दलितों को आरक्षण की सुविधा से महरूम करना संविधान का उल्लंघन है।

3-विधायी कार्य ।

4-उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर विचार।

5-उत्तर प्रदेश विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जाँच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर विचार।

23 गुरुवार बैठक होगी।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना सदन में श्री अधिष्ठाता द्वारा दी गयी है, से सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव जो मा0 राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 †

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 30-11-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006†

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को नियम-311 की 4 सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री कालीचरण राजभर, श्री रंगनाथ मिश्र तथा डा0 विनोद तिवारी जी की प्रदेश में रबी की फसल की बुआई हेतु किसानों को रासायनिक खाद उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री संजीव दरियाबादी की कानपुर शहर में डेंगू के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरी भी इस सम्बन्ध में एक सूचना है।

श्री अधिष्ठाता-

मुझे पहले पढ़ तो लेने दीजिए। तीसरी सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट की बन्धवइन बरबारा डाईवर्जन नहर एवं ओहन डाईवर्जन नहर के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राम इकबाल सिंह जी जनपद बलिया के थाना नगरा स्थित भाजपा कार्यकर्ता श्री रामजस की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा शहर स्थित व्यवसायी सुरेश चन्द्र के मुनीम को गोली लगने से हुई मृत्यु एवं 30 लाख रुपये लूट लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना (1) श्री प्रमोद कुमार, श्री रामनरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्रीमती लुईस खुर्शीद (2) श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री आर0के0 सिंह पटेल (3) श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' तथा

---

† दिनांक 30-11-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (4) श्री सुरेश कुमार खन्ना (5) श्री धर्मपाल सिंह (6) डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में हुई व्यापक धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री राम प्रकाश त्रिपाठी की जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ अन्तर्गत पुलिस हिरासत में दलित युवक की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, 2-श्री कौशल किशोर, 3-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, 4-श्री धर्मराज निषाद, 5-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, 6-श्रीमती विद्या चौधरी 7-श्री सतीश महाना, 8-श्री घूरा राम तथा श्रीमती विद्या चौधरी, 9-डा0 सुशील चौधरी, 10-श्री राम कृपाल, 11-श्री नवाब सिंह नागर, 12-श्री महेश त्रिवेदी, श्री जगदीश नारायण राय, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री बाबू लाल कुशवाहा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी ....

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, जब सदन यहां पर शुरू हुआ तो माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए थे और उन्होंने नियम-311 के अन्तर्गत सूचना देने के लिए कहा था तो माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर यह कहा था कि सूचना आपकी प्राप्त हो गयी है लेकिन उसको नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है, जब नियम-56 आयेगा तो सुना जायेगा। यह शब्द कार्यवाही में अंकित है और आपने निरस्त कर दी। माननीय अध्यक्ष सदन में कोई बात कहें और नेता प्रतिपक्ष के सन्दर्भ में कहें और उसके बाद सूचना हमें यह मिले, मान्यवर, यह निहायत आपत्तिजनक है। मेरा आग्रह है कि जब सदन में कहा गया और माननीय अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि जब नियम-56 की बात आयेगी तो परिवर्तित करने के बाद में आपको सुना जायेगा तो आपने कैसे कह दिया कि नहीं सुना जायेगा ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह परिवर्तित कर दिया गया है। आप कार्यवाही निकाल कर देख लें और अपने निर्णय को तद्नुसार संशोधित करा लें मान्यवर, पीठ के निर्णय को।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अभी आप प्रारम्भ होने दें, हम उसको देख लेंगे।

(श्री जगदीश नारायण राय के खड़े होते ही भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य सर्वश्री सतीश महाना, मुंशीलाल गौतम, नवाब सिंह नागर आदि एक साथ सदन की वेल में आकर खड़े हो गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप पहले उस पर निर्णय करायें, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष का आयेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सैकड़ों किसान भूख से मर रहे हैं और सरकार कह रही है कि भूख से नहीं मर रहे हैं, जिलाधिकारी को सस्पेण्ड करेंगे, धौंस दे-देकर तो कौन जिलाधिकारी सही स्थिति बतायेगा ? वह कह देगा कि उसने अपने-आप फांसी लगा ली, वह कोई और कारण बता देगा उसके मरने का, वह कुपोषण बता देगा उसके मरने का कारण।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग अपनी जगह पर जायें, हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सबसे पहली सूचना तो यही थी।

श्री अधिष्ठाता-

पहली सूचना तो स्वीकार कर ली गयी है। माननीय राय साहब बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, रबी की फसल में रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं है यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

किसान भूख से मर रहा है, कर्ज की वसूली के कारण मरा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जी ने अगर कोई बात कही है तो उसका संज्ञान लिया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

सरकार कह रही है कि जिलाधिकारी जिम्मेदार होगा, कोई भी जिलाधिकारी ईमानदारी से सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है सरकार को, भूख से किसान मर रहा है किसान कर्ज के दबाव में आकर आत्महत्या कर रहा है और उसके बाद सरकार कहती है कि जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे, कोई भी जिलाधिकारी सत्य बयान नहीं कर रहा है, झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं और सदन में चर्चा के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि आपकी नियम-311 की सूचना नियम-56 में परिवर्तित कर दी गई है और जीरो आवर में सुनी जायेगी।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय हुकुम सिंह खाद का प्रश्न उठाया जा रहा है उसको सुन लीजिए फिर विचार कर लिया जायेगा।

(सदन के फ्लोर पर आये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपनी-अपनी बात कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता-

क्या खाद्य का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है किसानों के लिये और इस पर आप सुनना नहीं चाहते हैं ?

मैं आपसे कह रहा हूं कि रासायनिक खाद्य पर एक प्रश्न उठाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(श्री मुकुट बिहारी वर्मा सदन के फ्लोर से कहने लगे कि किसान भूखों मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आप उस पर चर्चा करा लें)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग पहले अपने आसन पर वापस जायें। मैंने माननीय राय साहब को बुला लिया है उनको सुन लें। कृपया अपने-अपने आसनों पर जाकर बैठ जायें। अपने आसन से जाकर कोई बात कहें।

यदि कोई व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी ने पहले दी है तो उसको देख लेने दीजिये। नियम-56 में ही राय साहब बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने यदि कोई व्यवस्था दी है तो उसको देख लेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमने नियम-311 के अन्तर्गत नोटिस दी थी। यह माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि जब नियम-56 की मद आयेगी तो उस समय इसको उसमें परिवर्तित कर दिया जायेगा और सुन लिया जायेगा। प्रदेश के किसान भूख से मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार कुछ कर नहीं रही है। इससे ज्यादा ज्वलन्त समस्या और क्या होगी। क्या उत्तर प्रदेश का किसान इस तरह से भूख से मर जायेगा। आज सारे प्रदेश में आग लगी हुई है। पूर्वांचल में आग लगी हुई है बुन्देलखण्ड में लगी हुई है। किसान भूख से मर रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय हुकुम सिंह जी यदि माननीय अध्यक्ष ने आपकी नोटिस पर कोई व्यवस्था दी है तो उसको हम देख लेंगे। अभी माननीय राय साहब को बोल लेने दीजिये। अध्यक्ष जी की व्यवस्था का पालन होगा लेकिन आप अपने आसन पर तो जायें। यह कोई तरीका नहीं है। माननीय राय साहब को रसायनिक खाद के प्रश्न पर अपनी बात कह लेने दीजिये।

(घोर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि यदि कोई ऐसा मामला पाया जायेगा तो जिलाधिकारी को निलम्बित कर देंगे। तो कौन जिलाधिकारी लिख कर देगा कि किसान अनाज के अभाव में आत्महत्या कर रहा है। किसानों की आत्महत्या के प्रश्न पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप चाहें तो हम लोगों को निकाल दीजिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप यह अखबार देख लीजिये जिसकी हेडिंग है खुदकशी की खेती।

(सदन के फ्लोर पर खड़े श्री सतीश महाना कहने लगे कि आप कह दें कि आप नेता विरोधी दल की सूचना को पहले सुन लेंगे तो हम लोग चले जायेंगे)

(श्री अम्बिका चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

राजस्व मंत्री जी बोलना चाह रहे हैं उनको बोलने दें।

(वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, 15 रुपये किलो आटा बिक रहा है 40 रुपये किलो दाल बिक रही है, गरीब क्या खायेगा ?

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग अपने आसन पर जायं।

पहले आसन पर जाइये फिर आप बोलिये तो मैं व्यवस्था दूं।

(वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता-

राम इकबाल सिंह जी, अपने आसन पर बैठिये तो मैं अपनी व्यवस्था दूं।

* राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, परम्परा यह है कि जिस किसी विषय पर माननीय अध्यक्ष जी कोई निर्णय दे देते हैं, व्यवस्था दे देते हैं उस व्यवस्था को हर हालत में शिरोधार्य सबको करना है। सिर्फ यह दिखवा लें कि माननीय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दे दी थी तो उसका पालन होना चाहिए उसमें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। यद्यपि अभी मान्यवर, पीठ पर है आप ही इसका निर्णय देंगे कि कौन सी व्यवस्था यहां होगी ? केवल इसको दिखवा लें कि माननीय अध्यक्ष जी ने कोई व्यवस्था दे दिया है तो उसको दिखवा लें। लेकिन अपने आसन पर इनको बैठायें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय महाना जी, आसन पर चलें। मेरी व्यवस्था को सुनें, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, पहले आसन ग्रहण करें।

श्री हुकुम सिंह-

गरीब भूख से मर रहा है, किसान भूख से मर रहा है उसकी बात भी आप सुनना नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी, नेता विरोधी दल भी थे कि कार्य-स्थगन जब आयेगा तो आपको सुना जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग आसन ग्रहण करें, माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं, अपने नेता का तो आदर करिये।

(नेता विरोधी दल के अनुरोध पर वेल में आये हुए सदस्य अपने आसन पर चले गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने मौर्या जी को बुला लिया था। निश्चित तौर पर आज किसान तबाह हो रहा है, सूखे की मार से किसान पीड़ित है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मौर्या जी तो उस समय हाउस में उपस्थित नहीं थे।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैंने शुरू में ही 311 की एक नोटिस दी थी जिस पर माननीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि 56 में कन्वर्ट करके प्रायरिटी दी जायेगी, आपको सुन लेंगे। हम लोग उनका निर्देश मानकर बैठ गये अब उनके इस आदेश के बाद फिर अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो वह आदेश सदन की परिपाटी हो गयी जो उन्होंने अपनी व्यवस्था दी थी।

श्री अधिष्ठाता

माननीय टण्डन जी, आपको जो भी इस पीठ से आश्वासन मिला है, अध्यक्ष जी ने जो भी निर्णय दिया है, उसका तो पालन होगा ही, लेकिन मान्यवर, अब मैंने मौर्य जी को बुला लिया है। रासायनिक खाद किसानों को नहीं मिल रही है, यह उन्होंने महत्वपूर्ण विषय उठाया है और यह पहले सुन लिया जाय। फिर जो माननीय अध्यक्ष द्वारा आपको आश्वासन प्राप्त हो गया है, उसको मैं दिखवा लेता हूं, उसका पालन होगा।

श्री लालजी टण्डन-

आप दिखवा लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने खाद का सवाल उठाया है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष की हमेशा वरीयता रहती है। यह हमारा अधिकार है।

(भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय टण्डन जी, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं। आज रबी की बुवाई का समय आ गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

(पुनः भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

माननीय टण्डन जी, माननीय अध्यक्ष जी ने आपको आश्वासन दिया है कि सुनूंगा तो आपको सुना जायेगा, इसे कौन इंकार कर रहा है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव को वरीयता मिलती है। यह परम्परा है। अगर माननीय अध्यक्ष जी ने यह बात कही है तो स्वाभाविक वरीयता मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता-

जिस समय पुकारा गया, उस समय नेता प्रतिपक्ष नहीं थे और तब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी को बुला लिया। अब माननीय स्वामी प्रसाद जी बोलेंगे, उसके बाद आपको सुना जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

उस समय मौर्य जी भी नहीं थे।

श्री अधिष्ठाता-

मौर्या जी विराजमान थे। मैं हुकुम सिंह जी आपको बराबर आश्वासन दे रहा हूं कि जो भी आश्वासन दिया गया है, उसका पालन किया जायेगा। लेकिन माननीय टण्डन जी उस समय नहीं थे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आपने अस्वीकृत किया है। जबकि तीन लोगों के दस्तखत हैं। एक तरफ अस्वीकृत और एक तरफ आश्वासन, यह कैसे चलेगा ? हमारा भी उसमें दस्तखत है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी बोल लें। उसके बाद हम आपको सुन लेंगे।

(इस पर भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्री सतीश महाना, मुकुट बिहारी वर्मा, गुलाब देवी आदि कई सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

श्री लालजी वर्मा-

टण्डन जी, यह करवायेंगे तो आप भी नहीं बोल पायेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में नारेबाजी करते रहे और इसी मध्य रबी की फसल की बुआई हेतु किसानों को रासायनिक खाद उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने कहा कि नेता विरोधी दल को भी सुना जाएगा, पहले मौर्या जी पूरा कर लें।

श्री धर्मपाल-

मान्यवर, परम्परा का पालन होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मैने माननीय मौर्या जी, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री कालीचरण राजभर, श्री रंगनाथ मिश्र के द्वारा नियम-56 में रासायनिक खाद के विषय में सुनने के लिए मौर्या जी का नाम पुकारा था, उसके बाद आपको भी सुन लेंगे।

श्री सतीश महाना-

सदन के फ्लोर से पहले नेता प्रतिपक्ष का विशेषाधिकार है जो चीज पहले थी, उसको पहले लिया जाना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदन को व्यवस्थित करायें।

(घारे व्यवधान/शोर)

(वेल में आये हुये सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज ऐसी ज्वलन्त समस्या जो किसानों से सम्बन्धित है, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान मरणासन्न है, इस महत्वपूर्ण विषय को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने प्राथमिकता के आधार पर सुनने को आश्वस्त किया था, उसी क्रम में निर्देश हुआ था जिसके पालन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

(वेल से) अधिष्ठाता महोदय, आज देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, प्रदेश में भुखमरी से किसान मर रहा है, आप पीठ से निर्देश करिये कि पहले इस विषय का सुना जायेगा। अगर इसको नहीं सुनेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं रखती है।

डा0 अरुण कुमार महेरोत्रा-

(वेल से)-किसान मर रहा है, लेकिन सरकार कोई दखल नहीं दे रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अधिष्ठाता महोदय, न खाद मिल रही है न बीज मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में साधन सहकारी समितियों से खाद और बीज गायब है। ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से बड़े-बड़े व्यवसायियों के यहां खाद और बीज उपलब्ध है। वही खाद और बीज जो किसानों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, साधन सहकारी समितियों पर नहीं मिल रहा है लेकिन कालाबाजारी में उपलब्ध है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र डलमऊ के ऊंचाहार, रसूलपुर, जगतपुर आदि विभिन्न सहकारी समितियों का जाकर स्वयं निरीक्षण किया लेकिन कहीं भी खाद और बीज उपलब्ध नहीं है।

(वेल में आये हुये श्री नवाब सिंह नागर, श्री मुंशी लाल गौतम व अन्य सदस्य किसान विरोधी नारे लगाते हुए मा0 अधिष्ठाता पीठ की तरफ बढ़ने लगे जिन्हें सुरक्षा गार्डों द्वारा रोका गया।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, खेद है कि सहकारी आन्दोलन को चलाने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। किसान आज परेशान है, उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। ....

(वेल में आये हुए माननीय सदस्य नारे लगाते रहे।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

किसानों की फसल बुआई का समय चल रहा है लेकिन किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है। यहां पर सदन में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इसलिए व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं जिससे यहां पर हम किसानों की समस्या को, न उठा सकें। इनकी सरकार से मिली भगत है। किसान विरोधी सरकार को बचाने के लिए यहां पर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी गूंगी बहरी सरकार को बचाना चाहती है। इससे दोनों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सदन की सारी कार्यवाही रोककर मैं चर्चा की मांग करता हूं।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर किसान विरोधी सरकार के नारे लगाते रहे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से सरकार का साथ दे रहे हैं वह संदेश प्रदेश की जनता के सामने जा रहा है और प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकतांत्रिक परम्पराओं को तोड़ने का काम यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह से आपके निर्देशों की अवहेलना कर रही है। पीठ के निर्देशों की अवहेलना कर रही है उससे यह साबित होता है कि यह लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इन लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके इन्हें सदन से बाहर निकालने का काम करें।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप सदन को व्यवस्थित करायें जिससे इस गम्भीर विषय पर सदन में गम्भीरता के साथ चर्चा हो सके।

श्री अधिष्ठाता-

मौर्या जी, अब आप समाप्त करें।

(सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इनको अनुशासन का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। सदन को पहले व्यवस्थित करायें। आप इनको निर्देशित करें कि यह लोग अनुशासित होकर अपने स्थान पर चले जायं। विधान सभा में यह पीठ के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सदन का समय बहुत कीमती है। हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं यहां पर रखते हैं लेकिन यहां पर यह जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। यह लोग सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। अध्यक्ष पीठ के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। इनका यह कार्य बहुत ही निन्दनीय है, शर्मनाक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनको अनुशासित करने के लिये निर्देशित करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता विरोधी दल, आप अपने सदस्यों को शांत करायें और उनसे कहें कि वे अपने स्थान पर आ जायें। मौर्या जी ने यह विषय उठाया है उस पर पूरी बात आ जाने दीजिये उसके बाद आपकी बात सुन ली जायेगी। माननीय सदस्यों को आप वापस बुला लीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

आपने जो व्यवस्था दी है, उसमें आपने इसको अस्वीकार कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि हमारी बात को सुना जायेगा लेकिन आप तो उसको मान नहीं रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नियम-56 में परिवर्तित कर दी है।

श्री लालजी टण्डन-

पहले आपने अस्वीकार कर दी और फिर कहा कि मौर्या जी बोल लें उसके बाद मुझे अवसर दिया जायेगा। अब आप कह रहे हैं कि पहले पूरा डिस्कस हो जाय। आप यह स्पष्ट कर दें कि अध्यक्ष की दी गई कोई व्यवस्था का पालन होगा कि नहीं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने कहा कि अध्यक्ष जी द्वारा दी गई व्यवस्था का पूर्णतया पालन होगा। अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार कार्यवाही होगी। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात सुनी जायेगी। पहले टण्डन जी थे नहीं इसलिए मौर्या जी बोलने लगे। आप लोग सदन को व्यवस्थित करायें।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

इस विषय को अब समाप्त होने दीजिए।

श्री लालजी टण्डन-

प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसान आत्म हत्यायें कर रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

नेता सदन, सदन में मौजूद थे उस समय आप लोग कहते तो वह सुनते।

श्री लालजी टण्डन-

तीन लोगों के दस्तखत हैं। आप किसी को तो मौका दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

उस समय आप नहीं थे।

श्री हुकुम सिंह-

आपने अस्वीकार कर दिया। हमें आपत्ति 'अस्वीकार' पर है किसी के बोलने पर नहीं है। आपने कहा अस्वीकार किया हमें इस पर आपत्ति है।

(मा0 सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे)

श्री लालजी टण्डन-

आपने अस्वीकार कैसे किया ?

श्री अधिष्टाता-

मैं बार-बार कह रहा हूं कि मा0 अध्यक्ष जी ने अगर व्यवस्था दी है।

(व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

(सदन के फ्लोर से) अगर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

सुनने का प्रयास करें। माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है तो स्वीकार की जाएगी। सभी माननीय सदस्य अपने आसन पर बैठें।

श्री सतीश महाना-

(सदन के फ्लोर से) जब अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया तो आपने अस्वीकार क्यों किया ?

*श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप उस पीठ पर बैठे हैं इस समय नियमावली के आधार पर आपमें सारी शक्तियां निहित हैं। चाहे अध्यक्ष हों, चाहे उपाध्यक्ष हों चाहे आप बैठे हों ऐसी स्थिति में पूरी ताकत आपमें निहित है तो कोई व्यवस्था परिवर्तित करने का भी आपको अधिकार हैं आपके निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। अगर आपत्ति की जा रही है तो यह लोकतंत्र की हत्या है।

श्री अधिष्ठाता-

स्वामी प्रसाद मौर्या जी किसानों से संबंधित विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

(मा0 सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे)

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, आप और हम सभी एक साथ थे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब एक विषय उठ चुका है और आपने एक निर्णय दे दिया।

श्री लालजी टण्डन-

अध्यक्ष जी, आपने आश्वासन दिया था कि नियम-56 के समय इसे लेंगे, मैंने आपके आदेश का पालन किया और बैठ गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इससे ज्यादा अशोभनीय और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा, नारे लग रहे हैं कि "अध्यक्ष के आदेश का पालन हो" लेकिन अध्यक्ष पीठ के आदेश को अस्वीकार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, मा0 मौर्या जी, आप सब से निवेदन है, आप लोग बैठ जाएं। आपने जो सूचना नियम-311 के अन्तर्गत दी थी, उसे मैंने नियम-56 में स्वीकार कर लिया, केवल बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलने पर है। एक डेलीगेशन आया था, उसमें नेता विरोधी दल थे, मौर्या जी भी थे, कांग्रेस के नेता थे, सारे लोग वहां थे, अब बोलने में प्रायरिटी क्या हो गई, यह अलग बात है। अधिष्ठाता जी ने बताया, आप हम लोगों के साथ थे, इसलिए उनको बोलने के लिए बुला लिया।

श्री सतीश महाना-

गलत है, गलत है।

श्री लालजी टण्डन-

मौर्या जी भी वहां थे और मैं भी वहां था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल को सदन में एक विशेष स्थान प्राप्त है, उनके उस अधिकार को न चुनौती आप देते हैं और न हम देते हैं, न देना चाहिए। यह किन्हीं परिस्थिति में हो गया, मौर्या जी, जब सारे विषय ले लिए गए, आप का विषय अलग है और उनका विषय अलग है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक व्यक्ति कोई बोल रहे थे, अधिष्ठाता जी ने एक निर्णय दिया, उसे सबको मानना चाहिए।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, एक निर्णय नहीं हुआ, तीन-तीन निर्णय हुए, पहले बुलाया, फिर रिजेक्ट हुआ और फिर कहा कि मौर्या जी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मौर्या जी बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपसे निवेदन है, महाना जी, त्रिपाठी जी और गुप्ता जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आप सब पक्ष और विपक्ष में भी रहे हैं, आप बैठ जायें, मौर्या जी अपनी बात खत्म कर लें।

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हमारी बात भी आप माना करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वेल से वापस अपनी सीटों पर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, बहुत आसान सा फार्मूला है, यह भी बोलते-बोलते थक जायेंगे और 2-3 मिनट में गिर जायेंगे, 5 मिनट में उनको गिराइये, फिर सदन चले।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, यह हमारे जिले की समस्या है, मण्डल की समस्या है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य शोरगुल करते रहे। सदन परम्पराओं से चलता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल को प्राथमिकता नहीं होती है, विषय की प्राथमिकता होती है। विषय खत्म नहीं हुआ और उनको सुना जाय तो यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जो बात एक सदस्य कहते हैं वही पुनरावृत्ति दूसरे सदस्य करते हैं। मौर्या जी को बुला लिया है, सरकार का जवाब आ जाय फिर नेता विरोधी दल को सुन लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों से जुड़े, हुए अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो साधन सहकारी समितियों में खाद और बीज न मिलने से समस्या उत्पन्न हो गयी है, बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा कि जग जाहिर है, यह कृषि प्रधान प्रदेश है और अस्सी प्रतिशत लोग यहां पर खेती पर, कृषि पर निर्भर करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में जिस समय पूरे उत्तर प्रदेश में रबी की फसल की बोआई हो रही है और किसान को जिस समय खाद और बिजली की नितान्त आवश्यकता है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में उत्तर प्रदेश की साधन सहकारी समितियों में खाद और बीज गायब है। डी0ए0पी0 जो किसान की आवश्यकता है वह किसी भी साधन सहकारी समितियों में नहीं मिल रही है। इसी तरह से जो उन्नतशील बीज किसानों को साधन सहाकरी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते थे आज वह नदारद हैं। मान्यवर, मैंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा किया और इसी क्रम में अपने विधान सभा क्षेत्र डलमऊ का भी दौरा किया। जब किसानों ने अपनी समस्या रखी तो मैंने अपनी विधान सभा में आने वाली साधन सहकारी समितियों का निरीक्षण करने का काम किया। हमारे क्षेत्र डलमऊ में नाथखेड़ा, कटघर, रायपुर, टप्पा हवेली, मधुकरपुर, संतपुर, रसूलपुर, धरौवां, रामासाण्डा, खरौली, अखा, ऊंचाहार, उपख, अकोढ़िया, धूना, जगतपुर, सिद्धौर तिख्तामुख्सल्लेपुर, वरारा बुजुर्ग, सुद्वाहरदो गदागंज, जलालपुर धयी, धमधमा, मतरौली, बिशुनदासपुर आदि साधन सहकारी समितियों में ताले बन्द हैं, या जहां पर अगर खुली भी है तो वहां न तो खाद मिल रही है और न ही बीज मिल रहे हैं। मान्यवर, जो वहां पर किसानों को सस्ते दर पर डी0ए0पी0 मिलने चाहिए 470/ रुपये प्रति बोरी के हिसाब से वह नहीं मिल रही है जबकि खुले बाजार में साढ़े पांच सौ, छः सौ में यह खाद उपलब्ध है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर खुले बाजार में पांच सौ, छः में खाद उपलब्ध हो रही है तो इसका मतलब है कि साधन सहकारी समितियों से काला बाजारी हो रही है। इसी तरह से यूरिया जो कि 258/-रु0 प्रति बोरी के हिसाब से मिलनी चाहिए थी वह नदारद है और खुले बाजार में तीन सौ रुपये प्रति बोरी के हिसाब से मिल रही है। यह सारा घटनाक्रम इस बात को जाहिर करता है कि यह साधन सहकारी समितियां काला बाजारी का अड्डा बन गयी है। यही कारण है कि पूरा किसान खाद और बीज से मरहूम हो गया है। सूखे से किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब आज उसकी फसल चौपट हो रही है, सूखा पड़ता है तो वह किसान कर्ज की अदायगी नहीं कर पायेगा तो उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा और अब यह हो रहा है कि रबी की बोआई का मौका आया है और उसे खाद तथा बीज उपलब्ध नहीं हो रही हैं, डी0ए0पी0 गायब है तो किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। काला

बाजारी के माध्यम से बिचौलिये मजा मार रहे हैं। खेती बरबाद हो रही है, कृषि बरबाद हो रही है। मान्यवर, मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा।

मान्यवर, इसी क्रम में मैं एक दृष्टान्त देना चाहता हूं, अभी-अभी महोबा में चरखारी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत उदयराजगंज में मान्यवर, एक किसान.....

श्री अध्यक्ष-

सरकार का वर्जन आ जाने दीजिए तो इस पर निर्णय दे देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह ठीक है, मान्यवर, राम किशोर राजपूत ने अपनी कर्ज अदायगी न कर पाने के कारण उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसलिए मैं कह देना चाहता हूं ऐसी स्थिति में आज-कल आने वाले उत्तर प्रदेश में हजारों की तादात में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हों, उसके पहले सरकार को सावधान होना पड़ेगा, उसके पहले सदन से इस बात के लिए कोई निर्देश जाना चाहिए जिससे कि सरकार गम्भीर होकर के किसानों की इस महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने के लिए कोई न कोई ठोस कार्यवाही करने का काम करे। मान्यवर, चूंकि यह ज्वलन्त मामला है, किसानों की रवी की बुवाई का दौर चल रहा है, किसानों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है और मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय है, इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न को मान्यवर, प्राथमिकता के आधार पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं और सदन की सारी कार्यवाही को रोक करके इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठ जायें यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाने दीजिए अगर उसमें आप निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मिश्रा जी यह प्रदेश का महत्वपूर्ण विषय है मंत्री जी का जवाब आ जाने दीजिए तो उसमें क्या चर्चा कराने की आवश्यकता है ? क्या है ? उस पर विचार हो जायेगा। अब आप बैठिये। यह अच्छी बात नहीं है। डा0 विनोद तिवारी जी आप भी बैठिये। पहले मंत्री जी को सुन लें।

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस वर्ष रवी की फसल में बीज के वितरण का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में लगभग मान्यवर, 45 प्रतिशत अधिक वितरण करने का लक्ष्य रखा। पिछले वर्ष मान्यवर, 22.04 लाख कुन्तल बीज का वितरण किया गया था, इस वर्ष 24.35 लाख मैट्रिक टन बीज का वितरण किया जा रहा है। मान्यवर, इस प्रकार से हमने जो बीज प्रतिस्थापन की दर है जो दसवीं पंचवर्षीय योजना में 20 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का था से बढ़ा कर 22.85 प्रतिशत लक्ष्य बीज परिवर्तन का हमने रखा है। तो मान्यवर, यह अपने में एक कीर्तिमान है जो स्थिति है मान्यवर, गेहूं, कुल रवी के बीज की पिछले वर्ष की तुलना में मान्यवर, पिछले वर्ष से अब तक बीज 24 लाख 35 हजार 473 कुन्तल मान्यवर, हमने लक्ष्य रखा, 19 लाख, एक लाख 92 हजार 449 लाख मीट्रिक टन

का वितरण हम कर चुके हैं 02 लाख 43 हजार 473 के अगेंस्ट मान्यवर, और इस तरह से रवी के बीज में हमने 02 लाख 13 हजार 162 कुन्तल अधिक बीज का वितरण किया है, पिछले वर्ष की तुलना में। कहीं पर भी मान्यवर, बीज की कमी नहीं है, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, राई, तोरिया जहां से भी जिलों से जो लक्ष्य रखे गये हैं जो उन लोगों की डिमाण्ड आयी है, पहले से प्राप्त कर ली जाती है, उन जिलों में उस तरह से बीज की उपलब्धता मान्यवर, कराई गयी। जहां तक उर्वरकों का सवाल है।

मान्यवर, 31 अक्टूबर तक रवी की फसल में 20 प्रतिशत यूरिया और 50 प्रतिशत डी0ए0पी0 का लक्ष्य रखा गया है और रखा जाता है मानक के अनुरूप मान्यवर, 31 अक्टूबर तक, और 31 अक्टूबर तक यूरिया की उपलब्धता है मान्यवर, 25.50 फीसदी और डी0ए0पी0 की उपलब्धता है मान्यवर, 52 फीसदी और इसी तरीके से एन0टी0 के और दूसरी खादों की उपलब्धता मान्यवर, 37 फीसदी एन0पी0 और 26 फीसदी एन0ओ0पी0 है, तो हमने जो लक्ष्य है, 31 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत डी0ए0पी0 और 20 प्रतिशत यूरिया रवी की फसल ली और मान्यवर, इसके अलावा लगातार इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि डी0ए0पी0 की कहीं पर कोई कमी न होने पाये, लेकिन एक कठिनाई आई जो पारादीप ओसवाल की डी0ए0पी0 फैक्ट्री थी मान्यवर, वह बन्द हो गयी थी, उसके बाद इफ्को ने उसको खरीदा उसका संचालन सितम्बर महीने के बाद उसका संचालन प्रारम्भ हो गया तो जो वह बड़ा उत्पादन डी0ए0पी0 का करती थी उसके बन्द हो जाने से और मान्यवर, जो फास्फोरिक एसिड होता है जिससे यह डी0ए0पी0 बनती है और इसे भारत इसके आयात करने का करार करती है वह करार भी मान्यवर, विलम्ब से हुआ भारत सरकार द्वारा और जिसके कारण फास्फोरिक एसिड का आयात मान्यवर, समय से नहीं हो सकता लेकिन इस सबके बावजूद भी लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि डी0ए0पी0 और यूरिया की कहीं कोई कमी न रहने दी जाय और मान्यवर, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुपात में किसी भी जनपद में कमी नहीं है और अगर माननीय सदस्य चाहें या आपका निर्देश हो तो मैं जिलेवार सबकी उपलब्धता और प्रतिशत बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसकी कोई जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी यह एक ऐसा विषय है जिससे सभी माननीय विधायक अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित हैं आपने तो सारे आंकड़े जो सरकार ने पहुंचाये, वह बता दिये किस क्षेत्र में पहुंचा किस क्षेत्र में नहीं पहुंचा इसकी जानकारी जो है, जब यहां विधायक अपने-अपने क्षेत्र की बात करेंगे तब होगा, इसलिए इस को अग्राह्य करते हुए मैं एक घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं और जिस दिन असेम्बली बैठेगी, पहले दिन 22 या 23 को उसी दिन यह चर्चा होगी।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, एक और सूचना ले लें, कि अभी तक, कहीं पर भी कोई कालाबाजारी न हो, 5296 जगहों पर छापे डाले गये मान्यवर, 2953 नमूने लिये गये, 33 गोदाम सील किये गये, 178 लाईसेन्स निलम्बित किये गये।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, अब सब चर्चा में आयेगा। माननीय टण्डन जी।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जो प्रदेश में कभी नहीं होता था वह अब हो रहा है और प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में लोग आत्महत्या कर रहे हैं।

आप लोग टोका टाकी बीच में कर रहे हैं। अगरसत्ता पक्ष को जरा भी लज्जा है तो इस पर शर्म करो। मान्यवर, पिछले दो महीनों में ही करीब 50 से अधिक आत्महत्यायें हो चुकी हैं बुन्देलखण्ड में, यह विदर्भ में होता था, उसका भी आंकड़ा यह पार कर गये हैं। कोई अपनी पत्नी बेच रहा है दो कुन्टल गेहूं पर। खुद अपने चार बच्चों को जहर खिला दे रहा है और फिर खुद जहर खाकर मर जा रहा है। इस तरह से पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या का शिकार हो रहा है। और स्थिति यह है कि इसमें सरकार की ओर से कोई संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है। यह बात पहले भी यहां उठी थी उसके बारे में कोई योजना बननी चाहिए थी उसके लिए क्या किया गया है कहीं कोई बात नहीं आ रही है। इसमें मैं मान्यवर, कुछ नाम सदन की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं। झांसी के गांव तहरौली में बबलू ने 23 मार्च को खुदकशी की। ललितपुर के वृद्धा ब्लाक में 45 साल के श्रीपत लोध ने कुछ महीने पहले खुदकशी की। महोबा जिले के मोहारी गांव में इसी वर्ष 26 मई को 35 वर्षीय जगदीश ने खुदकशी की। बांदा के पंडुई गांव में 6 जुलाई को किशोरी लाल साहू 45 वर्षीय ने खुदकशी कर ली। ललितपुर में कर्ज में डूबे 50 साल के प्रीतम शहरिया ने खुदकशी की। इस तरह से पूर्वांचल में भी दर्जनों मौतें हो चुकी हैं पिछले कुछ महीनों में। वाराणसी और आसपास ही दर्जनों मौतें हुई हैं। सजोई गांव की शान्ति देवी, कपसेठी की झुलई देवी, पिडंरा के कुछनू खान, चितईपुर की बेबी, बड़ा गांव के सावंत सेठ, कदंवा के रवी वर्मा और हुकुला के सलोन शामिल हैं। मान्यवर, इसमें बहुत लम्बी सूची है मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं कि किस तरह से ये लोग खुदकशी कर रहे हैं।

मान्यवर, एक तरफ तो ये लोग दोहरे कर्ज से परेशान होकर ये कार्य कर रहे हैं। जो सूदखोरों से पैसा ले रहे हैं उसमें ब्याज दर ब्याज पैसा बढ़ता जा रहा है। जब ये लोग सहकारी समितियों में जाते हैं तो कहा जाता है बैंक से कर्जा लेकर खाद ले। और जो पैसा ले लेते हैं वह पैसा अदा नहीं कर पाते हैं और जिसके फलस्वरूप खुदकशी कर रहे हैं। मान्यवर, खाद्यान्न गरीब लोगों को कहीं मिल रहा है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल कोलेप्स कर गया है वह व्यवस्था कहीं है नहीं ठीक। मान्यवर, जो गरीबी रेखा के नीचे थे जिन लोगों को 2 रुपये किलो गेहूं मिलता था, एक भी दुकान पर गये हैं, कहीं नहीं है। जो निराश्रित वृद्धाओं को 10 किलो अनाज मुफ्त मिलता था वह आज कहीं नहीं है। बड़ी संजीदगी से अभी उत्तर आयेगा कि यह बात सही नहीं है, यह गलत है जो हम कह रहे है। वही रटारटाया उत्तर आ जायेगा। वर्षा न होने के कारण कृषि चौपट है। खाद मिली नहीं कृषि उनकी चौपट है। गांव में बिजली नहीं है इससे आज उत्पादन के ऊपर असर पड़ रहा है महंगाई के कारण अनाज पहुंच से बाहर हो गया है। अनाज लूट रहे हैं किसान। अभी इधर दो समाचार आये थे एक मान्यवर, किसी आश्रम में एक भारी भीड़ ने जाकर हमला किया वहां काफी सोना, चांदी जैसा होता है, वह था लेकिन उन्होंने कुछ न लेकर जो अनाज का भंडार था वह लूटकर ले गये। यह इस बात का सबूत है कि लोगों को आज भी अनाज लूटने की जरूरत पड़ रही है भुखमरी से बचने के लिए। मान्यवर, यह जो बच्चों को मिड-डे-मील मिलता है कई जगह यह लूट लिया गया तो जब यह स्थिति आ रही है कि लोग अपना पेट पालने के लिए आश्रमों को लूट रहे हैं,

खाद्यानों को लूट रहे हैं तो कल यह निश्चित समझ लें कि सरकार में बैठे हुए लोगों के घर बचेंगे नहीं, वह भी लुटेंगे। क्योंकि जब आदमी भूख से परेशान हो जाता है तब इस तरह का काम करता है। मान्यवर, कितनी दर्दनांक बात है कि दो बोरा गेहूं के लिए किसी ने अपनी पत्नी बेच दी। यह हंसने की बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूं इसकी जांच कराइये गलत है या सही है। यह घटनाएं हो रही है तो सरकार कुछ करेगी या नपुंसकों की तरह देखती रहेगी ? मान्यवर, यह जो सब तरफ से रिपोर्ट आ रही हैं इसमें 'हंगरी इन बुन्देलखंड हाऊ आर दि ईटिंग ग्रास' घास की रोटी खाने के लिये बुन्देलखंड में लोग मजबूर हो रहे हैं। 'ऊंचा एक विलेज नो मोर' है जो पूरा गांव खत्म हो गया कोई बचा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मर गये कि भाग गये ?

श्री लाल जी टण्डन-

पूरा मान्यवर, भुखमरी से पलायन कर गये या मर गये, खुदकशी कर ली। मान्यवर, इसमें सोसाइड एपेडमिक यह कितनी गंभीर चेतावनियां है कि भुखमरी एक महामारी की तरह फैल रही है। अब यह सब गलत है तो फिर जब यह अदालत इनसे पूछती है कि एक प्रश्न में महामारी की बात हो रही थी, शायद प्रमोद जी ने उठाया था, डेगूं के बारे में तो कोर्ट में सरकार यह कही कि कोई खतरनाक बात नहीं है तो उन्होंनें पूछा कि अभी कितने लोग और मरेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

यह दिल्ली में पूछा, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार से नहीं पूछा, आप मिसक्वोट कर रहे हैं।

श्री लाल जी टण्डन-

आपकी सरकार बहुत अच्छी है। आपकी सरकार से जब अदालत इसी तरह पूछेगी, तब आपको जवाब देना होगा। इसलिये इसको लाइटली न लीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसका वजन है, लेकिन आप मिसक्वोट कर रहे हैं, इसलिये मैनें कहा। वैसे श्रीमन् जानबुझकर आप मिथ्या बोलें, वह अलग बात है, लेकिन धोखे में बोल जायें तो वह करेक्ट करना मेरी बात है।

श्री प्रमोद कुमार-

टण्डन जी, कहां आप और आपका यह करेक्ट करेंगे। कहां टण्डन जी आपका विशाल व्यक्तित्व और यह आपको करेक्ट करेगें ? क्या वक्त आ गया है।

श्री लाल जी टण्डन-

चुनाव की हार के बाद लोग यहां पर नहीं बैठते हैं, जबरदस्ती बैठा दिये जाते हैं तो यही यहां पर बैठने वाले हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप प्रमोद जी की बात में आ गये, बधाई है।

श्री लाल जी टण्डन-

यह हिन्दुस्तान में है कि बेचारा किसान अपनी मौत खुद बुलाता है, क्यों बुलाता है। अच्छे लाल को जंगली सुअर ने मार डाला, बीमा कम्पनी ने कहा कि उनकी आई साइड कमजोर थी किसान का बीमा है और वह किसी दुर्घटना में मरता है तो उसको बीमा का पैसा नहीं मिलता और कहा जाता है कि उसकी आई साइड कमजोर थी।

श्री अध्यक्ष-

यह भुखमरी से मरा या सुअर ने मार डाला ?

श्री लाल जी टण्डन-

किसी तरह मरा, लेकिन किसान का सरकार ने बीमा कराया है कि एक लाख रुपया उसको मिलेगा, अगर अस्वाभाविक मौत कोई भी होगी तो मिलेगा, लेकिन वह भी नहीं मिला। बीमा कम्पनियां वह भी नहीं दे रही है। तो मान्यवर, इतनी गंभीर स्थिति प्रदेश में पैदा हो रही है, आंध्रा की तो सारी दुनिया में खबर बन रही है, यहां भी सब राष्ट्रीय स्तर के अखबार लिख रहे हैं। सब जगह यह खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार के पास कोई खबर नहीं है न कोई आकड़े हैं जो कह रहे हैं हम, वह सत्य नहीं है तो फिर मान्यवर, यहां पर सत्य क्या है तो आखिर में यह क्या सारे प्रदेश का राम-राम सत्य करा देगें ? इतना ही बाकी है, इतना और कर दीजिये कि सारे प्रदेश का राम-राम सत्य बुलवा दीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो भुखमरी के बारे में कहा गया है, आत्महत्या के बारे में कहा गया है और जिस तरह की इस पर प्रतिक्रियायें आ रही हैं सामने से, उससे दो बातें हो सकती हैं या तो हमारे पास जानकारी गलत है या आपको जानकारी नहीं है। हमारी जानकारी क्षेत्र से हमें जो मिली, उसके आधार पर है और जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ, उसके आधार पर हैं यह तभी प्रकाशित होगा जब पत्रकारों को इस बारे में सूचना मिलेगी। सूचना के साथ गांव का नाम लिया गया है, आदमी का नाम लिया गया है, भुखमरी के कारण मृत्यु हुई है, लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी है। तो मान्यवर, जब गांव तक के नाम बता दिये गये तो कम से कम यह तो अपेक्षा हम करते हैं कि इसे गम्भीरता से लेते हुये आप जांच करा देंगे और कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन जिस किस्म का वातावरण यहां पर उत्पन्न हुआ, उससे हमें ग्लानि हुई। आज किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति कर्ज के कारण भुखमरी के कारण आदमी ऐसी घिनौनी हरकत में आ जाता है कि उसे बीबी तक बेचनी पड़ जाती है। यह ग्लानि की बात है कहीं न कहीं कमी जरूर है। दो क्विंटल के लिये, चार क्विंटल के लिये आदमी अपने बच्चों को बेच दे तो यह दिक्कत की बात है, मैंने उनके नाम तक बता दिये हैं कि वहां पर ऐसा हुआ है। राजस्व मंत्री जी जानकारी करवा लें कि कारण क्या रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ है तो समाचार-पत्रों में कैसे छपा। हमें खुशी होगी कि यह जानकारी मिथ्या हो, लेकिन अगर यह सच है तो यह दुःख की बात होगी या नहीं। इन्हीं मामलों को गम्भीरता के साथ लेकर नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात सदन के सामने रखी है, इसलिये मैं अपेक्षा करता हूं कि इन मामलों को गम्भीरता के साथ लिया जाय। आप इसकी जांच करायें और जो अधिकारी दोषी हो, जिसने आपको सूचना न दी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में जो बात कह दी जाय वह सदन की सम्पत्ति हो जाती है, कार्यवाही का हिस्सा होता है। जो तथ्य रखे गये हैं, अत्यन्त गम्भीर है। आज मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी की है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी की है।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था बताइये, मानवाधिकार आयोग से इससे क्या मतलब ? आपको जब भी अपनी बात कहनी होती है तो आप व्यवस्था से शुरू करते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसकी जांच की जाय, न्यायिक जांच की जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से जो सूचना दी है, वह बहुत ही गम्भीर है। इसकी गम्भीरता सचमुच बहुत बड़ी है, इसे हल्केपन से नहीं लिया जा सकता है। जो भी टिप्पणियां हुई हैं, मैं माननीय हुकुम सिंह जी को धन्यवाद देता हूं उन्होंने सचमुच में विषय की गम्भीरता को देखते हुये उसे और भी गम्भीर बनाने का प्रयास किया है। श्रीमन्, उन्होंने ठीक कहा कि वह कामना करते हैं कि सभी सूचनायें मिथ्या हों और किसी की मृत्यु मजबूरी में न हुई हो, किसी को आत्महत्या के लिये बाध्य न होना पड़ा हो, इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है उस पर मैं बताना चाहता हूं कि शासन स्वयं गम्भीर है और नेता सदन ने इसको गम्भीरता से लेते हुये इस सीमा तक तय कर दिया है कि यदि किसी भी स्थिति में एक भी व्यक्ति की मृत्यु मजबूरी में होगी तो हम किसी छोटे अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करके, उसकी जांच करके मामले का निपटारा नहीं करेंगे बल्कि उस जनपद के कलेक्टर और मण्डलायुक्त जिम्मेदार ठहराये जायेंगे। समाचार-पत्रों के माध्यम से या अन्य सूचनाओं के माध्यम से कुल 15 प्रकरण जानकारी में आये और हमने इन 15 प्रकरणों की जांच करायी। आपने कहा गम्भीरता से जांच करा लेते, हमने 15 की जांच करायी, 15 में से 7 आत्महत्या के प्रकरण थे। यह समाचार-पत्रों की विश्वसनीयता का विषय नहीं है कि टिप्पणी करें, किन्हीं कारणों से समाचार प्रकाशित हो जाते हैं, तथ्य कुछ और होता है, तात्कालिकता में प्रकाशित करने से उसका दूसरा एंगिल हो जाता है। 15 में से 7 आत्महत्या के मामले पाये गये, उनमें जो कारण थे वे दूसरे थे। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस सरकार के बनने के बाद किसानों के पक्ष में, गरीब लोगों के पक्ष में जब कदम उठाये जा रहे थे तो जो पहले उत्पीड़न की कार्यवाही बकायेदारों पर होती थी हमने वर्ष 2004 में ही शासनादेश जारी कर दिया कि एक लाख से नीचे के बकायेदारों पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही होगी ही नहीं इसलिये बकायेदारों पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही का कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके ऊपर के लोगों के बारे में यह तय किया गया कि आप सुनिश्चित करेंगे कि कृषि के जो साधन हैं उनको किसी भी हाल में नहीं छुयेंगे। बाराबंकी के एक प्रकरण में यह आया कि किसान की ट्रैक्टर की नीलामी हो गयी उसके बाद किसान ने आत्महत्या कर ली। लेकिन जांच में यह बात सही नहीं पायी गयी। माननीय नेता सदन ने तत्काल जिलाधिकारी को निलंबित किया और कहा कि यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ट्रैक्टर की नीलामी से आत्महत्या की

स्थिति पैदा हो जाय। लेकिन जब पूरे प्रकरण की जांच करायी गयी तो तथ्य दूसरे पाये गये। किसानों की मौतें कुपोषण, भूख, ऋणग्रस्तता के कारण नहीं हुई है। आत्महत्याओं के अनेक कारण हैं। आप जानते हैं कि छात्रावासों में आत्महत्यायें हो रही हैं, फौज में आत्महत्यायें हो रही हैं। उन सारी आत्महत्याओं के कारण भिन्न-भिन्न है। एक-एक घटना की विधिवत् जांच करायी गयी और प्रत्येक जांच के बाद दो-तीन चीजें सुनिश्चित की गयी। एक तो ऋण की वसूली में उत्पीड़न का काम नहीं किया गया, दूसरे भूख के कारण मृत्यु नहीं हुई, तीसरे कुपोषण के कारण आत्महत्या नहीं करनी पड़ी, इसको सुनिश्चित करा लिया है। इसके बाद एक भी घटना चाहे पुष्ट या अपुष्ट शासन के संज्ञान में लाया जायेगा, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम न तो केवल गम्भीर हैं बल्कि पूरी तह तक जांच करायेंगे, अगर थोड़ी भी त्रुटि होगी तो जिलाधिकारी इसके लिये सीधे जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर नेता विरोधी दल और माननीय राजस्व मंत्री जी को सुना। नेता प्रतिपक्ष ने बहुत से तथ्य आंकड़ों और अखबारों के माध्यम से सदन को अवगत कराये, माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि मैंने इसी जांच करा ली है वह नहीं है। इस तथ्य पर आपकी जो भी आख्या है वह माननीय नेता प्रतिपक्ष को उपलब्ध करा देंगे, इसी के साथ मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

दो-तीन सूचनायें नियम-56 की रह गयी हैं। श्री प्रमोद तिवारी जी हैं ? (श्री प्रमोद तिवारी जी उपस्थित नहीं हैं।)

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

मान्यवर, मेरी नियम-56 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आप आसन ग्रहण करिये। सप्लीमेंटरी बजट बहुत लम्बा नहीं है, छोटा सा है, इसको विधान परिषद् में जाना है। इसलिये अगर आप लोग सहमत हो जायं तो इसको पहले पास करा लें।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात कार्य-मंत्रणा समिति में तय हो चुकी है कि इसको 2.20 बजे अपराह्न तक पारित करा लिया जायेगा।

(इसी बीच श्री प्रमोद तिवारी सदन में उपस्थित हुए।)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी 15-20 मिनट का काम है यदि आपकी सहमति हो तो पहले सप्लीमेंटरी बजट पास हो जाए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं पूरी तरह से सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सहमति में ही असहमति निहित रहती है।

श्री प्रमोद कुमार-

इसको पास कराइये।

श्री अध्यक्ष-

सप्लीमेंटरी बजट पर कुछ बोलेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार-

इस पर चर्चा न कराकर सीधे पारित कराइये।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) अन्तर्गत 4,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) अन्तर्गत 4,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 6,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 6,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 51,70,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 51,70,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,000,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,000,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग के अन्तर्गत 35,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 35,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-60, वन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60, वन विभाग के अन्तर्गत 7,50,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60, वन विभाग के अन्तर्गत 7,50,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 2,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 2,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 15,00,01,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 15,00,01,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 4,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 4,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की तृतीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

विनियोग विधेयक की प्रतियां बांटी जायं।

(प्रतियां वितरित की गई)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से 3 तक अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक
उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक (अधिनियम, 2006 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि मे से वर्ष2006-2007 के लिये 179,92,69,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2007 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 179,92,69,000 रुपये (एक सौ उन्नासी करोड़ बानबे लाख उनहत्तर हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम मे लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान /क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	2000	...	2000
	(पंचायती राज)	पूंजी	...	...	0
*29	गोपन विभाग	राजस्व :	...	655	655
	(राज्यपाल सचिवालय)	पूंजी	...	...	0

1	2	3	4	5	6
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	4	...	4
		पूंजी	...	...	0
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	4	...	4
		पूंजी	2	...	2
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	517000	...	517000
		पूंजी	...	...	0
39	भाषा विभाग	राजस्व :	1	...	1
		पूंजी	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी	1000000	...	1000000
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी	3500	...	3500
60	वन विभाग	राजस्व :	70300	...	70300
		पूंजी	4700	...	4700
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	20000	...	20000
		पूंजी	...	...	0
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	30000	...	30000
		पूंजी	...	...	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	2	...	2
		पूंजी	...	...	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	150001	...	150001
		पूंजी	...	...	0
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	400	...	400
		पूंजी	...	...	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	500	...	500
		पूंजी	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व :	200	...	200
		पूंजी	...	...	0
		समाप्त			
	योग	राजस्व :	790412	655	791067
		पूंजी	1008202	...	1008202
	महायोग :		1798614	655	1799269

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय स्वीकृति पर लगे प्रतिबन्ध पर चिन्ता

श्री हुकुम सिंह-

मा0 मैं दो शब्द कहना चाहता हूं यह तो पास हो ही जाएगा। विचार का प्रस्ताव आ गया है। कहना यह है आज जानकारी मिली इस बात की कि जो वित्तीय स्वीकृतियां जारी होनी है उसमें भी कहीं न कहीं से पाबन्दी लग गई। यह भी हो गया कि फलां तारीख तक आप वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करेंगे। मान्यवर, यह विधान मण्डल तो पास करता रहेगा और पास करने के बाद में अगर सरकार को इतना भी अधिकार नहीं होगा कि इसके अनुरूप वित्तीय स्वीकृति जारी कर दें तो काम तो होगा नहीं। आपका आशय तो यही था अनुपूरक लाने का भी, कि जो विभिन्न कार्यों की घोषणा आपने की है जिन कार्यो को आप करना चाहते हैं उनको पूरा कर लें इससे पहले एक अनुपूरक पास कराया गया बजट भी पास किया पास होने का आशय क्या रह गया ? क्या यह बात गम्भीर नहीं है ? इस बात पर विचार नहीं होना चाहिए कि विधान मण्डल के यहां बैठने का औचित्य क्या रह गया ? हम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बजट पास करते हैं आज हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि वित्तीय स्वीकृति जारी करके उन योजनाओं को पूरा कर दें। सरकार को आज इस बात के लिए तैयार होकर यहां आना चाहिए था और विधान मण्डल को विश्वास में लेना चाहिए था कि आखिर इस पर आप क्या करने जा रहे हैं अगर आप निरीह प्राणी होकर के यह सरकार मान्यवर, यहां की सारी शक्ति के बावजूद भी, पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी, अगर निरीह प्राणी की तरह आप बैठ जाएंगे कि हां पास हो गया अब घर बैठें। आपका वन विभाग काम नहीं कर सकता है, आपका लोक निर्माण विभाग काम नहीं कर सकता है, आपका सिंचाई विभाग काम नहीं कर सकता है कोई विभाग आपका काम ही नहीं कर सकता है तो किस आशय से आप यहां है। नेता सदन यहां बैठे हुए हैं हम चाहेंगे कि वह कम से कम इस स्थिति को संभालें। स्थिति हमारे नियंत्रक से बाहर होती जा रही है। जनता हमारा उपहास करने लगी है। और उसी का फल हमें मिल रहा है कि आज विधान मण्डल का जो प्रभाव होना चाहिए वह प्रभाव शनैः शनैः गिरता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। इसको सभी लोगों को विश्वास में लेकर संभालने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो सवाल उठाया है वह गम्भीर तो है ही, पर गम्भीरता के साथ-साथ उन्होंनें कहा कि सदन को विश्वास में लेना चाहिए। तो सदन अगर विश्वास में हो तो समाधान निकाला जा सकता है। मुझे भी आश्चर्य हुआ थोड़ा सा अखबार पढ़ करके, कि इस तरह का प्रतिबंध लगाना, इससे प्रदेश के विकास में बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन जितना छपा है उतना तो नहीं है, लेकिन है। यह थोड़ा भी सही लेकिन अच्छा नहीं है। लेकिन कानूनी पहलू पर विचार करेंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे। इसमें कोई कमजोरी और शक्ति का सवाल नहीं है, सवाल है एकता

का। और यह बहुत लम्बी बहस का सवाल बन सकता है अगर किसी ने हिम्मत की तो। कभी हम लोग सवाल उठा भी देते थे पहले संसद में, तो कुछ लोग खड़े हो जाते थे। वहां भी हमने ही प्रश्न रखा था कि सब लोग मिलकर रास्ता निकालिए। मिलकर निकालिए या जैसे भी निकालिए। कि यह ठीक नहीं है। एक सवाल यह थोड़े ही है, एक आदेश थोड़े ही है। कितने आदेश आ रहे हैं। इस प्रदेश में मुझे लगता है दरोगा से लेकर और जो छोटे-छोटे कर्मचारी है। लेकिन समस्या और है। वह स्वतंत्र संस्था है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते है। सभी लोग डरे हुए भी हैं, असली बात यह है। लेकिन हम लोग कानूनी और अपना पक्ष जल्दी रखेंगे और मुझे विश्वास है कि संस्था की जो भी दूसरी बेंच होगी, वह सुनेगी और उत्तर प्रदेश के विकास को नहीं रोकेगी।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, उप नेता ने एक बात उठायी और मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कही। सारी विधायी शक्तियां इसी में निहित हैं और निश्चित रूप से चाहे कोई भी वित्तीय मामला हो, बजट हो या प्रदेश के परिव्यय की बात हो, हम यहां से स्वीकृतियां जारी करते हैं। मुख्य मंत्री जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसका कुछ स्पष्टीकरण करें। इससे तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो चिन्ता का विषय है। जो विधायी शक्ति है, जो अधिकार है, उस पर अगर कोई प्रतिबन्ध लगा रहा है तो उस पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। यह सदन जनता के प्रति जवाबदेह है, चाहे अनुपूरक अनुदान हो, चाहे बजट हो, उसको पारित करते हैं, चाहे सप्लीमेंट्री का बजट हो, अगर पारित कर देते हैं, उसकी स्वीकृतियां जारी होती हैं, यदि उसमें कोई प्रतिबन्ध हो तो निश्चित रूप से इस विधान सभा की शक्तियों के ऊपर भी एक अंकुश है। निश्चित रूप से हम लोग सन में चुनकर आए हैं और हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे। सदन से सर्वोच्च कोई संस्था नहीं है। सरकार कोई भी रही हो लेकिन बजट को पास कराने से नहीं रोका गया। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। निश्चित रूप से अगर कठिनाई है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार जो भी अनुपूरक लेती है, जो घोषणाएं होती है, जैसे हमने सदन में चर्चा की थी, विद्यालयों के सम्बन्ध में, उसे भी अनुपूरक में लेकर आए हैं, हम लोग भी मांग करते हैं और सरकार उसके लिए कोई वित्तीय व्यवस्था करती है यदि मूल परिव्यय में उसका निर्धारण नहीं हुआ है तो उसके लिए सप्लीमेंट्री लेकर सरकार आती है। यदि हम पारित कर रहे हैं तो उस पर विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह ने इस प्रश्न को रखा और मुख्य मंत्री जी ने इसे गम्भीरता से लिया। लेकिन यह बात बहुत गम्भीर होती जा रही है, एक ही नहीं है, बहुत से प्रकरण हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो हमारी पी0ए0सी0 कमेटी के सामने है, बार-बार पी0ए0सी0 कमेटी रिपोर्ट मांगती है, वह भी नहीं आ पाती है। मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि बैठ कर इसका कोई हल निकाला जाए। संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं कहा था कि कोई किसी का सुप्रीम है, एक दायरा है, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस अधिकार क्षेत्र को समझने के बजाय उससे ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। यह गम्भीर बात है। इस सम्बन्ध में सभी दलीय नेताओं से बात की जाए और इसका कोई सेल्यूशन निकाला जाना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

यह प्रयास तो आपके माध्यम से ही होगा, आप बैठक को बुलायें।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, क्यों न इसमें सदन में एक दिन बहस हो जाये, हम लोग भी वकालत पढ़े हैं। सदन में एडवोकेट जनरल को भी बुला लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

सभी दलीय नेताओं से परामर्श करके इसमें कुछ करेंगे। ए0 जी0 को भी बुला लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 (क्रमागत)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में जो सूचनाएं आयी थीं, बजट पास हो गया है, मैंने कहा था मुख्य मंत्री जी को जल्दी जाना है, अब इसमें आप दो-दो मिनट अपनी बात रख दें। दूसरी सूचना श्री संजीव दरियाबादी की, तीसरी सूचना श्री आर0के0सिंह पटेल की, चौथी सूचना श्री राम इकबाल सिंह जी की, पांचवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग, छठी सूचना श्री प्रमोद कुमार जी की...

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इनका नाम तो बहुत बाद में हैं, पहले हमें बुला लें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने तो आपसे पहले ही अनुरोध किया था।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इसको नियम-51 में परिवर्तित कर दें वक्तव्य आ जायेगा। अगर धांधली हुई होती तो इलाहाबाद में ढाई हजार वोटों से क्यों जीतते।

श्री अध्यक्ष-

क्या इसे नियम-51 में परिवर्तित कर दें ? वक्तव्य मांग लें ?

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पहले मुझे पांच मिनट बोल लेने दें फिर वक्तव्य मांग लीजियेगा। मान्यवर, मैं एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। लोकतंत्र में चुनाव बहुत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महत्वपूर्ण होते हैं और चुनाव तय करता है कि कौन जनता का विश्वास अर्जित करके इन पदों के योग्य है। अभी निकाय के चुनाव हुए। एक लम्बी कानूनी लड़ाई चली उसके बाद चुनाव हुए। यह चुनाव कुछ ऐसी परिस्थिति में हुए कि उस समय नवरात्र, रमजान, दशहरा, दीवाली, ईद तथा गंगा स्नान का त्योहार पड़ा। मैं यह कहना चाहता हूं कि शुरूआती दौर से इसमें दो कमियां रहीं। एक तो नियत समय में चुनाव नहीं हुए और दूसरा इन त्योहारों का ध्यान नहीं रखा गया। इससे मतदान और प्रत्याशियों के सामने समस्याएं आयीं। फिर शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। श्री जगदम्बिका पाल जी हमारे बगल में बैठे हैं बस्ती में इनकी पत्नी का पर्चा खारिज हुआ। पर्चा खारिज हुआ तो इसका मतलब...

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

जनता की जो राय है उसका क्या हुआ ?

श्री प्रमोद कुमार-

इसको रहने दें। इसको सदन में उठाया गया था। मान्यवर, उसी मतदान में 1200 रुपये का लगाना था तो बड़ी धनराशि लगायी जाती, 1200 रुपये पर (पाल साहब) पति और पत्नी दोनों के खिलाफ मान्यवर, एक आरोप लगाया जिसे आपने उस दिन कृपापूर्वक कहा कि ठीक कर देंगे और यहां पर बैठे हुए माननीय मंत्री जी ने भी कहा, मान्यवर बात खत्म हो गयी, लेकिन मान्यवर शुरुआत कहां से हुई, मान्यवर, ऐसे बहुत से प्रकरण आये जहां पर जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनके ऊपर आरोप लगे और मान्यवर, जिन पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, रामपुर का पर्चा खारिज हो गया मान्यवर, फिर वह गया मान्यवर, निर्वाचन आयुक्त के यहां, निर्वाचन आयुक्त के यहां चूंकि अभी न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए बहुत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन न्यायालय का एक निर्णय आ चुका है, यानी फिर रामपुर में जो पर्चा खारिज हुआ था उसे न्यायालय ने सही माना और दोबारा वहां चुनाव कराया मान्यवर, मैंनें सिर्फ दो उदाहरण अभी दिये है, ज्यादा नहीं देना चाहता हूं। तीसरा उदाहरण गोण्डा का दे देते हैं, मान्यवर, गोण्डा में चुनाव हुआ है, सब कुछ निष्पक्ष हो गया मान्यवर, उसके बाद जब मतगणना की बारी आई तो जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट फिर बदल दी और बदलने के बाद मान्यवर, किन परिस्थितियों में वहां पर चुनाव अवैध हो गया। तो मान्यवर, वहां किन परिस्थितियों में चुनाव हो गया ? मान्यवर, उसके बाद की बात आई अभी थोड़ी देर पहले माननीय नगर विकास मंत्री जी ने बोलते हुए पता नहीं क्या-क्या बातें कहीं मैं उन पर बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। लखनऊ का ही परिणाम ले लें, मान्यवर, लखनऊ के परिणाम में हम सब सोये यह समझ कर कि हम जीत चुके है चुनाव, अब रात में क्या हुआ आप लोगों के बीच, यह हम नहीं जानते है, पर आपने इनको चुनाव जिता दिया, आपकी कृपा से यह चुनाव जीते हैं, जनता की कृपा से और मतदाता की कृपा से यह नहीं जीते है और यह चुनाव वहां जीत गये अन्यथा मान्यवर 34 हजार मत अवैध, लखनऊ जैसे शहर में मान्यवर, राजधानी में 34 हजार मत अवैध थे, मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। फिर तमाम जगह आरोप आते रहे, कितने सही कितने गलत यह तो जांच का विषय है कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया गया, मान्यवर, मतदाताओं को डराया गया, धमकाया गया। मुझे चिन्ता सिर्फ एक बात की है मान्यवर कि अगर प्रशासनिक मशीनरी कहीं न कहीं किसी स्टेज पर अगर उसका यह इस्तेमाल हो गया, किसने किया ? कहां किया ? यह जांच का विषय है, तो मान्यवर, फिर कभी भी चुनाव निष्पक्ष

नहीं होंगें और अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं रहेगा और अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो न आप वहां रहेंगे और न हम यहां रहेंगें, निस्संदेह इस निकाय के चुनाव में मान्यवर, बहुत से ऐसे प्रश्न उठे हैं जिनसे जनता को कहीं न कहीं से भावनायें आहत हुई हैं। मुरादाबाद का प्रश्न किया गया, मैं मुरादाबाद के बारे में ज्यादा तथ्य तो नहीं जनता मान्यवर, लेकिन वहां जो फर्जी मत पत्र मिले हैं वह जांच का विषय हो सकता है, यह इरादतन किसी ने दिये हों लेकिन मान्यवर यह जांच का तो विषय है। तो मान्यवर कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं, नगर निकाय के चुनाव में पूरी निष्पक्षता नहीं रही, बूथ कैप्चरिंग से लेकर मत गणना से लेकर नामांकन तक में मान्यवर कहीं न कहीं प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग हुआ। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा की मांग करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, दो मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब अब आप क्या कहेंगें, आपकी पार्टी का तो आ गया। आप यह समझ लें चुनाव कराना चुनाव आयुक्त का काम है अब चुनाव कहां हुआ क्या हुआ उस समय सारे अधिकारी भी चुनाव आयोग के अधीन रहते हैं इसलिए यह जो भी चर्चा हम कर रहे हैं यहां तो आपका तो पक्ष आ गया। आप तो खुद जानते हैं कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उस समय सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन रहते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट इसकी ग्राह्यता पर बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर दो-दो मिनट सबका हो जाय।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं सिर्फ दो मिनट का ही समय लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे दो मिनट का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता माननीय प्रमोद तिवारी जी के द्वारा स्थानीय निकाय के चुनाव के सम्बन्ध में बातें कही गयी हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया निश्चित तौर से सरकार की तरफ से बयान आया कि चुनाव बहुत ही निष्पक्ष हुए। मैं केवल इसकी ग्राह्यता पर बोलते हुए कहना चाहता हूं कि चुनाव की बात आप करेंगें, मैं पूरे प्रदेश के चुनाव की बात नहीं कह रहा हूं मैं केवल बस्ती के चुनाव की बात कह रहा हूं कोई चुनाव हो, स्थानीय निकाय के हों, विधान सभा के हों, लोक सभा के हों एक बार जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हो जाती है जो भी आर0ओ0 हो जाता है मान्यवर, नांमिनेशन से लेकर के फिर वह चुनाव के परिणाम तक वह होता है, अन्यथा कि कहीं उसकी मृत्यु न हो जाय या कहीं बहुत गम्भीर रुप से बीमार न हो जाय। बस्ती स्थानीय नगर पालिका के चुनाव में जो रिटर्निंग आफीसर हुए मान्यवर, कोई बिना कारण के जिस दिन स्कूटनी थी उसके ठीक एक दिन पहले, नॉमिनेशन में कोई दूसरा रिटर्निंग आफीसर श्री अतर सिंह जो पी0डब्ल्यू0डी0 के सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर थे, जानते होंगें माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, निहायत ईमानदार, सारी बातें, राहजनी की उन्होंनें

जांच की वह थे तो निश्चित तौर से कोई ईमानदार अधिकारी होगा वह शासन के लिए प्रिय हो सकता है लेकिन वह निश्चित तौर पर वह किसी चुनाव के उत्तरदायित्व को सम्भालने के बाद पर्चा नहीं खारिज करता। नॉमिनेशन उन्होंनें कराया स्कूटनी के एक दिन पहले उनकों बदल दिया गया और एक सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को कर दिया गया और जिस तरह से सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बस्ती नगर पालिका परिषद के कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज करने का काम किया उसका उल्लेख वह कर चुके हैं उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके हस्तक्षेप से पर्चा निश्चित तौर से वैध हुआ। दूसरे दिन ही एक डकैती का मुकदमा कायम हुआ। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं ठीक है सदन ने उसका संज्ञान लिया मैं मुख्य मंत्री जी चाहे पीठ से आप हों, यह मुकदमा गलत है, हम इसको देखेंगें। मान्यवर, दुःख की बात है कि जिस विजय यादव जी ने 1200 रुपये की डकैती का मुकदमा मेरी और मेरी पत्नी के विरूद्ध लिखवाया आज उनके सगे भाई विजय और अजय जी ने अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि एक हफ्ते पहले उनकी पत्नी दो बच्चों को लेकर कुएं में कूद कर मर गयी और उसका मुकदमा तक नहीं लिखा गया। मान्यवर, यह कोई छोटी बात नही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करें, आपने दो मिनट कहा था, लेकिन दो मिनट से ज्यादा हो गया। अब आप दूसरे विषय पर जा रहे हैं। माननीय हरीश जी आप अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

माननीय पाल साहब, आपने दो मिनट कहा था।

*श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, जो मीरा यादव की हत्या की बात कही जा रही है, मान्यवर, उनके निर्देश पर उसे मारा गया। ऐसा कुछ नहीं है जो बता रहे हैं। यह केवल सदन को गुमराह कर रहे हैं। मान्यवर, यह अपनी पर्सनाल्टि का नाजायज फायदा इस सदन में उठाते हैं। मान्यवर, छोटी-छोटी हत्यायें तो हो जाती हैं। अभी यहां आत्महत्या का सवाल आया है। आपके घर हो सकती है, मेरे घर भी हो सकती है। मान्यवर, यादव को उनके कार्यकर्ताओं ने मारा।

श्री अध्यक्ष-

यह जांच का विषय है जांच हो जाएगी।

पाल साहब, आप बैठ जाइये आपने दो मिनट का समय मांगा था।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, यह तो, मुख्य मंत्री रह चुके हैं और छोटी-छोटी बातों पर बल देते हैं। मीरा यादव को उनके लोगों ने ही मारा है। यह हमारे लोगों पर आरोप लगाते हैं यह उनको कोई शर्म नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब अब आप बैठ जाइये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब कुछ लिखा नहीं जायेगा। यह कुछ सुनाई नहीं दे रहा है जो आपस में आप लोग बोल रहे हैं।

श्री राम करन आर्य-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ लिखा नहीं जाएगा। आप लोग बैठिये।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बाते स्थानीय निकाय चुनाव में हुई जिनकों प्रशासन को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए था। ध्यान न देने के कारण कई ऐसी घटनांए हो गयी हैं जो सबके लिए खेदजनक हैं। मैं बनारस की घटना का उल्लेख करता हूं यह इलेक्शन कमीशन का भी आदेश था, प्रशासन की ओर से भी इस बात को कहा गया था कि चुनाव के 4 दिन पहले कोई भी प्रत्याशी या पार्टी लोगों को जमा इकट्ठा न करे लेकिन जो बाहुबली लोग है वह किसी की सुनते नहीं है और वह लोग फर्जी मतदान कराने के लिए 200-400, 1000-1200 को कहीं लाकर ठहरा देते हैं उनको खिलाते पिलाते हैं, हर तरह का भोजन चलता है और उसके बाद फर्जी मतदान कराते है। मैं एक घटना का उल्लेख करता हूं बनारस में 21 नम्बर को हबीबपुरा में वहां फर्जी मतदान हो रहा था यह फर्जी मतदान रुक सकता था क्योंकि 4 दिन पहले भाजपा की तरफ से प्रशासन को सूचित किया गया था कि अग्रहरि धर्मशाला फायर बिग्रेड के सामने सीताकुंज में अराजक तत्वों के रुकने के संदर्भ में था बड़ी संख्या में अराजक तत्व वहां गये थे उन लोगों के द्वारा 31 तारीख को हबीबपुरा पोलिंग पर फर्जी मतदान हो रहा था। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जब रोका तो वहां एक नेता हैं जिनका नाम दीनू पाल है उन्होंने बम भी फेंका और गोली भी चला दी तो उस घटना के बाद माननीय विधायक इस सदन के मा0 अजय राय जी चेतगंज थाने में चले गये और वहां कुछ लोगों के साथ धरने पर बैठे और उन्होंने मांग किया कि इंस्पेक्टर चेतगंज ने मिलकर साजिश करवाया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए कि जो भी घटना हुई है उसकी पूरी जांच कराई जाय और मेरी रिपोर्ट दर्ज करा दी जाय लेकिन माननीय विधायक के ऊपर जो संगीन धाराएं लगायी गयी हैं मैं उन धाराओं को पढ़ना चाहता हूं 147, 149, 148, 504, 506, 307, 452, 470 ऐसी धाराएं उनके ऊपर लगा दी गयी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बात को लेकर भारी तनाव बना हुआ है। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। क्योंकि अगर कोई धरने पर बैठा है अपनी बात को लेकर तो कार्यवाही की जानी चाहिए लेकिन कार्यवाही न करके उनके खिलाफ अपराधिक धाराएं लगायें उनको निरुद्ध करने की कोशिश हो तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है इसमें कोई न कोई शासन का हस्तक्षेप कराके जांच करा लें, हल निकाल लें जिससे सदभावना का वातावरण बना रहे। यह घटना खेदजनक है, होनी नहीं चाहिए थी।

इसी तरह से कई ऐसे वार्ड हैं जहां इस प्रकार की धमकियां दी गयी लोगों को जान से मारने के लिए धमकाया गया और आज पोलिंग समाप्त होने के बाद भी इस तरह की कार्यवाही की जा रही

नोट :-- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

है। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसमें ऊंचे स्तर से हस्तक्षेप करके इसे रोका जाय। चुनाव बीत गये जीत हार हो गयी जीतने वाले को काम मिला है हारने वाला हताशा में आकर मारपीट करता है तो मैं समझता हूं कि शांति व्यवस्था भंग होती है। इसलिए बनारस के बारे में इतना मेरा कहना है कि जो ऐसी धाराएं, ऐसा मुकदमा लगाया गया है यह वापिस लिया जाना चाहिए जिसके कारण शांति के वातावरण में विकास के काम में जिनको अवसर मिल गया है वह अपना काम कर सकें।

मुरादाबाद में जो कुछ हुआ अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने उल्लेख किया। मैं इतना जानता हूं, दूर हूं, लेकिन मैंने जो फोन से बात किया पहले यह था कि पहले वीना अग्रवाल जीत गयीं थीं फिर हार गयीं विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज हुआ गिरफ्तार करके जेल में बन्द हैं। मा0 केशरी नाथ त्रिपाठी जी जा रहे थे उनको मौके पर बरेली में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि इस तरह के मामले जो प्रदेश भर में है उसकी जानकारी कर, संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करें जिससे सद्भावना का वातावरण पूरे प्रदेश में बने और विकास के कार्यों में नगरीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से काम हो सके।

इसकी जरूरत है, चुनाव के बीच में जो हुआ वह हो गया, उसमें ऐसे मुकदमें और जो धारायें लगी हैं, वह समाप्त कर दी जायें। गिरफ्तारियां जो गलत तरह से हो गयी हैं, उन्हें मुक्त किया जाय जिससे सद्भावना का वातावरण पूरे प्रदेश में बन सके, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस विषय पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

देखिये अब एक माननीय सदस्य इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के जो बोलना चाहें, वह बोल लें, दुबारा सब नहीं बोलेंगे। क्योंकि सरकार का जवाब भी तो आयेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

आपका भी है, खन्ना साहब का भी है, माननीय धर्मपाल जी का भी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम तो केवल शाहजाहंपुर का बोलेंगे, ऐसा इतिहास वहां पर बना है कि शायद पहले कभी नहीं बना।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप रुक जायें। पहले मंत्री जी बोल लें। वह बनारस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पहले मैं बोल लूं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

इसमें मंत्री कहां बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सरकार का कोई भी मंत्री बोल सकता है।

*बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव जी इस सदन के एक वरिष्ठ नेता हैं और यह 1977 में भी यहां पर मंत्री हुये थे, जब हम लोग 77 में आये थे पहली दफा। गम्भीर आदमी हैं लेकिन कही हुई बात को यहां पर पढ़ रहे थे श्रीमन्। अजय राय जो विधायक हैं, दीनू पाल के घर पर चढ़कर के इतना फायरिंग किये हैं और इतना बम चलाये हैं श्रीमन् कि उसकी किसी तरह से जान बची है, उसके परिवार की जान बची है और पहले से कहा जा रहा था कि आर्य कन्या इण्टर कालेज में जो बूथ है, वह कब्जे में है। उसको कहीं स्थानान्तरित कर दिया जाय ताकि निष्पक्ष चुनाव हो श्रीमन् और दीनू पाल सपा का एक कर्मठ कार्यकर्ता है, जब वह चेक किया फर्जी वोटिंग को, जो अपने क्षेत्र से यह लाये थे, बसों से वोट डलवाने के लिये, केवल चेक करना था, कि उस पर बम और गोली से हमला किया गया, इस सदन की एक कमेटी बने और उसके घर की हालत चलकर देख लीजिये, कितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया है और हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव जैसा व्यक्ति, जो इस सदन का वरिष्ठ सदस्य हो, हम लोग इनकी कितनी प्रतिष्ठा करते हैं और यह एक ऐसी उलट बात कहें। जो आदमी ने बम चलाया जो आदमी ने फायरिंग कराया और सपा के कार्यकर्ता जो 12 बजे रात तक घर में घिरे रहे, निकल नहीं पा रहे थे। इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि आदरणीय हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव जी जो नोटिस पर कहे हैं, वह बिल्कुल निराधार है, दीनू पाल के घर पर बम फेंका गया है, गोलियों के आज तक निशान हैं, उसके घर की औरतों को पीटा गया है, दीनू पाल के लिये मैं शासन से मांग करूंगा कि उसके लिये सुरक्षा व्यवस्था किया जाय और जो भी कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी पर किया जाय, उस पर कोई ढिलाई न किया जाय, यह मेरा कहना है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब देखिये एक व्यक्ति को और बोलना है। मौर्या जी, नियम-56 में दो सूचनाएं एक दिन में नहीं होती हैं, आपकी सूचना खाद-बीज पर बदल गयी है तो वह सूचना समाप्त हो गई, आप बैठ जाएं।

श्री अजय राय-

मान्यवर, सम्मानित मंत्री जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, उसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जिस दिन की यह घटना है, जिस दिन वोट पड़ रहे थे, उस दिन मैं अपनी पत्नी के साथ वोट डालने गया था जी0आई0सी0 इन्टर कालेज में और जिनका नाम यह ले रहे हैं दीनू पाल, वह अपने समर्थकों के साथ तीन गाड़ियों में आये, जबकि उस दिन गाड़ी चलाना प्रतिबन्धित था। वह लोग जबर्दस्ती मतदान करने लगे, हम लोग वहां से पैदल आ रहे थे, मैंने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाकर छोड़ा और मैं रुक गया। मतदान को देखने वाले वह कौन हैं, उसके लिए अधिकारी हैं अगर कुछ गलत वोटिंग हो रही थी तो उन लोगों को उन्हें पकड़वाना चाहिए था। मेरे ऊपर उन्होंने गोली चलवाई, फिर आगे जाकर बम दगाया, बम मेरे बगल में गिरा और मंत्री जी [× × ×] आरोप लगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

रहे हैं कि मैंने उनके घर जाकर गोली चलाई। उसके बाद मैं थाने के सामने जाकर बैठ गया। वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह तो लॉ-एण्ड-आर्डर खराब हो रहा है मैंने सोचा कि कानून और व्यवस्था न खराब हो, मैं वहां से चला आया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, शाहजहांपुर में नगरपालिका परिषद् का चुनाव 28 अक्टूबर, 2006 को हुआ, उसमें गड़बड़ी हुई बूथ पर, पुनर्मतदान हुआ पहली तारीख को। मान्यवर, पहली तारीख को शाम को यहां से फैक्स जाता है शाहजहांपुर के कलेक्टर को कि 27 बूथों पर और पुनर्मतदान होगा और वह 05-11-2006 को होगा। इसके सम्बन्ध में रिटर्निंग आफीसर की रिपोर्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय आयोग का है, इससे यहां का क्या मतलब है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं भी बहुत दिनों से सदन में आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो इसके मंत्री भी रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, क्षेत्राधिकार भी मालुम है और उसको चुनौती देना भी मालुम है। 27 बूथों पर बिना जिलाधिकारी की रिपोर्ट के, बिना पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के, बिना किसी शिकायत के यहां से एक हिटलरी आदेश जाता है कि 27 बूथों पर गंगा स्नान वाले दिन 05-11-2006 को पुनर्मतदान कराया जाएगा। इसके बारे में जिलाधिकारी ने विरोध किया और चुनाव आयोग को लिखा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। मैंने स्वयं चुनाव आयुक्त से वार्ता की और उनसे कहा कि अगर किसी भी तरह यह चुनाव होता भी है तो इसके लिए ऐसी तिथि न रखी जाए जिस दिन कोई त्यौहार हो। मान्यवर, गंगा स्नान (कार्तिक पूर्णिमा) के दिन लाखों श्रद्धालू दूसरे जिलों में जाकर गंगा स्नान करते हैं। यह सैकड़ों वर्षों की परम्परा है चुनाव आयोग और सरकार जब कोई तिथि निर्धारित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मतदान और पुनर्मतदान की तिथि ऐसे दिन न निर्धारित की जाए जिस दिन किसी वर्ग विशेष का कोई पर्व या त्यौहार हो।

श्री अध्यक्ष-

चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि तो यहां है नहीं जो आपको जवाब देगा, यह विषय कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित है, इसी पर बोलिये, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, शाहजहांपुर में केवल 200 बूथ थे और 200 बूथों में से 14 परसेंट बूथों पर, ऐसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है तीस साल से मैं भी राजनीति के क्षेत्र में हूं, पहली बार बिना किसी कारण के बिना किसी शिकायत के, मैं उनका नाम कोट नहीं करना चाहता लेकिन करना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आयोग संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए न्यायालय है आप वहां जाएं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कभी-कभी बगावत फर्ज बन जाता है, अब फर्ज है हमारा बगावत करना, [× × ×] यह उनका सेंटेंस है, जिन्होंने दस-पंद्रह लोगों के बीच में यह कहा कि [x x x] मैंने कहा कि किसकी रिपोर्ट पर, मैं पहली बार देख रहा हूं कि न जिलाधिकारी की रिपोर्ट और न पर्यवेक्षक की रिपोर्ट, [x x x] हमने कहा कि केवल डेट चेन्ज कर दो [x x x] और शाम को नेता विरोधी दल को यह फोन किया जाता है। कि सम्भव नहीं है केवल शाहजहांपुर तक सीमित है। मेरी बात आ जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप नगर विकास मंत्री रहे हैं, सारी जिम्मेदारी समझते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। विधान सभा या सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती, आप उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय जाइये। अब आप बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 5 मिनट बोला होगा तो उसमें 3 मिनट मैं पीठ का निर्देश सुनता रहा।

श्री अध्यक्ष-

अगर बिना अनुमति के बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूरी बात आ जाने दें। जो मंशा है वह तो आ जाने दें। मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि पहली बात यह है कि जब इस प्रकार की व्यवस्था हो, चूंकि सरकार तिथियों के निर्धारण में शामिल रहती है इसलिए कहना चाहता हूं कि ऐसे पर्वो पर चुनाव न रखा जाए। दूसरी और अंतिम बात जो मतदाता सूची जनता के समक्ष आपत्ति हेतु प्रदर्शित की गयी थी, अवलोकनार्थ रखी गयी थी उस मतदाता सूची में पूरे के पूरे 600 मतदाताओं के नाम, बाद में जब फाइनल मतदाता सूची आयी तो पूरा मोहल्ला काट दिया गया, केशवनगर कालोनी और बिरनी बाग वार्ड नं0 35 में 100-100 वोटरों की फेहरिश्त जो कार्यालय में मौजूद थी उसे पोलिंग स्टेशन पर नहीं भेजा गया, ये वे बातें हैं जिनका संज्ञान लिया जाना चाहिए, जिस पर जांच करायी जानी चाहिए। चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटिंग होती है लेकिन मतदाता सूची कौन तैयार करता है , उसे तैयार करते हैं आपके अधिकारी औन कर्मचारी, वे लोग इसके लिए दोषी हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी।

नोट :-- (***) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अन्तिम बात कह रहा हूं, उसके बाद खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अन्तिम कब कहेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वह मतदाता केन्द्र जहां अंधेरा रहता है, जहां पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था वोटिंग के लिए नहीं रहती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये, आपकी पूरी बात आ गयी, जो कुछ आप बोल रहे हैं, चुनाव आयोग से संबंधित मामला है, इसके लिए न सरकार जिम्मेदार हैं और न प्रशासन।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ऐसे स्थानों पर बूथ न बनाये जांए जहां अंधेरा रहता हो और पर्याप्त व्यवस्था न हो। जो लोग मतदाता सूची की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब इनको समझाईये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने केवल वही बातें रखी हैं जो भविष्य में निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। इसी के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस पर बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष-

जब आप जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसको मैं देखूंगा और जो बातें राज्य निर्वाचन आयोग पर कहीं गयी हैं उसे कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

आप देखेंगे वह ठीक है। परन्तु एक भी शब्द चुनाव आयोग के संबंध में नहीं बोलना चाहिए था लेकिन पूरा भाषण संवैधानिक संस्था के खिलाफ किया गया है। मैं यह अनुरोध करुंगा कि जो भी बातें संवैधानिक संस्था के विरुद्ध कही गयी हैं उसको पूरी तरह से कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

आपके अनुरोध करने से पूर्व मैंने निर्देश दे दिया है, इसे कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा, इसे निकाल दिया जायेगा।

(डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होने पर)

आप दो मिनट में क्या बोलेंगे ? विषय परिवर्तित मत करिये। खन्ना जी को बोलना क्या था और वह क्या बोले ?

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था पर अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मुरादाबाद में अगर कांग्रेस ने साथ दिया है तो इलाहाबाद में गौर साहब अपना फर्ज पूरा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी के पूरे भाषण को कहीं न निकालना पड़ जाय।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, नियमों की मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी है। अध्यक्ष जी 3 नवम्बर को नगर पंचायत फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी ने शिकायत की कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है वहां पर 80 से 93 प्रतिशत मत पड़े। एस0डी0एम0 और पुलिस के अधिकारियों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत की कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है लेकिन वह सोते रहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतना ही नहीं हमारे भरतीय जनता पार्टी की सभासद प्रत्याशी विमला देवी के पति पूर्व सभासद की समाजवादी पार्टी के लोगों ने बुरी तरह पिटाई की। जब वह गम्भीर रूप से घायल हो गये तो पुलिस को उनको इलाहाबाद ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा वहां अस्पताल में उनके भाई भी उनके साथ थे। मेरा कहना यह है कि जब दोनों लोग अस्पताल में भर्ती थे तो उनका नाम एफ0आई0आर0 में कैसे हैं। राम करन मौर्य और उनके भाई का नाम एफ0आई0आर0 में है। 17 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है। मेरा मानना यह है कि पुलिस और जिला प्रशासन का निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व होता है अगर कहीं पर भी रिगिंग हो रही है तो उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन हमारे कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंटों को बूथ के अन्दर तक नहीं जाने दिया गया। मेरा कहना यह है कि जिन 17 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है उनको समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारा पीटा है। जब दो पक्षों में कोई विवाद होता है तो दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात हो गयी।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मैं केवल ला एण्ड आर्डर की बात कर रहा हूं। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष को तीन तारीख से आठ तारीख तक नजर बन्द रखा गया। जब हम लोगों ने एस0एस0पी0 पर दबाव बनाया तभी उनको मुक्ति मिली। मैं इस सारे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग करता हूं।

*श्री धर्म पाल सिंह-

मान्यवर, मैं बरेली के बारे में कुछ तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं हर घटना के बारे में कैसे बोलने का अवसर दूं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धर्म पाल सिंह-

आप संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

अध्यक्ष जी यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि जीते हुए लोग चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी जीते हुए लोग रो रहे हैं।

श्री धर्म पाल सिंह-

मान्यवर, मुझे दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी कोई विशेष घटना हो तो मुझे बता दें मैं दिखवा लूंगा। वैसे ही एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ कितना बोल चुके है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

अध्यक्ष जी, अगर कोई अपने जिले की घटना के बारे में बताना चाहता है तो दो मिनट दे दें। सबकी अलग-अलग नोटिसें हैं।

श्री अध्यक्ष-

सारे तथ्य आ चुके हैं अब हर घटना पर समय देना कैसे सम्भव है ?

श्री लालजी टण्डन-

अलग-अलग नोटिसें हैं।

श्री अध्यक्ष-

एक ही घटना की चर्चा पर यहां बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी नोटिस एक कर दी जाय और हर आदमी को बोलने का अवसर दिया जाय। इस पर विचार होगा कि नहीं ? आगे कोई निर्णय लेना है कि नहीं ?

श्री धर्म पाल सिंह-

मान्यवर, आपने मेरी नोटिस स्वीकृत भी की है। ग्राह्यता पर सुनने के लिये स्वीकृत की है।

श्री अध्यक्ष-

आप हमको लिखकर दे दीजिये। कोई दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे। अब आप बैठ जायं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

ऐसा नहीं है कि सारा अधिकार विपक्ष को ही शिकायत करने का है। सत्ता पक्ष इसलिये कि सत्ता में है और उसने चुनाव कराये हैं, अपने ऊपर हुई ज्यादतियों का जिक्र न करे। देखने में तो यह आया है कि सदन में सारी बातें एक ही तरफ से आयी हैं और उन लोगों की तरफ से आई हैं जो जीत गये हैं। मान्यवर, यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि बेचारा हारा हुआ तो चुप बैठा है लेकिन निगमों में जीते हुए लोग आज भी रो रहे हैं। अब जिनकी किस्मत में रोना लिखा है उनको हंसाया तो नहीं जा सकता लेकिन जो दो चार जिलों की बात कही गई है, मेयर पद के लिये मुरादाबाद

की बात आई। मुरादाबाद में 12 मोहरें मिली है जिनमें से 11 में रबर नहीं थी और एक ही मोहर पर रबर थी जिस पर वाई का निशान बना हुआ था। मान्यवर, यह अक्सर होता है कि वैलेट पेपर प्रेस में छपते हैं और अक्सर खराब होने की बिना पर वो जाया हो जाते है और लोगों के बीच में आ जाते हैं। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नगर निगम के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, विधान सभा के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में मान्यवर, अक्सर इस तरह के वैलेट मिलते रहे हैं और वो फर्जी होते है कभी भी साबित नहीं हुआ है कि बाहर मिलने वाले वैलेट पेपर सच्चे थे। अगर वे सच्चे हों तो फिर उसके लिये पिटीशन होती है। यहां नहीं मान्यवर, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन होगी। उसके लिये अदालत है। मैं क्षमा चाहूंगा कि सदन उसके लिये सक्षम नहीं है। इसके अलावा बस्ती, गोण्डा, बनारस के लिये भी कहा गया। यह सब फर्जी बाते हैं। रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट आई है उसमें है कि हरा रंग होना चाहिए था और यह लाल रंग के बताये गये हैं। यह साबित नहीं हो पाया है। बस्ती, गोण्डा, बनारस, रामपुर के बारे में कह रहे हैं। बनारस का तो जवाब मिल गया इसलिये मुझे कुछ नहीं कहना है। अब बस्ती और रामपुर के बारे में मुझे थोड़ा सा कहना है। मान्यवर, बस्ती हमारे जगदम्बिका जी की बस्ती है, रोज उजड़ती है रोज बस्ती है और रामपुर मेरा गरीबखाना है। मान्यवर, वह राजाओं और रानियों की बस्ती है और मान्यवर, रानी भी ऐसी कि उसका जिक्र करें तो पैर लड़खड़ाने लगें। मान्यवर, उनकी बड़ी पहुंच है। दिल्ली, लखनऊ, भवन, अधिकारी और आज की आशनाई नहीं है उनकी बीसियों, पच्चीसियों, पचासों साल पुरानी आशनाई है और मान्यवर, वह आशनाई यानि जान पहचान।

श्री अध्यक्ष-

जान पहचान। अच्छा ऐसा कहिये। चूंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा बताइये ना।

श्री मोहम्मद आज खाँ-

जी। जी हां जान पहचान। जैसे मेरी अपनी पत्नी से आशनाई हो और पत्नी की मुझ से आशनाई हो। जान-पहचान यह मतलब है मेरा। (व्यवधान) मान्यवर, बस्ती और रामपुर दो शहर ऐसे थें जहां दोनों जगह महिला प्रत्याशी थीं। बस्ती की महिला प्रत्याशी और रामपुर की महिला प्रत्याशी दोनों के ऊपर गबन साबित था। मैं बस्ती की महिला प्रत्याशी के बारे में तफतीश में नहीं जाना चाहता क्योंकि पाल साहब बुरा मान जायेंगे। रामपुर के बारे में जरूर कहना चाहता हूं कि रामपुर की महिला प्रत्याशी के ऊपर लगभग 11 लाख रुपये के गबन का आरोप था। इनके अधिकार छिन गये थे। वे हाई कोर्ट भी गई लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि आपके अधिकार सही छीने गये और उसी बुनियाद पर उनका पर्चा खारिज हुआ। यही ग्राउन्ड बस्ती का भी था। हम लोग चूंकि कानून को मानते हैं इसलिये माननीय उच्च न्यायालय के इसी आदेश पर वहां उनका पर्चा भी खारिज हो गया। यही ग्राउण्ड मान्यवर, बस्ती में था इसी बुनियाद पर बस्ती का पर्चा खारिज हुआ। लेकिन क्योंकि हम कानून को मानते हैं माननीय उच्च न्यायालय से बस्ती को भी आदेश प्राप्त हो गया कि उनका पर्चा खारिज नहीं होगा। पर्चा खारिज नहीं हुआ। रामपुर में मामला थोड़ा ज्यादा बड़े लोगों का था, चुनांचे न्यायालय ने तब कोई रिलीफ नहीं दिया। न्यायालय में आज भी मुकदमा पेंडिंग है लेकिन निर्वाचन आयोग से एक आदेश ही नहीं चला गया बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि रिटर्निंग आफीसर, एक ऐसा बूढ़ा पी0सी0एस0 आफीसर जिसे 15 दिन बाद रिटायर होना है एक सीनियर धाकड़ आफीसर को वहां भेज

दिया गया स्क्रूटनी पर पहली बार निर्वाचन आयोग से कोई ऑब्जरबर भेजा गया स्क्रूटनी पर। उस पर आर0 ओ0 के पास, आर0 ओ0 की कुर्सी के बराबर एक सीनियर आई0ए0एस0 आफीसर को निर्वाचन आयोग ने भेज दिया। जाहिर बात है इतने बड़े व्यक्ति की मौजूदगी में सही कानून का फैसला करने में वह कितना सक्षम रहा होगा इसका यहां जिक्र करने का यहां कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे मान्यवर, आर0ओ0 के अधिकार को कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता हैं निर्वाचन आयोग भी नहीं कर सकता हैं सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार फैसले हैं कि एक बार जब प्रॉसेस शुरू हो गया तो उस प्रॉसेस में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं की जा सकती है। अगर कहीं कोई गलत हुआ है तो न्यायालय है अगर कहीं कोई शिकायत है तब पिटीशन के जरिए न्यायालय जाया जा सकता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि आर0ओ0 के फैसले को निर्वाचन आयोग ने चुनौती दी और निर्वाचन आयोग ने अपना ऑब्जरबर भेज कर अगली बार पर्चा खारिज कर दिया गया और दुबारा तारीख दी गयी। न्यायालय में मुकदमा जेरे-बहस है। उसका ख्याल नहीं रखा गया और आर0ओ0 की मौजूदगी में पी0सी0एस0 आफीसर ने जिसे 15 दिन बाद रिटायर होना है वैसा ही कर दिया जैसा चाहा गया। चुनाव होने वाला है मान्यवर, बात फिर सामने आ जाएगी। मुझे शायद कुछ कहनें का मौका होता अगर बस्ती की प्रत्याशी चौथे नम्बर पर न आतीं। अगर दूसरे नम्बर पर आती चलिये फिर भी यह कहा जाता कि किसी ने बेईमानी कर ली। लेकिन अगर चौथे नम्बर को मान्यवर, जिताने की कोशिश भी की जाए तो यह मुश्किल होगा। ऐसा मुमकिन न होगा। इस तरह की बस्ती, गोण्डा, रामपुर, बनारस की जितनी भी शिकायतें यहां की गई हैं या मुरादाबाद के बारे में इनमें कहीं मान्यवर, कोई तथ्य नहीं है। उत्तर प्रदेश 17 करोड़ से ज्यादा जनता का प्रदेश है विधान सभा के बाद दो बड़े चुनाव होते हैं पंचायत के चुनाव और नगर निकायों के चुनाव, मान्यवर, और इतनी निष्पक्षता के साथ कि जिस सरकार को कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर अपराधियों की पार्टी साबित करना चाहती है ताकि प्रदेश का विकास रुके और जो जन कल्याणकारी योजनायें चल रही हैं उसमें बाधा हो। एक बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से यह साबित करना कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपराधी हैं, गुण्डे हैं, बदमाश हैं और इन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए। मान्यवर, यह माहौल दोनों दलों ने और जैसा कि यहां पर आया बनारस का एहसान मुरादाबाद से अदा किया जाए, इलाहाबाद का एहसान मुरादाबाद से अदा किया जाएगा एक दूसरे का एहसान अदला-बदली करके अदा करना चाहते हैं। मान्यवर, कहीं कोई तथ्य नहीं है इतने बड़े प्रदेश में 59 वारदातें, मान्यवर 2000 में 59 घटनायें हुई और हमारे इस चुनाव में 2006 के चुनाव में मात्र 15 घटनायें हुई मात्र 15 घटनायें हुई हैं। मान्यवर, 17 करोड़ की जनता के प्रदेश में मात्र 15 घटनायें हुई हैं जिसे हम हिंसा की घटना कह सकते हैं मान्यवर मैं तो यह समझता था कि नेता प्रतिपक्ष अवश्य ही स्थानीय चुनाव के लिए मुबारकबाद देंगे और वह प्रसन्न होंगे इस बात से कि निष्पक्ष चुनाव हुए। और उसी बुनियाद पर उन्हें इतनी मेयर की जगह, बाकी जगह तो माशाअल्लाह बिल्कुल सफाया है। यह बड़े लोग हैं मान्यवर, तो बड़े लोग तो साथ देंगे कि इनका, लेकिन मजदूर, गरीब, मेहनतकश, बेरोजगार, छात्र हमारे साथ हैं और उसने स्थानीय निकायों के चुनाव में सिर्फ निगमों छोड़कर हर जगह समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। तो मान्यवर, यह सारी शिकायतें निराधार हैं इसलिए स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 प्रमोद तिवारी को,

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय परम्परा है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रमोद तिवारी और संसदीय कार्यमंत्री को सुना और इसे मैं नियम-56 में अग्राह्य करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है, क्यों बार-बार बोल रहे हैं ? यह जो बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा। अब नहीं लिखा जायेगा।

श्री संजीव दरियाबादी, नहीं हैं।

(श्री आर0 के0 सिंह पटेल बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी, मेरा भी एक विषय है।

श्री अध्यक्ष-

आपका तो कोई नोटिस ही नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मेरा कानपुर महानगर में डेंगू बीमारी वाला विषय है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, न एक पैसे का गबन हुआ है, संसदीय कार्यमंत्री की अपनी व्यक्तिगत कुंठा-निराशा की भावना है और जो कुछ किया है मैं उसकी निन्दा करता हूं।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

मान्यवर, मैं भी बोलने के लिए खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, पटेल जी को बोल लेने दीजिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मुझे पहले बुलाया।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

पटेल जी आप बैठ जायें, आपको अवसर मिलेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बड़ी चिन्ता का विषय है, कानपुर जैसे महानगर, जहां 40 लाख की आबादी है, वहां डेंगू और चिकनगुनिया का रोग फैला है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मा0 नगर विकास मंत्री जी यहां है, उनसे मेरा बड़ा प्यार है। साढ़े तीन साल में उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर की जनता के बारे में कोई बातचीत न करें, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। उन्होंने मान लिया था कि नगर निकाय के चुनावों में उनका सफाया होने वाला है इसीलिए वह चुनाव नहीं कराना चाहते थे। लेकिन प्रदेश की जनता का कसूर क्या है कि उसको डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों के लिए छोड़ दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह तो इसी सत्र में आ चुका हैं बाजपेयी जी, आप देखें यह जबर्दस्ती बोल रहे हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, वहां कूड़ा उठाने का संयन्त्र नहीं है, तीन महीने से नगर निगम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष-

डेंगू और कर्मचारियों के वेतन से क्या सम्बन्ध है ? बात हो चुकी है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मुझे दो मिनट बिना हस्तक्षेप के सुन लीजिए। अब मेरा समय शुरू होता है।

श्री अध्यक्ष-

पहले विधेयक पास कर लेते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, दो मिनट आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष-

हम सबको सुनेंगे, आपको भी सुनेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि किसी प्रकार का साधन वहां पर नहीं है। जो पूर्व में पैसा दिया जा रहा था उसे भी रोक दिया गया है। जहां पर यह चुनाव नहीं जीतेंगे तो वहां की जनता को क्या जीने का हक नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

हार-जीत तो अभी परसों हुई है। अब आप बन्द करें। सरकार का जवाब आ जाने दें। राजस्व मंत्री जी खड़े हैं।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के नाम-निर्देशित किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं इनके सवाल का जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो सर्वसम्मति से है। मैं इनकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन प्रस्ताव करता है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन, कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए, यथास्थिति, दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।" इस प्रस्ताव पर माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष दोनों के हस्ताक्षर है। मैं आग्रह करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन प्रस्ताव करता है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन, कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए, यथास्थिति, दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अब तो मुझे बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका खत्म हो गया है। पहले हम विधेयक पास करा लें। रात के 8.00 बजे तक हम बैठेंगे।

* श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

मान्यवर, हमारा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। आपने मुझे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सुनने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

डेंगू वाली सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

मान्यवर, हमारा बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। बांदा और चित्रकूट जनपद सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में लगातार कई वर्षों से वर्षा कम हो रही है इस कारण वहां का किसान भूखमरी की कगार पर आ गया है। इसका उदाहरण आपके सामने समाचार पत्र की कटिंग्स के माध्यम से रखा गया है। मैं चित्रकूट जनपद के कर्वी से चुनकर आता हूं वहां पर दो नहरें हैं जो वहां पर एक पैसोनी नदी है एक चित्रकूट जनपद में बाल्मीकी नदी है। मान्यवर, उन दो छोटी नदियों को डायवर्ट करके मोड़ करके और काफी लम्बे अर्से से वहां पर दो महत्वपूर्ण नहरें एक पैसोनी डायवर्जन बियर और एक पोहन डायवर्जन बियर जो बाल्मीकी नदी से निकाली गयी है मान्यवर, यह दोनों नहरें लगभग आठ महीने से बन्द पड़ी हैं, उन नहरों में पानी न आने से कई हजार बीघे जमीन जिससे उनकी सिंचाई होती रही है वह कई हजार बीघे जमीन सूखी पड़ी हुई है। मान्यवर, धान की रोपाई नहीं हो पायी है, इसके बाद रवी की फसल की जुताई नहीं हो सकी है अभी तक, इसलिए मान्यवर, उन दोनों नहरों में पानी न आने के कारण कई हजार एकड़ जमीन सूख गयी है। उन नहरों में उनकी जो गहराई है मान्यवर, वह 10 फिट से लेकर 30 फिट के करीब है मान्यवर, क्योंकि वह नदी की धारा को डायवर्ट करके नहरें निकाली गयी हैं मान्यवर, इसलिए उन नहरों को लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक पक्का कराने के लिए प्रस्ताव आज से तीन साल पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जो उस समय प्रस्ताव बन करके मान्यवर, यहां उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष लाया गया था लेकिन मान्यवर, आज तक अभी माननीय नेता सदन चित्रकूट मण्डल के दौरे पर गये थे और वहां पर मान्यवर, इन नहरों के पक्काकरण के सम्बन्ध में भी वहां पर कार्य-योजना जिलाधिकारी के माध्यम से रखी गयी थी, लेकिन एक धेला पैसा भी उन नहरों को चालू कराने के लिए उनकी सिल्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सफाई कराने के लिए तो दिया ही नहीं गया मान्यवर, पक्काकरण का जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक टिल्ली नल पम्प कैनाल है, एक मात्र और दो छोटी-छोटी और पम्प कैनाल जो यमुना नदी से निकाली गयी हैं मान्यवर, वह भी इसी तरह से बन्द पड़ी हैं। वह पम्प कैनालों के पम्प जो बार्ज हैं वह भी टूट चुके हैं मान्यवर और पूरा बुन्देलखण्ड मान्यवर पानी के अभाव में त्राहि-त्राहि कर रहा है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में वर्षा न होने के कारण जो भी वहां डैम बनाये गये हैं, चाहे चित्रकूट जनपद में गुण्टा बांध हो चाहे ओहन बांध हो, चाहे और जो आपके बुन्देलखण्ड और चित्रकूट में बांध बनाये गये हैं उन बांधों में एक भी बूंद पानी नहीं है और बांधों का ही पानी नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए वहां जाता है और ऐसी स्थिति में जब सूखा पड़ा है मान्यवर, तो डैमों में पानी नहीं है और जो पानी हमारे जनपद की नदियों में है उन नदियों को डायवर्ट करके जो धारा उधर उन नहरों में मोड़ी गयी थी, वह नहरें आज आठ महीनों से सूखी पड़ी हैं ऐसी स्थिति में वहां का किसान आन्दोलित है और वह भुखमरी की कगार पर है, इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से इन दोनों नहरों को और बुन्देलखण्ड की सारी नहरों को और चित्रकूट जनपद की जितनी भी डायवर्जन बियर हैं और जो भी कैनालें हैं उनको तत्काल चालू कराने के सम्बन्ध में इस सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इनको दिखवा लीजिएगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आप विधेयक पास करा लीजिए फिर श्री राम इकबाल सिंह का एक मामला है, उसको भी सुन लें, सिर्फ इन्हीं का बचा है।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

मान्यवर, एक मिनट माननीय मंत्री जी से कुछ उत्तर तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में आप कुछ कहेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो निर्देश दे दिया, उसको हम उतनी ही गम्भीरता से दिखवायेंगे। पानी आपके यहां नहीं पहुंचा, लेकिन नहर की खुदाई तो तीन वर्षों में काफी हुई है।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

मान्यवर, उसको आप दिखवा लें, आप चाहें तो वहां के जिलाधिकारी से बात कर लें, सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से बात कर लें और पता कर लें, वहां आठ महीनें से एक बूंद पानी भी नहीं गया है, अगर गया हो तो आप जो भी सजा देंगे हम भुगतने के लिए तैयार है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप वहां के इंजीनियर के पास अपनी समस्या लेकर चले गये होते तो वह कर देता, वहां की समीक्षा बैठक में आप अपना मामला उठायें।

* श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। मान्यवर, एक बहुत हृदय विदारक घटना जो राष्ट्ररत्न डाक्टर भीम राव अम्बेडकर साहब की स्थापित मूर्ति से सम्बन्धित है।

मान्यवर, यह महापुरुषों के बारे में हम सब लोग नतमस्तक होकर रात दिन उनके दिखाये हुए रास्ते पर चलते है। जैसे महात्मा गांधी, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर, शास्त्री जी, लोहिया जी दीन दयाल उपाध्याय जी इन सब महापुरुषों के रास्ते पर चलकर हम सब लोग देश को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र नगरा के थाना नगरा में अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापित थी यह 1986 से तत्कालीन प्रधान जितेन्द्र जी ने उस मूर्ति की स्थापना करायी थी। मान्यवर, वह मूर्ति जहां पर स्थापित हैं वह देव स्थान के रूप में स्थापित हैं। वहां पर श्री राम नाम के एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति का चक है जो दो एकड़ का है वह उस जमीन को पिछली जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में जोत लिया और अपने चक में मिला लिया। जब वह रोपाई कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित वर्ग के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया और वहां के कार्यकर्ता श्री राम जग वगैरह मेरे पास आये थे। वह 7 डिस्मिल जमीन पर मूर्ति स्थापित हैं और वहां धान की रोपाई हो रही है। मैंने तुरन्त एस0डी0एम0 रसरा से कहा कि कब्जा नहीं होना चाहिए। वह मौके पर गये और तब तक चार डिस्मिल जमीन पर रोपाई हो रही थी। उन्होंने 3 डिस्मिल जमीन को रुकवा दिया और हमें टेलीफोन से बताया कि उन्होंने 4 डिस्मिल पर तो कब्जा कर लिया है और धान की कटाई के बाद फिर इस जमीन को छुड़वा लेंगे। तो इस तरह से 3 डिस्मिल जमीन पर छूट गयी लेकिन 4 पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मान्यवर, जो कब्जा करने वाले व्यक्ति हैं वह बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं इसलिए मामला और भी संगीन हो जाता है। जब धान कट गया तो यह चर्चा फिर चली गयी कि यह जमीन घिरवा दी जाये। मैंने एस0डी0एम0 से जब पहली बार कहा था कि इसको घिरवा कर कब्जा करवा दें। जुलाई में कहा था। यदि उन्होंने उस समय यह कार्यवाही कर दी होती तो यह हृदय विदारक घटना न हो पाती।

मान्यवर, 1 नवम्बर, 2006 को रात 10.00 बजे के आसपास बी0एस0पी0 के नेता श्री राम के नेतृत्व में वहां पर पक्का चबूतरा डालने का काम किया जाने लगा। मान्यवर, राम जस उस टोले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मान्यवर, वह लोग डन्डे और लाठी से लैस होकर राम जस पर हमला कर दिये जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। मोहल्ले में दोनों तरफ से लाठी डन्डे चले और जिसके फलस्वरूप राम जस की अस्पताल जाते-जाते रास्ते में मृत्यु हो गयी। मान्यवर, वहां इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। मैंने वहां प्रशासन से कहा कि एक लाश आप लोगों ने ले ली अब तो उसे घिरवा दो और उस 7 डिस्मिल जमीन को चिन्हित करवा कर कब्जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करवा दो। एस0डी0एम0 ने कहा कि 4 नवम्बर को चिन्हित करा देंगे। अभी हम चुनाव में फंसे हैं। मान्यवर, स्थिति यह है कि आज भी अपराधी वैसे ही घूम रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की भी शहादत हो गयी है। आप उसकी बाउन्ड्री करवा दें और अपराधियों को अविलम्ब गिरफ्तार करवा कर दण्डित करने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, उनकी दो मांगें हैं जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो रही है जैसा कि आपने बताया भी है। दूसरी बात है कि उस जमीन का चिन्हिकरण करवा दें तो वह मान्यवर, करवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह छोटा सा संशोधन विधेयक है। मान्यवर, इसमें तमाम व्यापारियों की ओर से प्रतिवेदन आये थे। मान्यवर, जब 2006 में संशोधन विधेयक पास किया गया था उसमें सिर्फ जो खण्ड-1 के अंक, संशोधन अधिनियम, 2006 है, उसके स्थान पर शब्द तथा अंक द्वितीय संशोधन 2006 रखने का अनुरोध किया है और मान्यवर, अभी तक मण्डी अधिनियम की धारा 17 में खण्ड (3क) के अनुसार व्यापारियों पर अगर वह मण्डी शुल्क देने में विलम्ब करते थे तो कम्पनी और व्यापारी दोनों पर। तो दो प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगता था जो कि 24 प्रतिशत के हिसाब से बनता था उन्होंनं अनुरोध किया कि इसको घटा दिया जाय और इस संशोधन के माध्यम से उस दो प्रतिशत को घटाकर एक प्रतिशत किया गया यानि कि 12 प्रतिशत सिर्फ उनसे ब्याज जो उनसे 24 प्रतिशत पड़ता था वह अब 12 प्रतिशत पड़ेगा जैसा कि सैल्सटैक्स वगैरा में है। सिर्फ इतना सा संशोधन है व्यापारी के हित में है और हम लोग उनको रिलेक्स देना चाहते हैं जिस कारण संशोधन लाये थे। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो माननीय हुकुम सिंह जी, लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी ने प्रवर समिति के लिए जो कहा है उसको रखने का औचित्य नहीं है, वह इसको बोलने में बता ही देंगे और इसे वापिस कर लेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, किसी भी विधेयक को लाते समय उसमें उद्देश्य और कारण छपते हैं। सरकार ने केवल इतना लिखा है अपने इस विधेयक में कि जो मण्डी शुल्क की अदत्त राशि है उस पर 2 प्रतिशत

जो कर लगता था उसके स्थान पर व्यापार कर में जो राशि देय है वह लगेगी। इसलिए संशोधन को लाने की मंशा हमारी थी कि कहीं सरकार मण्डी शुल्क को अदत्त राशि के कारण छोटे-छोटे आढ़तियों पर उन पर ब्याज की राशि बढ़ाने के लिए कोई अण्डरहैण्ड अधिनियम तो नहीं लायेगी। जो बात मंत्री जी ने विधेयक को पेश करने के बाद कही है कि हम जो 2 प्रतिशत के हिसाब से 24 प्रतिशत बनता था मण्डी शुल्क पर अदत्त राशि पर ब्याज दर उसको घटाने के लिए हम व्यापार कर में जो एक प्रतिशत है उसके बराबर करने के लिए इस विधेयक को लायें हैं तो यह बात अगर विधेयक में ही उल्लेख कर देते उसके उद्देश्य और कारण में कि 2 प्रतिशत के स्थान पर व्यापार कर की भांति एक प्रतिशत करने का विधेयक लाये हैं तो इस संशोधन को लाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया था। क्योंकि सरकार ने इसमें स्पष्ट नहीं किया था। इस समाजवादी पार्टी की सरकार का भरोसा कुछ नहीं है कहें कुछ और करें कुछ इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। लेकिन चूंकि सरकार ने सदन में यह कह दिया है कि मण्डी शुल्क की अदत्त राशि पर ब्याज की दर एक प्रतिशत होगी यानि सालाना 12 प्रतिशत होगी तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें" को वापस लिये जाने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, लिखा हुआ पढ़ना जरूरी नहीं होता जब किसी ने विरोध नहीं किया तो इसे सर्वसम्मति से कर दीजिए। जब मैं संशोधन पर बल देता तब हां न की बात आती।

खण्ड-2

श्री अध्यक्ष-

अब हम खण्डशः विचार रखते हैं।

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 17-क में, उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964 की धारा 17-क का संशोधन

"परन्तु राज्य सरकार कृषि प्रसंस्करण इकाई के ऐसे तैयार उत्पाद जो विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन हो और उसमें प्रयुक्त सामग्री कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन न हो, पर (विकास सेस को छोड़कर) मण्डी शुल्क में छूट प्रदान कर सकती है या उसके दर में कमी कर सकती है।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-1 व प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा

श्री रामवीर सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "विधेयक के खण्ड 1 में शब्द तथा अंक '(संशोधन) अधिनियम, 2006' के स्थान पर शब्द तथा अंक '(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006' रख दिये जायं।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड-1 में शब्द तथा अंक "(संशोधन) अधिनियम, 2006' के स्थान पर शब्द तथा अंक "(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-1 व प्रस्तावना इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

श्री रामवीर सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "विधेयक के शीर्षक में शब्द तथा अंक '(संशोधन) विधेयक, 2006' के स्थान पर शब्द तथा अंक '(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006' रख दिये जायं।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि शीर्षक में शब्द तथा अंक '(संशोधन) विधेयक, 2006' के स्थान पर शब्द व अंक '(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006' रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही स्थित औराई तहसील का भवन निर्माण कराये जाने एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री रणवीर राणा की प्रदेश में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, तीसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के सत्र 2004-2005 के हजारों बी0एड0 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना डा0 अजय कुमार की जनपद बागपत के किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में बी0पी0एल0 श्रेणी के उपभोक्ताओं को सस्ते गल्ले की दुकान से गेहूं, चावल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया स्थित नरहेजी महाविद्यालय, रसड़ा बलिया के प्रबन्ध तंत्र एवं प्रधानाचार्य द्वारा गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री ज्ञानेन्द्र सिंह की जनपद महराजगंज के अधिषासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री महेश त्रिवेदी की निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी के पद पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी चयन न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत स्थित ग्राम कुरैया खुर्द कलां स्थित 33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन पर सहायक अभियन्ता की स्थायी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में आवंटित मन्दिरो, पर्यटन स्थलों, मजरों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद स्थित बाबूगढ़ छावनी से बीबीनगर जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं। श्री प्रेम सिंह, श्री कौशल किशोर, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री सुखदेव राजभर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री रामशंकर पाल, श्री रिजवान अहमद खान, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री कालीचरण राजभर, श्री रामनरेश यादव, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी', श्रीमती विद्या चौधरी, श्री राकेश पाण्डेय, श्री भगेलू राम, डा0 पूर्णमासी देहाती, श्री धर्मपाल सिंह, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री कपिल देव यादव, श्री राम करन आर्य, डा0 सुशील चौधरी, श्री बीजू पटनायक, श्री संजीव दरियाबादी, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री मस्त राम, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री शिवेन्द्र सिंह, श्री आनन्द प्रकाश लोधी, श्री शिव तपस्या पासवान, श्री गयाचरन दिनकर, श्री प्रमोद कुमार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री नवाब सिंह नागर तथा श्री जगदीश नारायण राय।

श्री राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष, विधान सभा द्वारा श्री सन्तोष कुमार शर्मा, उप जिलाधिकारी, फरीदपुर आदि के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब मुझे सदन को सूचना देनी है।

माननीय श्री राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष, विधान सभा द्वारा श्री सन्तोष कुमार शर्मा, उप जिलाधिकारी, फरीदपुर, श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, क्षेत्राधिकारी-नवाबगंज, श्री राम केवल, अपर जिलाधिकारी (नगर) तथा श्री राम बहादुर यादव, पुलिस अधीक्षक (नगर) जनपद-बरेली के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना, दिनांक 27 जून, 2005 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली से प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रकरण जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु दिनांक 09 अक्टूबर, 2006 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र प्रताप, समीक्षा अधिकारी, विधान सभा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सचिव, विधान सभा के कार्यों से सन्तुष्ट न होने के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी को अपनी रिट याचिका में अनुपूरक शपथ-पत्र के साथ संलग्न-4 के रूप में संलग्न किये जाने विषयक सदन की अवमानना की सूचना को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

श्री सुरेन्द्र प्रताप, समीक्षा अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में दायर किये गये क्रिमिनल केस सं0 906 (सी) आफ 2003, सुरेन्द्र प्रताप बनाम राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सचिव, विधान सभा के कार्यों से संतुष्ट न होने के बारे में की गयी उस टिप्पणी, जो दिनांक 12

मार्च, 2005 के दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित हुयी थी और जिसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने विधान सभा के दिनांक 23 मार्च, 2005 के उपवेशन में एक स्वतः स्पष्ट घोषणा भी की थी, कि वे माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी से सहमत नहीं हैं, क्योंकि प्रमुख सचिव विधान सभा ने अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बहुजन समाज पार्टी से अलग हुये 40 विधायकों पर उनकी नोटिस तामील नहीं की थी, को उक्त समाचार-पत्र के संगत अंश सहित उक्त रिट याचिका के अनुपूरक शपथ-पत्र के संलग्नक-4 के रूप में संलग्न किया। सुरेन्द्र प्रताप के इस कृत्य को प्रथम दृष्टया अध्यक्ष, विधान सभा एवं सदन की अवमानना मानते हुए दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 को उक्त प्रकरण को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है।

डा0 दिनेश चन्द्र अवस्थी, विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, विधान सभा द्वारा श्री अनुप्रताप सिंह, अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ, खण्डपीठ के विरुद्ध अभिसूचित विधान सभा की अवमानना के प्रश्न की सूचना को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

डा0 दिनेश चन्द्र अवस्थी, विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 09 मई, 2005 को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा से एक प्रार्थना-पत्र के माध्यम से श्री अनु प्रताप सिंह, अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ, खण्डपीठ के विरुद्ध शिकायत की थी कि दिनांक 9 मई, 2005 को वे अपने एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ परिसर में खड़े थे जहां पर श्री अनु प्रताप सिंह, एडवोकेट, मा0 उच्च न्यायालय ने उन्हें पीछे से धक्का दिया, गालियां दी एवं यह कहा, "आप सचिव होंगे विधान सभा के, मैं विधान सभा को कुछ नहीं समझता हूं।"

इस मामले में विधान सभा के प्रति श्री अनुप्रताप सिंह द्वारा की गयी अमर्यादित टिप्पणी पर मेरे आदेशानुसार श्री अनुप्रताप सिंह, एडवोकेट का अभिकथन मांगा गया था। श्री अनुप्रताप सिंह एडवोकेट द्वारा अपना अभिकथन प्रस्तुत करने के स्थान पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में रिट याचिका संख्या 3197/06 एम0बी0 दायर की गयी है और इस प्रकार पुनः विधान सभा की अवमानना की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी उक्त याचिका में बनाये गये प्रतिवादी 1-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 2-श्री अनिल कुमार, उप सचिव (तत्कालीन), संसदीय अनुभाग, विधान सभा, लखनऊ, 3-श्री दिनेश चन्द्र अवस्थी, विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं 4-वरिष्ठ पुलिस, अधीक्षक, लखनऊ को मैंने माननीय उच्च न्यायालय में प्रति उत्तर दाखिल न करने के लिए निदेशित कर दिया हैं साथ ही मैंने दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 को उक्त सम्पूर्ण प्रकरण को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का दसवां प्रतिवेदन †

मा0 उपाध्यक्ष (सभापति, याचिका समिति)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का दसवां प्रतिवेदन, जो नगर विकास विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का ग्यारहवां प्रतिवेदन †

मा0 उपाध्यक्ष (सभापति, याचिका समिति)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा की शिक्षा देने वाली स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदानित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को ....

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी जिसमें संस्कृत भाषा की शिक्षा प्रदान करने वाले प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, जिनमें हजारों की संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं तथा जिन्हें स्थायी मान्यता प्राप्त है, को अनुदानित न किये जाने जबकि प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं अल्पभाषाई श्रेणी में आने वाले विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने तथा भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में भेदभाव नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया है। विगत कई वर्षों से संस्कृत भाषा के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदानित न करना प्रदेश सरकार द्वारा इस भाषा के प्रति की जा रही उपेक्षा दर्शाता है। इन विद्यालयों में कई वर्षों से कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के परिजनों के समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है तथा अनुदान विहीन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी अपनी आयु सीमा पार कर चुके हैं तथा किसी अन्य सेवा में जाने योग्य भी नहीं रह गये हैं। ऐसी स्थिति में उनके समक्ष गम्भीर स्थिति है।

नोट :- † (छापे नहीं गये।)

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान समय में प्रदेश में लगभग 1132 संस्कृत विद्यालय है जिनमें से 871 विद्यालय अनुदानित हैं। राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा के लिए सदैव सजग रही है तथा उनमें गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास का एक विस्तृत प्रस्ताव उच्चतम स्तर पर प्रस्तुत किया गया था तथा विभिन्न निर्णय लिये गये थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि संस्कृत शिक्षा को सामान्य शिक्षा के अनुरूप परिवर्तित किया जाये। उसी निर्णय के परिपेक्ष्य में संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन किया गया तथा संस्कृत विद्यालयों का वर्गीकरण किया गया। पूर्व में संस्कृत शिक्षकों को छात्र संख्या के आधार पर विभिन्न विद्यालयों/महाविद्यालयों में वर्गीकृत किया जाता था तथा वे विद्यालय पूर्व मध्यमा से आचार्य स्तर तक का पठन-पाठन कराते थे जिसे परिवर्तित कर संस्कृत विद्यालयों को महाविद्यालय, उत्तर मध्यमा एवं पूर्व मध्यमा विद्यालयों के रूप में वर्गीकृत करते हुए उनके शिक्षकों के वेतनमान निर्धारित किये गये। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार सदैव से संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के उन्नयन हेतु सतत् प्रयत्नशील रही है।]

जनपद खीरी में असामाजिक तत्वों द्वारा ग्राम दुबहा निवासी चन्द्रपाल सिंह व उनके साथी की ट्रक से कुचलकर हत्या किये जाने से सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 एस0 कुशवाहा, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, खीरी से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार वादी श्री आलोक कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह, नि0-दुबहा थाना-निघासन द्वारा दिनांक 29-9-2006 को अपने पिता चन्द्रपाल सिंह व नन्द कुमार पंचायत मित्र दुबहा पुत्र कैलाश चन्द्र की हत्या ट्रक नं0 यू0 पी0 26-0285 एवं वाहस्तवाह 307 भा0दं0वि0 के अभियुक्त केशव आदि द्वारा कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0316/06 धारा 302 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान घटना अनावरण कर प्रकाश में आये 6 अभियुक्तों में से एक इरफान पुत्र एजाज निवासी-दुबहा, थाना-निघासन एवं आशिक हुसैन पुत्र सहजादे नि0 छत्तीस सेमरिया थाना-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत को दिनांक 7-10-06 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अन्य 4 की गिरफ्तारी शेष है। विवेचना से अभियोग में धारा 147/120 बी/34 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी है।]

जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज स्थित गण्डक नदी में नाव पलट जाने से हुई व्यक्तियों की मृत्यु एवं उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[डा0 पी0 के0 राय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 11-10-2006 को दी गई सूचना में कहा गया है कि जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज स्थित गण्डक नदी पार करते समय तेज आंधी/बारिश के कारण दिनांक 12-07-2006 को जबही दयाल,

दिनांक 20-08-2006 को पिपराघाट एवं दिनांक 28-08-2006 को अमवादीगर में नाव पलट जाने के कारण सभी सवार डूब गये। दैवी आपदा में डूबे हुए वह लोग जिनकी लाश प्रशासन नहीं ढूंढ पाया तत्काल आर्थिक सहायता दिए जाने की सूचना में वक्तव्य की मांग की गई।

जिलाधिकारी, कुशीनगर ने अवगत कराया है कि जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में दिनांक 12-07-2006, 20-08-2006 एवं 28-08-2006 को गण्डक/नारायणी नदी में ग्राम जबही दयाल, पिपराघाट एवं अमवादीगर के समीप तेज आंधी/बारिश के कारण नाव पलटने से हुई दुर्घटना में बिहार प्रान्त में स्थित अपने खेतों में धान की निराई/मजदूरी करके वापस लौट रहे कुल 20 व्यक्ति डूब गये, जिनमें से 14 व्यक्तियों के शव स्थानीय गोताखोरों, पी0ए0सी0 के जवानों एवं नाविकों द्वारा काफी प्रयास के बाद निकाल ली गई, किन्तु 06 व्यक्तियों के शव नहीं मिल पाये हैं। जिन 14 व्यक्तियों की लाशें मिल गई थीं, उनके परिजनों को तत्समय ही 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई। लापता 06 व्यक्तियों की लाश न मिलने के कारण यह पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वे जिन्दा हैं अथवा उनकी मृत्यु हो गयी है। लापता व्यक्तियों के सापेक्ष उन्हें आपदा राहत निधि से आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में कोई प्राविधान नहीं है, जिसके कारण उनके परिजनों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी।]

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, चूंकि राजस्व मंत्री जी ही इसका जवाब दे रहे हैं और यह प्रकरण भी उन्हीं से संबंधित है, इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इसके पहले भी गण्डक नदी में जब नाव पलटने से लोग डूबे और उनकी लाशें नहीं मिल पायीं, उनको मुआवजा दिया गया है, वह गरीब लोग हैं। जो नदी तैर करके खेती करने के लिये जाते हैं और सरकार की तरफ से कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं है आवागमन का, न जाल का और न डूबने वालों की लाशों को निकालने का। छः लोग जिनकी लाशें प्रशासन ने ढुंढ़वायी और नहीं मिलीं, जिनके घर के लोगों ने मृत मानकर उनका क्रिया-कर्म कर दिया है उनको अहेतुक सहायता मानवीय आधार पर नियमों में शिथिलता बरतते हुये और पूर्व उदाहरणों को देखते हुये दिये जाने का माननीय मंत्री जी और शासन से अनुरोध करता हूं। यही मेरा मूल प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, कोई सहायता देंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो दिशा निर्देश हैं, वह भारत सरकार के द्वारा दिये गये हैं फिर भी डा0 पी0के0 राय ने जो बात कही है, कानूनी तौर पर यह दिखवा लेंगे कि उनको मृत मानने के लिये क्या प्रबन्ध हो सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आपका जो किसान बीमा पालिसी है अगर मानवीय आधार पर हो जाए तो उससे इसको करवा दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम इसमें डा0 पी0 के0 राय साहब से बात कर लेंगे और आपका भी निर्देश ले लेंगे।

मेरठ नगर निगम क्षेत्र में डेगूं के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि मेरठ नगर निगम क्षेत्र में डेंगू का प्रसार हो रहा है। नगर निगम मेरठ द्वारा फागिंग कराने का कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है। नगर निगम द्वारा किंग फौस नामक ट्रेड नेम की दवा जिसमें, डैला मैकियन, मैलाथियान मिलाकर फागिंग की जा रही है, जिससे मच्छर बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे हैं। एडीज मच्छर का वायरस, की जा रही फागिंग को निष्प्रभावी कर जनता को बीमार करने में सक्रिय है। प्रभावी कीटनाशक से फागिंग नहीं हो रही है, के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम मेरठ द्वारा जल भराव एवं गन्दगीजन्य कीटाणुओं की रोकथाम के लिये दिनांक 04-10-2006 से दिनांक 17-10-2006 तक वर्डवार कार्यक्रम बनाकर प्रतिदिन सायंकाल 6.00 बजे से 8.00 बजे तक नियमित रूप से फागिंग करायी जा रही है, जिसमें "किंगफाग" नामक कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जा रहा है। "किंगफाग" वायर नामक ख्यातिप्राप्त कम्पनी द्वारा निर्मित दवा है। निगम द्वारा चलाये जा रहे फागिंग कार्यक्रम के संतोषजनक परिणामों से उत्साहित होकर जनता द्वारा निरन्तर फागिंग कराने की मांग की जा रही है। जनता की मांग तथा मेरठ एवं आस-पास के क्षेत्रों में डेगूं को लेकर जनसामान्य में व्याप्त आशंकाओं को देखते हुये इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 18-10-2006 से आगे का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है तथा इस बार जहां भी फागिंग की जायेगी, वहां के रेजीडेन्ट वेल्फेयर एसोशियेशन अथवा सिविल सोसाइटी संगठन द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि फागिंग समुचित रूप से सम्पन्न हुयी। इसी प्रकार दवा के विषय में भी विशेषज्ञों के परामर्श से, यदि कोई अन्य बेहतर दवा प्रकाश में आती है तो उसका प्रयोग करने पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायेगा। नगर निगम क्षेत्र में फागिंग, सामान्य सफाई, नालों की सफाई तथा एडीज नामक मच्छर को मारने हेतु लार्वीसाइडल ट्रीटमेंट जैसे उपायों के माध्यम से डेंगूं की रोकथाम हेतु मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर बैठकें आहूत कर प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

3-इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश की समस्त नागर निकायों एवं समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को डेंगू के प्रकोप की रोकथाम एवं उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था सुनिश्चित

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किये जाने हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों दिनांक 27-5-2002, दिनांक 15-6-2002, दिनांक 04-09-2003, दिनांक 23-10-2003, दिनांक 03-10-2006 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें सफाई व्यवस्था की रणनीति निरीक्षण एवं तद्विषयक उत्तरदायित्व निर्धारण की व्यवस्था की गयी है। दिनांक 03-10-06 को जारी किया गया शासनादेश मुख्यतः डेगूं नियंत्रण से संबंधित है। यह भी अवगत कराना है कि डेंगूं रोगियों के उपचार एवं निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी विभिन्न शासनादेशों तथा दिनांक 03-05-2006, 10 अगस्त, 2006, दिनांक 3-10-2006, दिनांक 4-10-2006 एवं दिनांक 10-10-06 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। नगर विकास विभाग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासनादेश दिनांक 10-10-2006 के क्रम में शासनादेश दिनांक 17-10-2006 जारी कर डेगूं/चिकनगुनिया की रोकथाम एवं उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।]

जनपद शाहजहांपुर में 5 व 7 कि0मी0 हाटमिक्स प्लाण्ट से बनने वाली सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 2005-06 व 2006-07 का कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[प्रश्नगत सूचना के माध्यम से जनपद शाहजहांपुर में विधान सभा क्षेत्र-50 शाहजहांपुर में 5 व 7 किमी0 हाटमिक्स प्लाण्ट से बनने वाली वर्ष 2005-2006 में 5 किमी0 की स्वीकृत सड़क के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने तथा वर्ष 2006-07 में स्वीकृत 7 कि0मी0 के मार्ग का निर्माण प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 में विधान सभा क्षेत्र-50 शाहजहांपुर में शासनादेश सं0-704(1)/23-11-05-5/4 (15)/05 दिनांक 7-2-06 द्वारा 05 मार्गों जिनकी लम्बाई 5 किमी0 तथा लागत 104.82 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से 03 मार्गों पर टापकोट कुटाई स्तर तक का कार्य पूर्ण है, जिस पर माह 11/06 तक लेपन का कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। शेष 02 मार्गों पर पत्थर के गिट्टी की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है, जिसे माह 12/06 तक लेपन स्तर तक पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में शासनादेश सं0-आ0-290 (1)/23-9-06-29 (7) जि0 यो0/06 दिनांक 23-8-06 द्वारा विधान सभा क्षेत्र-50 शाहजहांपुर के लिये 08 मार्गों की कुल लम्बाई 7 कि0 मी0 हेतु लागत रु0 194.28 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन मार्गों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।]

नोट :- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-एच में अवैध कोचिंग को बंद करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-एच में भवन संख्या-ई-III/14 में चलने वाली अवैध कोचिंग में आने वाले बच्चों के वाहनों के कारण गली में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। उक्त कोचिंग भवन के तीसरी मंजिल पर परनाला कुछ इस तरह लगाया गया है कि उससे निकलने वाले पानी, मूत्र आदि बगल के भवन संख्या-16 के चबूतरे पर गिरता है। अनेक बार कहने के बावजूद भवन संख्या-14 का स्वामी न तो परनाला बन्द करता है और न ही परनाला में डाउन पाईप लगवाता है। मा0 सदस्य द्वारा लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-एच में भवन संख्या-ई-III/14 में चलने वाली अवैध कोचिंग को बंद करवाने तथा डाउन पाईप लगवाने की मांग की गयी है।

2-मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-एच में भवन संख्या-ई-III/14 में 'नीरज कोचिंग क्लासेस' का संचालन किया जा रहा है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ से प्राप्त आख्यानुसार 'नीरज कोचिंग क्लासेस' संस्था का पंजीकरण दिनांक 16-10-2002 से 15-10-2005 तक वैध था। गत वर्ष छात्र उपलब्ध न होने के कारण उक्त कोचिंग संस्था माह अक्टूबर, 2005 से अगस्त, 2006 तक संचालित नहीं की गयी। उक्त कोचिंग संस्था ने दिनांक 17-10-2006 को रु0 1,000/- राजकीय कोष में जमा करते हुये अपने कोचिंग का पुनः पंजीकरण क्षेत्रीय कार्यालय से करा लिया है। गत वर्ष 2005-2006 (अक्टूबर, 2005 से अगस्त, 2006 तक) में उक्त कोचिंग संस्था संचालित नहीं थी।

3-उक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर निगम, लखनऊ से प्राप्त आख्यानुसार अलीगंज सेक्टर-एच में भवन संख्या-ई-III/14 का तथा इसके आसपास क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कोचिंग का कार्य चलते हुये नहीं पाया गया और न ही मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध देखा गया। आसपास के भवन स्वामियों से पूंछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि कोचिंग प्रातः 8.00 से 10.00 बजे तक तथा सायं 5.00 से 7.30 बजे तक चलाई जाती है, इस अवधि में बच्चों की साईकिल आदि से आवागमन बाधित होता है। भवन स्वामी को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यदि रास्ता अवरुद्ध हुआ तो वाहन जब्त कर लिये जायेंगे। भवन के तीसरी मंजिल पर लगे परनाले को तोड़ का हटा दिया गया है। तीसरी मंजिल से आने वाला पानी द्वितीय मंजिल के रास्ते से नीचे आयेगा। इस प्रकार भवन संख्या-16 के चबूतरे पर पानी नहीं गिरेगा। समय-समय पर उक्त भवन का निरीक्षण भी किया जायेगा।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद शहर के अलोपीबाग में मध्यवर्गीय हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्मित आवासों को विक्रय के आधार पर निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[प्रश्नगत सूचना के माध्यम से डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा इलाहाबाद शहर के अलोपीबाग मोहल्ले में मध्यमवर्गीय हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1957-58 में निर्मित आवासों के विक्रय के आधार पर निस्तारण के सम्बन्ध में हो रही कार्यवाही की जानकारी चाही गयी है।

2-इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में इलाहाबाद शहर के अलोपीबाग मोहल्ले में मध्यमवर्गीय हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत 1957-58 में निर्मित आवासों को विक्रय आधार पर निस्तारित करने हेतु अध्यासियों द्वारा लखनऊ स्थित राजेन्द्रनगर कालोनी को अध्यासियों के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने का आधार बनाते हुये उक्त मध्यमवर्गीय हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्मित आवासों को विक्रय आधार पर अध्यासियों के पक्ष में विक्रय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3-इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि लखनऊ स्थित राजेन्द्रनगर कालोनी अध्यासियों को हस्तान्तरित/निस्तारित नहीं की गई है। राजेन्द्रनगर कालोनी राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत है जिसका अनुरक्षण कार्य अस्थायी अनुरक्षण खण्ड-3 (सिविल), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अन्तर्गत है।

इलाहाबाद शहर के अलोपीबाग मोहल्ले में मध्यमवर्गीय हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्मित आवासों को विक्रय के आधार पर निस्तारित करने की कोई योजना नहीं है।]

जनपद लखनऊ के पुलिस लाइन में आपराधिक छवि के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा श्री उदय राज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आदेश संख्या व-118/06, दिनांक 17 फरवरी, 2006 द्वारा पुलिस विभाग के 151 आरक्षीगण को सशस्त्र पुलिस की कमी को देखते हुये 06 माह के लिये पुलिस लाइन, लखनऊ में आमद कराने के आदेश दिये गये थे, परन्तु उपरोक्त पुलिस कर्मियों में से कुछ ने समय से दिनांक 31-3-2006 तक पुलिस लाइन में आमद नहीं कराया। इनमें से कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा पुनः तैनाती करा ली गई और कुछ पुलिस लाइन में ही कार्यरत रहे तथा कुछ आरक्षी आपराधिक छवि के हैं जो प्रायः लखनऊ में ही स्थानान्तरित कराकर रह रहे हैं और अपनी आपराधिक गतिविधियां चलाते रहते हैं जिसका प्रमाण मु0 अ0 सं0-155/01

आरोप पत्र संख्या-130 दिनांक 30-7-01 थाना आलमबाग के आपराधिक रजिस्टर वर्ष 2001-02 में उपलब्ध है। इस प्रकार मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त अपराधिक छवि के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सूचना दी गई थी।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ में सशस्त्र पुलिस के आरक्षियों की भारी रिक्तियों के कारण जनपद में नियुक्त नागरिक पुलिस के 151 आरक्षियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ के उपरोक्त आदेश दिनांक 17-2-06 के द्वारा 6 माह के लिये विशिष्ट ड्यूटी हेतु पुलिस लाइन लखनऊ से सम्बद्ध किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31-3-06 तक नागरिक पुलिस के 12 आरक्षियों ने विशेष डियूटी हेतु पुलिस लाइन लखनऊ में आमद करायी परन्तु बाद में उपरोक्त आदेश का पूर्ण क्रियान्वयन करा लिया गया।

यह भी अवगत कराना है कि जिन आरक्षियों तथा थाना/शाखा प्रभारियों ने आदेश का समय से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया उनके विरुद्ध क्षेत्राधिकारी, पुलिस लाइन द्वारा जांच की जा रही है। उनमें से केवल कुछ आरक्षियों की उपादेयता एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों की संस्तुति के दृष्टिगत विशेष डियूटी से मुक्त किया गया है। आपराधिक छवि के 4 आरक्षियों एवं 01 आरक्षी चालक को वर्ष 2006 में सेवा मुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी आपराधिक छवि का पुलिस कर्मी जनपद लखनऊ अथवा पुलिस लाइन लखनऊ में नियुक्त नहीं है और न ही इस प्रकार का कोई पुलिस कर्मी जनपद लखनऊ में स्थानान्तरण कराकर रह रहा है।

थाना आलमबाग लखनऊ के मु0 अ0 सं0-155/01 के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त आपराधिक मुकदमा दिनांक 8-7-01 को धारा-323/504/506 भादंवि के अन्तर्गत 04 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना आलमबाग में पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना में 01 व्यक्ति के अंकित पता की पुष्टि नहीं हो पायी और अन्य 03 अभियुक्तों पर आरोप की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर आरोप पत्र संख्या-130/01 दिनांक 30-7-01 को प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।]

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[श्री रामचन्द्र यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 11-10-2006 को दी गई सूचना में कहा गया है कि जनपद-फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर पूर्णरूप से सूखे से त्रस्त है। किसानों की फसलें सूख गई हैं, जानवरों के चारे का संकट पैदा हो गया है तथा पूरे क्षेत्र में पीने के पानी का गम्भीर संकट पैदा हो गया है इसलिये सम्पूर्ण क्षेत्र मिल्कीपुर को सूखाग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में दी गई सूचना में वक्तव्य की मांग की गई है।

2-जिलाधिकारी, फैजाबाद ने अवगत कराया है कि इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, अधिशासी अभियन्ता जल निगम तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी फैजाबाद एवं उप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर से आख्या प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया कि तहसील मिल्कीपुर में सूखे के कारण खरीफ की फसलों की क्षति लगभग 44.75 प्रतिशत हुई। चूंकि खरीफ की फसल में 50

प्रतिशत से अधिक की क्षति नहीं है, अतः सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता है। इस तहसील में जानवरों के चारे की कोई समस्या नहीं है और इस तहसील में 192 नलकूप स्थापित है, जिसमें से 170 नलकूप कार्यशील हैं एवं यांत्रिक तथा विद्युत दोष से शेष खराब नलकूपों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार तहसील मिल्कीपुर में 5994 हैण्डपम्प कार्यशील हैं तथा इस तहसील के समस्त ग्राम मानक के अनुसार संतृप्त हैं। पेयजल का कोई संकट नहीं है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। दिनांक 22 नवमबर, 2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 4 बजकर 13 मिनट पर बुधवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 10 नवम्बर, 2006

आदित्य नाथ मित्तल,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 318 विधान सभा (542)-14-2-07-815 (कम्प्यूटर)।